

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 719] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 12, 2019/अग्रहायण 21, 1941 No. 719] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 12, 2019/AGRAHAYANA 21, 1941

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2019

सा.का.नि. 912(अ).—केन्द्रीय सरकार, सरकारी बचत संवर्धन अधिनियम, 1873 (1873 का 5) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियमों को तात्कालिक प्रभाव से विखंडित करती है, अर्थात् :-

- (i) सा.का.नि. सं. 663(अ), तारीख 17 दिसंबर, 1981 द्वारा प्रकाशित डाकघर बचत खाता नियम, 1981;
- (ii) सा.का.नि. सं. 664(अ), तारीख 17 दिसंबर, 1981 द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय बचत सावधि जमा नियम, 1981;
- (iii) सा.का.नि. सं. 666(अ), तारीख 17 दिसंबर, 1981 द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय बचत आवर्ती जमा नियम, 1981;
- (iv) सा.का.नि. सं. 701(अ), तारीख 10 अगस्त, 1987 द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय बचत (मासिक आय खाता) नियम, 1987:
- (v) सा.का.नि. सं. 496(अ), तारीख 1 मई, 1989 द्वा्रा प्रकाशित राष्ट्रीय बचत-पत्र (सातवां निर्गम) नियम, 1989;
- (vi) सा.का.नि. सं. 490(अ), तारीख 2 अगस्त, 2004, द्वारा प्रकाशित वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम नियम, 2004;
- (vii) सा.का.नि. सं. 705 (अ), तारीख 23 सितंबर, 2014 द्वारा प्रकाशित किसान विकास पत्र नियम, 2014;
- (viii) सा.का.नि. सं. 323(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित सुकन्या समृद्धि खाता नियम, 2016: परंतु ऐसी सुस्ती,-
- (i) उक्त नियमों के पूर्व प्रचालन या कुछ किया गया है या करने का लोप किया गया है या उसमें सहन किया गया हो ; या

6395 GI/2019 (1)

- (ii) उक्त नियमों के अधीन अर्जित या उपर्जित या उपगत कोई भी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व ; या
- (iii) यथा पूर्वोक्त किसी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार बाध्यता, दायित्व, शास्ति, जब्ती या दंड के संबंध में किसी अन्वेषण. विधिक कार्यवाही या उपचार.

को प्रभावित नहीं करेगी, और ऐसा कोई अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार को संस्थित किया जा सकेगा, जारी रखा जा सकेगा या लागू किया जा सकेगा और ऐसी कोई शास्ति, जब्ती या दंड अधिरोपित किया जा सकेगा, जैसे कि उक्त नियमों को विखंडित नहीं किया गया था।

[फा. सं. 2/2/2018-एनएस(भाग-I)]

रजत कुमार मिश्रा, संयुक्त सचिव (बजट)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs) NOTIFICATION

New Delhi, the 12th December, 2019

G.S.R. 912(E).—In exercise of the powers conferred by section 15 of the Government Savings Promotion Act, 1873(5 of 1873), the Central Government hereby rescinds with immediate effect the following rules, namely:—

- (i) The Post Office Savings Account Rules, 1981, published *vide* number G.S.R. 663(E), dated the 17th December, 1981;
- (ii) The National Savings Time Deposit Rules, 1981, published *vide* number G.S.R. 664(E), dated the 17th December, 1981;
- (iii) The National Savings Recurring Deposit Rules, 1981, published *vide* number G.S.R. 666(E), dated the 17th December, 1981;
- (iv) The National Savings (Monthly Income Account) Rules, 1987, published *vide* number G.S.R. 701(E), dated the 10th August, 1987;
- (v) The National Savings Certificate (VIII Issue) Rules, 1989, published *vide* number G.S.R. 496(E), dated the 1st May, 1989;
- (vi) The Senior Citizens Savings Scheme Rules, 2004, published vide number G.S.R. 490(E), dated the 2^{nd} August, 2004;
- (vii) The Kisan Vikas Patra Rules, 2014, published *vide* number G.S.R. 705(E), dated the 23rd September, 2014;
- (viii) The Sukanya Samriddhi Account Rules, 2016, published *vide* number G.S.R. 323(E), dated the 18th March, 2016:

Provided that such rescission shall not affect,-

- (i) the previous operation of the said rules or anything done or omitted to be done or suffered therein; or
- (ii) any right, privilege, obligation or liability acquired or accrued or incurred under the said rules; or
- (iii) any investigation, legal proceeding or remedy in respect of any such right, privilege, obligation, liability, penalty forfeiture or punishment as aforesaid,

and any such investigation, legal proceeding or remedy may be instituted, continued or enforced and any such penalty, forfeiture or punishment may be imposed as if the said rules had not been rescinded.

[F. No. 2/2/2018-NS (Pt. I)]

RAJAT KUMAR MISHRA, Jt. Secy. (Budget)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2019

सा.का.िन. 913(अ).—केन्द्रीय सरकार, सरकारी बचत संवर्धन अधिनियम, 1873 (1873 का 5) की धारा 3क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सा.का.िन. सं. 1136(अ), तारीख 15 जून, 1968 द्वारा प्रकाशित जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, को तत्काल प्रभाव से विखंडित करती है।

[फा. सं. 2/2/2018-एनएस(भाग-1)]

रजत कुमार मिश्रा, संयुक्त सचिव (बजट)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th December, 2019

G.S.R. 913(E).— In exercise of the powers conferred by section 3A of the Government Savings Promotion Act, 1873 (5 of 1873), the Central Government hereby rescinds with immediate effect the Public Provident Fund Scheme, 1968, published *vide* number G.S.R. 1136(E), dated the 15th June, 1968, except as respects things done and omitted to be done before such rescission.

[F. No. 2/2/2018-NS (Pt. I)]

RAJAT KUMAR MISHRA, Jt. Secy. (Budget)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2019

सा.का.नि. 914(अ).—केंद्रीय सरकार, सरकारी बचत संवर्द्धन अधिनियम, 1873 (1873 का 5) की धारा 3क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :-

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**–(1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम सुकन्या समृद्धि खाता स्कीम, 2019 है।
 - (2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।
- 2. परिभाषाएं (1) इस स्कीम में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न हो,--
 - (क) "खाता" से इस स्कीम के अधीन खोला गया खाता अभिप्रेत है:
 - (ख) "खाताधारक" से वह कन्या जिसके नाम से खाता धारित है, अभिप्रेत है;
 - (ग) "अधिनियम" से सरकारी बचत संवर्द्धन अधिनियम, 1873 (1873 का 5) अभिप्रेत है;
 - (घ) "जन्म प्रमाणपत्र" से नगरपालिक प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र या कोई कार्यालय जो जन्म प्रमाणपत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत है या जन्म और मृत्यु के रिजस्ट्रार द्वारा जारी प्रमाणपत्र या नागरिकता अधिनियम, 1955 (1955 का 57) की धारा 2 के उपधारा (1) के खंड (घ) में यथापरिभाषित भारतीय काउंसिल द्वारा जारी प्रमाणपत्र, अभिप्रेत है;
 - (ड.) "कुटुंब" से ऐसे व्यक्ति और उसके पति या पत्नी (दोनों या तो जीवित हैं या मृत) और उनके बच्चे चाहें दत्तक लिए गए हों या अन्यथा से संबद्ध इकाई अभिप्रेत है;
 - (च) "वित्तीय वर्ष" से निम्नलिखित वर्ष के अप्रैल के प्रथम दिन से प्रारंभ होने वाली और 31 मार्च को समाप्त होने वाली अवधि अभिप्रेत है;
 - (छ) "प्ररुप" इस स्कीम के अधीन संलग्न प्ररुप अभिप्रेत हैं;
 - (ज) "साधारण नियम" से सरकारी बचत संवर्द्धन साधारण नियम, 2018 अभिप्रेत है;
 - (झ) "परिपक्वता" से खाते के खोलने की तारीख से 21 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर खाते की परिपक्वता अभिप्रेत है;

- (2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त है, और परिभाषित नहीं है, वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम और साधारण नियमों में है।
- 3. **खाते का खोला जाना** (1) कोई भी खाता कन्या के नाम से उसे किसी संरक्षक द्वारा खोला जा सकेगा जो खाते की खोलने की तारीख को 10 वर्ष की उम्र प्राप्त न की हो ।
 - (2) प्रत्येक खाता धारक का इस स्कीम के अधीन एकल खाता होगा।
 - (3) खाता खोलने के लिए प्ररुप 1 में आवेदन कन्या के जन्म प्रमाणपत्र द्वारा संलग्नित होगा, संरक्षक के अपेक्षित दस्तावेजों के साथ जिसके नाम से खाता खोला जाना है।
 - (4) इस स्कीम के अधीन खाता एक कुटुंब में अधिकतम दो कन्याओं के लिए खोला जा सकेगा :

परंतु दो से अधिक खाता किसी कुटुंब में खोला जा सकेगा यदि ऐसे बच्चे जन्म के प्रथम या द्वितीय प्रक्रम में पैदा हुए हों या दोनों ऐसे बच्चों के जन्म के समय में जुड़वा/तीन बच्चों के जन्म प्रमाणपत्र के साथ संरक्षक द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा ।

पंरतु यह और कि उपर्युक्त परंतुक ऐसे द्वितीय प्रक्रम के कन्या के जन्म के मामले में लागू नहीं होगा यदि कुटुंब के प्रथम जन्म के प्रक्रम में उत्तरजीवि दो या दो से अधिक कन्याएं हों ।

- 4. **निक्षेप** (1) कोई भी खाता कम से कम दो सौ पचास रुपये के आरंभिक निक्षेप के द्वारा और उसके पश्चात् पचास रुपये के गुणक में खोला जा सकेगा तत्पश्चात् किए गए निक्षेप इस शर्त के अधीन पचास रुपये के गुणक में कम से कम दो सौ पचास रुपये एक खाते में वित्तीय वर्ष में यथा निक्षेप के रुप में किया जा सकेगा।
 - (2) खाते में निक्षेपित कुल रकम किसी वित्तीय वर्ष में एक लाख पचास हजार रुपये से अधिक नहीं होगी।

परंतु एक वित्तीय वर्ष में एक लाख पचास हजार रुपये से अधिक का निक्षेप यदि किसी त्रुटि के कारण स्वीकार किया गया है तो वह किसी ब्याज के लिए और जमाकर्ता को तत्काल वापिसी के लिए पात्र नहीं होगा ।

- (3) खाता खोलने की तारीख से 15 वर्षों की अवधि पूर्ण होने तक खाते में निक्षेप किए जा सकेंगे।
- (4) उप पैरा (1) में यथाविनिर्दिष्ट न्यूनतम रकम में किसी खाते में निक्षेप नहीं किया गया है तो ऐसा खाता त्रुटि के अधीन समझा जाएगा।

परंतु त्रुटि के अधीन कोई खाता ऐसे त्रुटि के वर्षों के संबंध में न्यूनतम वार्षिक निक्षेप के साथ त्रुटि के प्रत्येक वर्ष के लिए पचास रुपये दंड के संदाय पर खाते को खोलने की तारीख से 15 वर्षों की अविध के पूर्ण होने तक किसी भी समय नियमित किया जा सकेगा।

- (5) त्रुटि के अधीन खाते के मामले में, उप पैरा 4 के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर यदि विनियमित नहीं किया गया है तो संपूर्ण निक्षेप त्रुटि की तारीख से पूर्व किए गए निक्षेपों सहित खाते के बंदी की तारीख तक स्कीम के लिए लागू दर पर ब्याज के लिए पात्र होगा।
- 5. **निक्षेप पर ब्याज** (1) खाते में निक्षेप पर प्रतिवर्ष 8.4 प्रतिशत की दर से ब्याज प्राप्त किया जाएगा ।
 - (2) महीने के पांचवे दिन और अंतिम दिन के बंदी के बीच खाते में न्यूनतम अधिशेष पर कलैंडर मास के लिए ब्याज विकलित होगा। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत पर खाते में ब्याज प्रत्यय होगा और रुपये के अंश के ब्याज की कोई रकम निकटतम रुपये के साथ समायोजित की जाएगी और पचास पैसे या उससे अधिक की किसी रकम के उस उद्देश्य के लिए एक रुपये माना जाएगा और पचास पैसे से कम की रकम को छोड़ दिया जाएगा।
 - (3) वित्तीय वर्ष के दौरान खाते के अंतरण के कारण लेखा कार्यालय के परिवर्तन के असंगत वित्तीय वर्ष के अंत पर ब्याज का प्रत्यय होगा ।
- 6. **खाते का प्रचालन** खाते धारक का 18 वर्ष की उम्र प्राप्त होने तक संरक्षक के द्वारा खाते का प्रचालन किया जाएगा । आवश्यक दस्तावेजों के प्रस्तुत करने के द्वारा 18 वर्ष की अवस्था प्राप्त करने के पश्चात् स्वयं उसके द्वारा खाते का प्रचालन किया जाएगा ।
- 7. **खाते का समयपूर्व बंदी** (1) खाताधारक की मृत्यु होने पर खाता सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए मृत्यु प्रमाणपत्र के प्रस्तुत किए जाने पर प्ररुप 2 में दिए गए आवेदन पर तत्काल बंद किया जाएगा और खाते में प्रत्यय पर अधिशेष और मृत्यु की तारीख तक उस में बताया ब्याज संरक्षक को संदत्त किया जाएगा।

- (2) खाता धारक की मृत्यु की तारीख और खाते के बंदी की तारीख के बीच की अवधि के लिए ब्याज खाते में धारित अधिशेष के लिए डाकघर बचत खाता की लागू दर पर संदत्त किया जाएगा।
- (3) जहां लेखा कार्यालय इस बात से संतुष्ट है कि खाता धारक के जानलेवा बीमारी जैसे चिकित्सा सहयोग के आधार पर अत्यधिक प्रतिकर या खाता धारक के असम्यक कठिनाई के कारण खाते के प्रचालन में संरक्षक की मृत्यु के कारण, लिखित में अभिलिखित किए गए कारणों पर आदेश द्वारा ऐसे बंद किए गए समयपूर्व खाते अनुज्ञात किए जा सकेंगे। स्कीम पर ऐसे लागू बकाये ब्याज के साथ खाते में बकाया अतिशेष खाताधारक या संरक्षक को, जैसे भी दशा में, संदत्त किया जाएगा:

परंतु इस उपपैरा के अधीन खाते के समयपूर्व खाते के खोलने की तारीख से पांच वर्ष के पूर्ण होने के पूर्व बंदी नहीं होगी।

8. प्रत्याहरण – (1) प्ररुप 3 में दिए गए आवेदन पर प्रत्याहरण के लिए आवेदन वर्ष के पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के अंत में खाते में रकम का अधिकतम पचास प्रतिशत तक खाताधारक के शिक्षा के उद्देश्य के लिए अनुज्ञात की जाएगी :

परंतु ऐसे प्रत्याहरण खाताधारक के 18 वर्ष की उम्र प्राप्त होने पर या दसवीं पास होने पर, जो भी पहले हो, अनुज्ञात की जाएगी।

- (2) उप पैरा (1) के अधीन प्रत्याहरण के लिए आवेदन ऐसे वित्तीय अपेक्षा को इंगित करते हुए ऐसे संस्थान से फीस रसीद या ऐसे शैक्षणिक संस्थान से खाताधारक का प्रवेश के प्रस्ताव को पुष्ट करने वाला प्ररुप दस्तावेजी प्रमाणपत्र के द्वारा संलग्निक होगा।
- (3) उप पैरा (1) के अधीन प्रत्याहरण एक मुश्त या किस्तों में किया जा सकेगा, उप-पैरा (1) में विनिर्दिष्ट अधिकतम पांच वर्षों के लिए जो प्रतिवर्ष एक से अधिक नहीं होगा :

पंरतु प्रत्याहरण की रकम शैक्षणिक संस्थान द्वारा जारी की गई प्रवेश पत्र या सुसंगत फीस रसीद में दर्शाए गए प्रवेश के समय अपेक्षित अन्य भारों सहित फीस के खाते में वास्तविक अपेक्षाओं को प्रतिबंधित करेगा।

- 9. परिपक्कता की बंदी (1) खाते के खोलने की तारीख से 21 वर्ष की अवधि के पूर्ण होने पर खाते की परिपक्कता होगी।
 - (2) खाते की बंदी 21 वर्ष के पूर्ण होने के पूर्व भी अनुज्ञात की जा सकेगी, यदि खाताधारक आवेदन द्वारा खाताधारक की आशयित शादी के कारण ऐसी बंदी के लिए अनुरोध करता है। यदि नोटेरी द्वारा शासकीय स्टैंप पेपर पर यह प्रमाणित किया जाता है कि शादी की तारीख पर आवेदक की उम्र 18 वर्ष से कम नहीं है।

परंतु आशयित शादी की तारीख से एक माह पूर्व या शादी की तारीख से तीन माह पश्चात् ऐसे बंदी को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

- (3) खाता धारक द्वारा प्ररुप 4 में किए गए आवेदन पर पैरा 5 के अधीन यथा लागू ब्याज के साथ बकाया अधिशेष खाताधारक को संदत्त होगा।
- 10. **साधारण नियम का आवेदन** –साधारण नियमों का उपबंध जहां तक हो सके, ऐसे मामलों के संबंध में लागू होगा जिसके लिए इस स्कीम में कोई उपबंध न किया गया हो ।
- 11. **शिथिल करने की शक्ति** जहां केंद्रीय सरकार खाताधारक के किसी असम्यक कठिनाई के कारण इस स्कीम के उपबंधों के प्रचालन पर संतुष्ट हैं तो लिखित में अभिलिखित कारणों और आदेश द्वारा ऐसे उपबंध की अपेक्षा या ऐसे खाताधारक के संबंध में उपबंधों से छूट दे सकेगी जो अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो।

[फा. सं. 2/2/2018-एनएस(भाग-I)]

रजत कुमार मिश्रा, संयुक्त सचिव

प्ररूप 1

[पैरा 3 का उप-पैरा (3) देखिए] (खाता खोलने के लिए आवेदन)

सवा म,			
श्रीमान, पोस्टमास्टर/प्रबंधक			
आवेदः	क/आवेदकों]	
का फोर	टो चिपकाएं		
श्रीमान,		J	
मैं(आवेदक/संरक्षक) आपके डाकघर/बैंब	क में	(स्कीम	का
नाम) के अधीन खाता खोलने के लिए आवेदन करता हूं।			
मैंशब्दों में संख्यांकआरंभिक जमा के रूप में निवि			
विशिष्टियां निम्न प्रकार हैं:-	વા મળ્લા દ્વ	<i>ie</i> 1 4(1).	641171
1. जमाकर्ता का नाम			
जन्म की तारीख(दिदि/मम/वववव) शब्दों में			
2. संरक्षक/पति/पिता/माता का नाम			
जन्म की तारीख(दिदि/मम/वववव)			
3. संरक्षक का आधार संख्यांक			
4. संरक्षक का स्थायी खाता संख्यांक (पैन)			
5. वर्तमान पता			
 स्थायी पता			
6. संपर्क ब्यौरे	} 100} ÷		
		ाईडी	
7. खाते का प्रकार अवयस्क			
8 (*) जमाकर्ता के जन्म के ब्यौरे			
(क) प्रमाणपत्र सं			
(ख) जारी होने की तारीख			
(ग) जारी करने वाला प्राधिकारी			
9. अन्य संलग्न केवाईसी दस्तावेजों के ब्यौरे 1. पहचान का सबूत			
2. पते का सबूत			

निम्नलिखित दस्तावेज पहचान और पते के सबूत के प्रयोजन के लिए विधिमान्य दस्तावेजों के रूप में स्वीकृत किए जाते हैं: 1
पासपोर्ट 2. चालन अनुज्ञप्ति 3. मतदाता पहचान पत्र 4. नरेगा द्वारा जारी, राज्य अधिकारी द्वारा हस्ताक्षेरित जॉब कार्ड 5
नाम और पते के ब्यौरे सहित राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर द्वारा जारी पत्र ;

- 10. खाते का संचालन निम्न प्रकार से किया जाएगा:--
- (क) संरक्षक द्वारा, जमाकर्ता के वयस्क होने तक
- (ख) वयस्कता प्राप्त करने पर स्वयं जमाकर्ता द्वारा

11. नमूने हस्ताक्षर		
1	2	3
(नाम)		

मैं एतद्वारा घोषणा करता/करती हूं कि देश के किसी डाकघर/ बैंक में क्रम संख्या l में उल्लिखित जमाकर्ता के नाम से सुकन्या समृद्धि खाता नहीं खोला है ।

मैं यह भी घोषणा करता हूं/करती हूं कि मैं और जमाकर्ता दोने भारत के निवासी /नागरिक हैं और भविष्य में मेरे निवासी/नागरिकता प्रास्थिति में कोई परिवर्तन होने पर लेखा कार्यालय को सूचित करने का वचन देता हूं ।

मैं, स्कीम पर लागू उपबंधों और स्कीम को लागू सरकारी बचत संवर्धन नियम, 2018, और उसके अधीन समय-समय पर जारी संशोधनों, को पालन करने का वचन देता हं।

	संरक्षक के हस्ताक्षर या अंगूठा छाप
	तारीख
नाम निर्देशन	

मैं नीचे उल्लिखित व्यक्ति(यों) का नाम निर्देशन करता हूं/करती हूं जिनको मेरी मृत्यु की दशा में अन्य व्यक्तियों को अपवर्जित करके डाकघर बचत खाता स्कीम में मेरी जमा रकम को मेरी मृत्यु के समय......(स्कीम का नाम) में संदत्त की जाएगी:

क्र.सं.	नाम निर्देशिती(यों) का नाम (के नाम) और संबंध	पूरा पता(पते)	नाम निर्देशिती का आधार संख्यांक नाम (वैकल्पिक)	अवयस्क के मामले में नाम निर्देशिती के जन्म की तारीख	हकदारी का अंश	हकदारी की प्रकृति, न्यासी या स्वामी
1						
2						
3						
4						

चूंकि, उपरोक्त विनिर्दिष्ट क्रम संख्या (कों)निवासी		
अवयस्कता के दौरान मेरी मृत्यु की दशा में उक्त खाते के अधी		
1. साक्षी के हस्ताक्षर		
नाम और पता		
2. साक्षी का नाम		
नाम और पता		
	सं	रक्षक के हस्ताक्षर या अंगूठा छाप
स्थान:		
तारीख:		
डाक घर <i>/</i> बैंं	क के प्रयोग हेतु	
यह खाताके नाम में तारीख	1.5	आरंभिक जमा के साथ
स्कीम के अधीन (स्कीम का नाम) खाता संख्य		
खोला गया है।		
ग्राहक पहचान संख्यांक		
नाम निर्देशन संख्यांकतारीख	द्वारा रजिस्ट्रीकृत कि	या गया है
सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर और मुद्रा		
प्रर	रूप 2	
[पैरा 7 का उप	-पैरा (1) देखिए]	
•	बंद करने के लिए आवेदन)	
सेवा में,		
श्रीमान, पोस्टमास्टर/प्रबंधक		
श्रीमान,		
1. मैं अपने खाता संख्यांकजिसमें	रुपए (रुपए	केवल) को परिपक्वता पर्व बंद
करने की वांछा करता हूं। आपसे नीचे दिए गए ब्यौरों के		
अनुरोध करता हूं ।		
कृपया मेरे बचत खाता संख्यांकप्रत्यय करें।	।स्थत(खाता क	।यालय का नाम) का रकम का
	या	
कृपया डिमांड ड्राफ्ट/पाने वाले के नाम चैक जारी करें	<u>.</u>	
	या	
कृपया नकद संदाय करें (लाग्, यदि रकम अनुज्ञेय सी	·	
3. मैं घोषणा करता हूं कि जिसके अधीन परिपक्वता से पूर्ण ख	ाता बंद किया जा सकता है के उ	उपबंधों की अनुपालना की गई है।
आवश्यक दस्तावेज, जहां लागू है, नीचे संलग्नित है :-		
1.		

2.

*प्रमाणित किया जाता है कि उपयोग के लिए प्रत्याह्रत/ ऋण व के लिए अपेक्षित है।	ती रकम जो जीवित है और अवयस्क है के प्रयोग
तारीख:	
	जमाकर्ता /संरक्षक के हस्ताक्षर या अंगूठा छाप
(लेखा कार्यालय को जानने वाले किसी व्यक्ति द्वारा जमाकर्ता वे	 जंगूछा छाप प्रमाणित किए जाने चाहिए)
े केवल कार्याल	•
संदाय र	
खाते में पात्र अतिशेष	
काटी गई शास्ति की रकम	रुपए
संदत्त की जाने वाली कुल रकम	(अंकों में)
(शब्दों में)	
तारीख मुद्रा पोस्टग	गास्टर/प्रबंधक के हस्ताक्षर
निस्त	गरण
(खाताधारक/संदेशव	हक द्वारा भरा जाए)
रुपएको अंतरण, द्वा	
	र्गा/संरक्षक के हस्ताक्षर/अगूंठा छाप
प्ररू	प 3
[पैरा 8 का उप-	पैरा (1) देखिए]
(निकासी के	लेए आवेदन)
सेवा में,	
श्रीमान, पोस्टमास्टर/प्रबंधक	
मैं(जमाकर्ता/संरक्षक) नीचे दिए ग	ए ब्यौरे के अनसार अपने खाते से निकासी के लिए आवेदन
करता हूं:-	
खाता संख्यांक	
निकासी के लिए आवेदित रकम	
*प्रमाणित किया जाता है कि उपभोग के लिए निकासी की म जीवित है और अवयस्क है ।	ग की रकम के प्रयोग के लिए अपेक्षित है, जो
2. कृपया मेरे बचत बैंक खाता सं स्थिति (खाता कार्यालय का नाम)	से निकासी की रकम प्रत्यय की करें।

कृपया । इसाइ ड्राफ्ट पान वाल नाम चक जारा कर ।
या
कृपया नकद संदाय करें (अनुज्ञेय सीमा से नीचे रकम होने के मामले में लागू)
3. प्रमाणित किया जाता है कि निकासी के अनुदान के लिए लागू सभी शर्तों की अनुपालना की गई है ।
आवश्यक दस्तावेज जहां लागू है, नीचे संलग्नित है :-
1.
2.
तारीख जमाकर्ता /संरक्षक के हस्ताक्षर या अंगूठा छाप
प्रमाणित द्वारा
(अंगूठा छाप के मामले में प्रमाणन लागू)
केवल कार्यालय के प्रयोग हेतु
संदाय के ब्यौरे
खाते में उपभोग की गई रमक रु0
आरंभिक अभिदान की तारीख
तारीख, जब अंतिम निकासी अनुज्ञात थी
निकीस के लिए अनुदानित कुल रकम रु0
(अंकों में)
(शब्दों में)
तारीख मुद्रापोस्टमास्टर/प्रबंधक के हस्ताक्षर
निस्तारण
(जमाकर्ता द्वारा भरा जाए)
रुपए(शब्दों में) नकद /चैक/डीडी संख्यांकतारीख-
को अंतरण, द्वारा, प्राप्त किए ।
तारीखः जमाकर्ता/संरक्षक के हस्ताक्षर/अंगूठा छाप
प्ररूप 4
[पैरा 9 का उप-पैरा (3) देखिए]
(खाता बंद करने के लिए आवेदन)
डाक घर /बैंक का नाम
तारीख
खाता संख्यांक
1. मैं पासबुक/जमा रसीद प्रस्तुत करता हूं और अपने परिपक्व उपरोक्त उल्लिखित खाता को बंद करने के लिए आवेदन करता हूं ।

2. कृपया मेरे परिपक्व खाते में अतिशेष रकम का मेरे बचत बैंक खाता संख्यांकस्थितस्थित(खाता कार्यालय का नाम) में प्रत्यय करें ।
या
कृपया डिमांड ड्राफ्ट/पाने वाले के नाम चैक जारी करें
या
कृपया नकद संदाय करें (लागू, यदि रकम अनुज्ञेय सीमा से नीचे हो)
*प्रमाणित किया जाता है कि उपभोग के लिए निकासी /ऋण के लिए मांगी रकम के प्रयोग के लिए है जो जीवित है और अवयस्क है, अपेक्षित है ।
जमाकर्ता/संरक्षक के हस्ताक्षर या अंगूठा छाप
(लेखा कार्यालय को ज्ञात व्यक्ति द्वारा अंगूठा छाप प्रमाणित की जानी चाहिए)
संदाय आदेश
(केवल कार्यालय के प्रयोग हेतु)
तारीख
संदाय ब्यौरा
मूल रकम रुपए
(+) देय ब्याज रुपए
(-) अधिक संदत्त ब्याज की वसूली रुपए
कटौती, यदि कोई हो, रुपए
कुल देय रकम रुपए
रुपए(शब्दों में) का संदाय करें ।
तारीख पोस्टमास्टर/प्रबंधक के हस्ताक्षर
निस्तारण
(जमाकर्ता द्वारा भरा जाए)
रुपए(अंको में)तारीख- को अंतरण द्वारा, प्राप्त किए ।
तारीख: जमाकर्ता/संरक्षक के हस्ताक्षर या अंगूठा छाप

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th December, 2019

- **G.S.R. 914(E).**—In exercise of the powers conferred by section 3A of the Government Savings Promotion Act, 1873 (5 of 1873), the Central Government hereby makes the following Scheme, namely:-
- **1. Short title and commencement.**-(1) This Scheme may be called the Sukanya Samriddhi Account Scheme, 2019.
 - (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
- **2. Definitions.-**(1) In this Scheme, unless the context otherwise requires,-

- (a) "account" means an account opened under this Scheme;
- (b) "account holder" means a girl child in whose name the account is held;
- (c) "Act" means the Government Savings Promotion Act, 1873 (5 of 1873);
- (d) "birth certificate" means birth certificate issued by the municipal authority or any office authorised to issue birth and death certificate by the Registrar of Births and Deaths or the Indian Consulate as defined in clause (d) of sub-section (1) of section 2 of the Citizenship Act, 1955 (57 of 1955);
- (e) "family" means a unit consisting of a person and his spouse (both or either of whom are alive or deceased) and their children, adopted or otherwise;
- (f) "financial year" means the period commencing on the 1stday of April and ending on the 31stday of March of the following year;
- (g) "Form" means forms appended to this Scheme;
- (h) "General Rules" means the Government Savings Promotion General Rules, 2018;
- (i) "maturity" means maturity of an account on completion of a period of twenty-one years from the date of its opening.
- (2) Words and the expressions used herein but not defined shall have the meanings respectively assigned to them in the Act and the General Rules.
- **3. Opening of account.-**(1) The account may be opened by one of the guardian in the name of a girl child, who has not attained the age of ten years as on the date of opening of the account.
- (2) Every account holder shall have a single account under this Scheme.
- (3) The application in Form-1 for opening an account shall be accompanied by birth certificate of the girl child in whose name the account is to be opened, along with required documents of guardian.
- (4) An account under this Scheme may be opened for a maximum of two girl children in one family:

Provided that more than two accounts may be opened in a family if such children are born in the first or in the second order of birth or in both, on submission of an affidavit by the guardian supported with birth certificates of the twins/triplets regarding the birth of such multiple girl children in the first two orders of birth in a family:

Provided further that the above proviso shall not apply to girl child of the second order of birth, if the first order of birth in the family results in two or more surviving girl children.

- **4. Deposits.-**(1) The account may be opened with a minimum initial deposit of two hundred and fifty rupees and in multiples of fifty rupees thereafter and subsequent deposits shall be in multiples of fifty rupees subject to the condition that a minimum of two hundred and fifty rupees shall be made as deposit in a financial year in one account.
- (2) The total amount deposited in an account shall not exceed one lakh fifty thousand rupees in a financial year:

Provided that the deposit in excess of one lakh fifty thousand rupees in any financial year, if accepted due to any accounting error, shall not be eligible for any interest and be returned immediately to the depositor.

- (3) Deposits may be made in the account till the completion of a period of fifteen years from the date of opening of the account.
- (4) An account in which minimum amount as specified in sub-paragraph (1) has not been deposited shall be considered as an account under default:

Provided that an account under default may be regularised any time till completion of a period of fifteen years from the date of opening of account on payment of a penalty of fifty rupees for each year of default along with the minimum annual deposit in respect of the defaulted years.

(5) In case of an account under default, if not regularised within the time specified under sub-paragraph (4), then the whole deposit, including the deposits made prior to the date of default, shall be eligible for interest at the rate applicable to the Scheme till closure of the account.

- **5. Interest on deposit.-**(1) Deposits in the account shall earn interest at the rate 8.4 per cent per annum.
- (2) The interest shall be calculated for the calendar month on the lowest balance in the account between the close of the fifth day and the end of the month. The interest shall be credited to the account at the end of each financial year and any amount of interest in fraction of a rupee shall be rounded off to the nearest rupee and for this purpose any amount of fifty paisa or more shall be treated as one rupee and any amount less than fifty paisa shall be ignored.
- (3) Interest shall be credited at the end of the financial year irrespective of the change of the account office due to transfer of the account during the financial year.
- **6. Operation of account.-**(1) The account shall be operated by the guardian till the account holder attains the age of eighteen years. The account shall be operated by the account holder herself after attaining age of eighteen years by submitting necessary documents.
- **7. Premature closure of account.-**(1) In the event of death of the account holder, the account shall be closed immediately on application in Form-2, on production of death certificate issued by the competent authority and the balance at the credit of the account and interest due thereon till the date of death shall be paid to the guardian.
- (2) Interest for the period between the date of death of the account holder and date of closure of the account shall be paid at the rate applicable on Post Office Savings Account for the balance held in the account.
- (3) Where the accounts office is satisfied that in case of extreme compassionate grounds such as medical support in life-threatening diseases of the account holder or death of the guardian that the operation or continuation of the account is causing undue hardship to the account holder, it may, after complete documentation establishing the grounds for such closure, by order and for reasons to be recorded in writing, allow premature closure of the account. Outstanding balance in the account with interest due as applicable to the Scheme shall be paid to the account holder or guardian, as the case may be:

Provided that no premature closure of an account under this sub-paragraph shall be made before completion of five years from the date of opening of the account.

8. Withdrawal.-(1) On an application in Form-3, withdrawal of upto a maximum of fifty per cent. of the amount in the account at the end of the financial year preceding the year of application for withdrawal, shall be allowed for the purpose of education of the account holder:

Provided that such withdrawal shall be allowed after the account holder attains the age of eighteen years or has passed tenth standard, whichever is earlier.

- (2) The application for withdrawal under sub-paragraph (1) shall be accompanied by documentary proof in the form of a confirmed offer of admission of the account holder in an educational institution or a fee-slip from such institution indicating such financial requirement.
- (3) The withdrawal under sub-paragraph (1) may be made in one lump sum or in instalments, not exceeding one per year, for a maximum of five years, subject to the ceiling specified in sub-paragraph (1):

Provided that the amount of withdrawal shall be restricted to the actual requirement on account of fee and other charges required at the time of admission as shown in the offer of admission or the relevant fee-slip issued by the educational institution.

- **9.** Closure on maturity.-(1) The account shall mature on completion of a period of twenty-one years from the date of its opening.
- (2) The closure of the account may also be permitted before completion of twenty-one years if the account holder on an application makes a request for such closure for the reason of intended marriage of the account holder on furnishing of a declaration duly signed on non-judicial stamp paper attested by the notary supported with proof of age confirming that the applicant will not be less than eighteen years of age on the date of marriage:

Provided that no such closure shall be allowed before one month from the date of the intended marriage or after three months from the date of marriage.

- (3) On an application in Form-4 by the account holder, the balance outstanding along with interest as applicable under paragraph 5 shall be payable to the account holder.
- **10. Application of General Rules.-** Provisions of the General Rules shall, so far as may be, apply in relation to the matters for which no provisions have been made in this Scheme.
- 11. Power to relax.- Where the Central Government is satisfied that the operation of any of the provisions of this Scheme causes undue hardship to the account holder, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax the requirement of that provision or provisions in respect of such account holder, in a manner not inconsistent with the provisions of the Act.

[F. No. 2/2/2018-NS (Pt. I)] RAJAT KUMAR MISHRA, Jt. Secy.

FORM - 1 [See sub-paragraph (3) of paragraph 3] (Application for opening an account)

То			
Th	ne Postmaster/Manager		Paste photograph of
•••••			applicant/s
•••••			
Sir,			
		pplicant/guardian) hereby apply f	
under_ Office/		Sukanya Samriddhi A	Account Scheme in your Post
I	tender	herewith	Rs/-
)	
•		nitial deposit. My particulars are as un	_
	Name of the Depositor	1 31	
1.	•		
	Date of Birth		
	Date of Birth	(DD / MM / Y	
		· ·	,
		(In words)	
2.	Name of Guardian		
	Husband/Father /mother's nam	ne	
	Date of Birth		
		(DD / MM / Y	YYY)
		(In words)	
3.	Aadhaar Number of guardian		
4.	Permanent Account Number	(PAN) of guardian	
5.	Present Address		

	Permanent Add	dress				
6.	Contact details	T		er		
0.	Contact actains	1.	•	Number		
)		
7.	Type of Accou	nt	Minor			
8.		Birth Certificate of the de	_			
	a)	Certificate No.				
	b)	Date of Issue				
	c)	Issuing authority				
9.	Details of other	r KYC documents attached	1. Proof	of identification		
			2. Addre	ss proof		
ddres	s;	Letter issued by the Na of the account will be:-	(a) By the (on Register contaguardian till the december of the depositor hersel	lepositor attain	s majority.
11	1. Specimen Sign	natures	(<i>b</i>) <i>b</i> ; th	e depositor nerse.	ir on accaning	inajorny,
1				3.,	,	
Ιh	nereby declare the	hat I have not opened a haber 1 in any of the Post of	Sukanya Samrio	ldhi Account in	the name of	the depositor
		nat I and the depositor both			nd undertake t	to inform the
		e to abide by the scheme pre and amendments issued			ngs Promotion	Rules, 2018
				Signature or thu	-	_
		_			Date:	
xclusi	ion of all other	her persons in the event	of my death	the amount s	tanding to n	ny credit in
S.No.	Name(s) of the nominee(s) are	nd	Aadhaar number of	Date of birth of nominee in	Share of entitlement	Nature of entitlement
	relationship		nominee (optional)	case of minor		Trustee or owner

1						
2						
3						
4						
As the	nominee(s) at Serial	No.(s)		specified abov	ve is/are minor	(s), I appoint
Shri/Sı	mt/Kumari		S/o,D/o,W/o)		
				to receive		
	nt in the event of my				the sum due u	nuci the said
1. Sign	nature of witness					
Name	& Address					
2. Sign	nature of witness					
Name	& Address					
				Signature or th	umb impression	n of guardian
Place:						
Date:						
		For	use of Post Offi	ce/Bank		
T	he account has been	opened in the na	me of		on	with
Ti initial	he account has been deposit c	opened in the na	me of			
initial No	deposit	opened in the na of Rs dated	me of			
initial No Custon	deposit of the deposi	opened in the na of Rs dated umber	me of	·································	with	Account
initial No Custor Nomin	deposit of the deposi	opened in the na of Rs dated amber	been		with	
initial No Custor Nomin	deposit of the deposi	opened in the na of Rs dated amber	been	·································	with	Account
initial No Custor Nomin No	deposit of the deposi	opened in the na of Rs dated umber hasdated	been		with	Account
initial No Custor Nomin No	deposit of the deposi	opened in the na of Rs dated umber hasdated	been		with	Account
initial No Custor Nomin No	deposit of the deposi	opened in the na of Rs dated umber hasdated etent authority.	been d	regist	with	Account
initial No Custor Nomin No	deposit of the deposi	opened in the na of Rs dated imber hasdated etent authority.	been fORM - 2 paragraph (1) of	regist	with	Account
initial No Custor Nomin No	deposit of the deposi	opened in the na of Rs dated imber hasdated etent authority.	been fORM - 2 paragraph (1) of	regist	with	Account
initial No Custor Nomin No	deposit of the deposi	opened in the na of Rs dated imber hasdated etent authority.	been fORM - 2 paragraph (1) of	regist	with	Account
initial No Custon Nomin No Signate	deposit of the deposi	opened in the na of Rs dated imber hasdated etent authority.	been fORM - 2 paragraph (1) of	regist	with	Account
initial No Custon Nomin No Signate	deposit of mer identification Nutation ure and seal of compostmaster/Manager	opened in the na of Rs dated imber hasdated etent authority.	been fORM - 2 paragraph (1) of for premature cl	regist	with	Account
To, The Po	deposit of mer identification Nutation ure and seal of compostmaster/Manager	opened in the na of Rs dated mber hasdated etent authority. [See sub- (Application	been fORM - 2 paragraph (1) of for premature cl	regist	with	Account
To, The Po	deposit of mer identification Nutration ure and seal of composit ostmaster/Manager	opened in the na of Rs dated umber hasdated etent authority. [See sub- (Application	FORM - 2 paragraph (1) of for premature cl	paragraph 7] osure of account)	with	Account
To, The Po	deposit of mer identification Nutration ure and seal of compostmaster/Manager	opened in the na of Rs dated umber hasdated etent authority. [See sub- (Application	FORM - 2 paragraph (1) of for premature cl	regist	with	Account vide

..... Sir. I(Depositor/guardian) hereby apply for withdrawal from my account as per details below:-

Account Nu	mber:
Amount of v	vithdrawal applied
	that the amount sought to be withdrawn to be availed is required for the use ofwho is alive and still a Minor.
	se Credit the amount of withdrawal to my SB Account no standing(Name of Account office).
	or
Please issue	a Demand Draft/account payee cheque
	or
Please pay in	n cash (applicable if the amount is below permissible limit of cash payment).
3. I central with.	rtify that all the conditions applicable under scheme for grant of withdrawal have been complied
Necessary d	ocuments as applicable are attached as under:-
1.	
2.	
	Signature or thumb impression of depositor/guardian
(Attestation	is applicable in case of thumb impression)
	For office use only
	Payment detail
Amount ava	ilable in Account Rs
Date of Initi	al Subscription
Date on whi	ch last withdrawal was allowed
Total Amou	nt granted for withdrawal Rs(In figures)
(In words)_	
Date Stamp	Signature of Postmaster/Manager
	Acquittance
	(to be filled by depositor)
Received Reno	S(In figures)(in words) By cash/cheque/DD bearing dated/by transfer to Account No
Date	Signature/thumb impression of depositor/guardian FORM – 4
	[See sub-paragraph (3) of paragraph 9]
	(Application for closure of account)
Name of P	ost Office/Bank Date
Account N	
1. I her	reby submit pass book/deposit receipt book and apply for closure of my above mentioned account.

	edit the amount of eligible ba		matured account to my SB Account (Name of Account office).
		or	,
Please issue a Dema	and Draft/account payee cheque		
		or	
Please pay in cash (applicable if the amount is below	permissible lin	nit).
	ne amount sought to be with		be availed is required for the use of
		Signature of	or thumb impression of depositor/guardian
(Thumb impression	should be attested by a person kn	own to Accoun	nts office)
	Payment O	rder	
	(For offi	ice use only)	
			Date
	Paym	ent detail	
Principal amount R	S		
(+) Interest due Rs.			
(-) Recovery of overpaid i	interest Rs.		
	<u> </u>		
·			
Total Amount due I	Rs		
Pay Rs	(in figurers)		(in words)
Date			
			Signature of Postmaster/Manager
	Acc	quittance	
	(to be fille	ed by depositor	·)
Received Rs	(In figures)dated	/by tra	(in words) By cash/cheque/DD bearing nsfer to Account No
Date		Signature/th	numb impression of depositor/guardian
	_		

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2019

सा.का.नि. 915(अ).— केन्द्रीय सरकार, सरकारी बचत संवर्धन अधिनियम, 1873 (1873 का 5) की धारा 3क द्वारा प्रदत्त शक्तियोँ का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :-

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ–(**1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम लोक भविष्य निधि स्कीम, 2019 है।
 - 2. ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवत्त होगा।
- 2. परिभाषा (1) इस स्कीम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

- (क) "खाता" से इस स्कीम के अधीन खोला गया खाता अभिप्रेत है;
- (ख) "खाता धारक" से जिसके नाम खाता धारित हो, वह व्यक्ति अभिप्रेत है;
- (ग) "अधिनियम" से सरकारी बचत संवर्धन अधिनियम, 1873 (1873 का 5) अभिप्रेत है;
- (घ) "प्ररुप" से इस स्कीम से संलग्न प्ररुप अभिप्रेत है;
- (ङ) "साधारण नियम" से सरकारी बचत संवर्धन साधारण नियम,2018 अभिप्रेत है;
- (च) "वर्ष" से वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है ।
- (2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीँ है, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में और साधारण नियम में है ।
- 3. **खातौँ की संख्या की सीमा** (1) कोई व्यक्ति प्ररुप-1 में आवेदन देकर खाता खोल सकेगा।
- (2) कोई व्यष्टि, प्रत्येक अवयस्क या विकृत्त चित्त व्यक्ति, जिसका वह संरक्षक है, की ओर से भी खाता खोल सकेगा:

परंतु, किसी संरक्षक द्वारा अवयस्क या विकृत्त चित्त व्यक्ति के नाम से केवल एक खाता खोला जाएगा।

- (3) इस स्कीम के अधीन संयुक्त खाता नहीँ खोला जाएगा।
- 4. **अभिदान की सीमा** (1) एक निक्षेप पचास रुपए के गुणक में पांच सौ रुपए से कम और एक लाख पचास हजार रुपए से अधिक न हो, एक वर्ष में खाता में किया जा सकेगा।
- (2) किसी व्यष्टि द्वारा उप-पैरा (1) में यथा विनिर्दिष्ट एक लाख पचास हजार रुपए की अधिकतम सीमा स्वयं के खाते में किए गए निक्षेपों का समावेशी होगा।
- 5. **निक्षेप करने की रीति** (1) कोई खाता कम से कम पांच सौ रुपए के निक्षेप से खोला जा सकेगा और उसके पश्चात् पचास रुपए के गुणक में कोई भी राशि निक्षेप की जा सकेगी।
- (2) खाते में निक्षेप पैरा 4 में उल्लिखित सीमाओं के अधीन खाते में एक मुश्त राशि या किस्तों में किया जा सकेगा।
- 6. **खाते को बंद करना** (1) कोई खाता, जिसमें कोई खाताधारक प्रारंभिक वर्ष में पांच सौ रुपए जमा करके, निम्नलिखित वर्षों में न्यूनतम रकम का निक्षेप करने में असफल रहता है, तो उसका खाता बंद हुआ समझा जाएगा।
- (2) उप-पैरा (1) के अधीन बंद किया गया कोई खाता प्रत्येक वर्ष की त्रुटि के लिए न्यूनतम पांच सौ रुपए बकाया के साथ पचास रुपए फीस का संदाय परिपक्वता अवधि के दौरान करके पुनरुजीवित कर सकेगा:

परंतु बंद किये गए खाते में अतिशेष इसकी परिपक्वता के पूर्व खाता धारक द्वारा पुनरुजीवित नहीं है, समय-समय पर स्कीम की लागू दर पर ब्याज पाता रहेगा ।

(3) बंद खाते का खाता धारक, परिपक्वता के पश्चात् ऐसे बंद खाते की बंदी के पूर्व नया खाता खोलने के लिए अई नहीँ होगा:

पंरतु ऋण और आंशिक प्रत्याहरण की सुविधा ऐसे खाते में अनुज्ञात नहीँ की जाएगी और खाताधारक ऐसे खाते की अंतिम बंदी तक इस स्कीम के अधीन अपने नाम से अन्य खाता खोलने से प्रतिषिद्ध होगा।

- (4) ऋण और आंशिक प्रत्याहरण की सुविधा इस स्कीम के उपबंधों के अनुसार केवल नियमित खातों के लिए अनुज्ञात की जाएगी।
- (5) पैरा 4 में यथा विनिर्दिष्ट एक वर्ष में कुल निक्षेप पूर्ववर्ती वर्षों के व्यतिक्रम के वर्षों के संबंध में किए गए निक्षेपों सहित होगा परंतु व्यतिक्रम रहित को अपवर्जित करेगा।
- 7. **ब्याज** (1) प्रतिवर्ष 7.9 प्रतिशत ब्याज मास के पांचवे दिन और अंतिम दिन की समाप्ति के बीच खाते की जमा पर निम्नतम अतिशेष पर कैलेन्डर मास के लिए अर्ह होगा।
- (2) प्रत्येक वर्ष के अंत में खाते पर ब्याज जमा होगा।
- (3) वर्ष के दौरान अंतरण के कारण लेखा कार्यालय के परिवर्तन का विचार किए बिना वर्ष के अंत में जमा किया जाएगा ।
- 8. ऋण (1) वर्ष के अंत से एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात् किसी भी समय जिसमें आरंभिक अभिदान किया गया था, परंतु वर्ष के अंत से पांच वर्षों की समाप्ति से पूर्व जिसमें आरंभिक अभिदान किया गया था, खाता धारक तात्कालिक पूर्ववर्ती वर्ष के

दूसरे वर्ष की समाप्ति पर,जिसमें ऋण के लिए आवेदन किया है, उसके जमा के लिए जारी कुल रकम का पच्चीस प्रतिशत से अनधिक राशि के ऋण को सम्मिलित करके प्राप्त करने के लिए लेखा कार्यालय को प्ररुप-2 में आवेदन कर सकेगा।

- (2) अवयस्क या विकृत्तचित्त व्यक्ति की ओर से खोले गए खाते के मामले में, सरंक्षक लेखा कार्यालय में निम्नलिखित प्रमाण पत्रों को जमा करके अवयस्क या विकृत्तचित्त व्यक्ति के लाभ के लिए ऋण हेतु आवेदन दे सकेगा, अर्थात् :-
- "यह प्रमाणित किया जाता है कि प्रत्याहरण की मांग के बीच उपयोग के लिए अपेक्षित है और श्री/श्रीमती/मास्टर/ कुमारी....... के कल्याण के लिए, जो अवयस्क/विकृत्तचित्त व्यक्ति/शारीरिक शैथिल्यता के कारण अपने खाते का प्रचालन करने में असमर्थ व्यक्ति है और दिन.......मास......वर्ष......वर्ष जीवित है ।"
- (3) खाता धारक नए ऋण के लिए तब तक हकदार नहीं होगा जब तक पूर्ववर्ती ऋण का उसके ब्याज सहित पूर्णतया प्रतिसंदाय न कर दे।
- (4) खाता धारक एक वर्ष में केवल एक ऋण के लिए हकदार होगा।
- 9. ऋण और ब्याज का प्रतिसंदाय-(1) ऋण का मूल रकम अनुगामी मास जिसमें ऋण स्वीकृत किया गया है, के मास के प्रथम दिन से छत्तीस मास की समाप्ति के पूर्व खाता धारक द्वारा प्रतिसंदाय किया जाएगा:

परंतु, प्रदिसंदाय या तो एकमुश्त राशि या किस्तों में कर सकेंगे।

(2) ऋण के मूल रकम का पूर्णतया प्रतिसंदाय के पश्चात्, खाता धारक अनुगामी मास के जिसमें मास के अंतिम दिन ऋण लिया गया है, जिसमें ऋण की अंतिम किस्त का प्रतिसंदाय किया गया है, के मास के प्रथम दिन से आरंभ होने वाली अवधि के लिए मूल ऋण एक प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर दो मासिक किस्तों से अनिधक ब्याज संदत्त करेगा:

परंतु, जहां छत्तीस मास की अवधि के भीतर ऋण का प्रतिसंदाय नहीं किया गया है, या भाग में प्रतिसंदाय किया गया है, बकाया ऋण के रकम पर ब्याज एक प्रतिशत प्रति वर्ष के एवज में छः प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से भारित होगा, अनुगामी मास के प्रथम दिन से प्रभावी, जिसमें ऋण प्राप्त किया गया था, मास के अंतिम दिन जिसमें ऋण का अंतिम रुप से प्रतिसंदाय किया गया।

- (3) उप-पैरा (2) के परंतुक के अधीन बकाया ऋण की रकम पर ब्याज और संदत्त ब्याज का कोई भाग, जो संदत्त नहीं है, किसी ऋण पर मूल रकम छत्तीस मास की अविध के भीतर पहले से ही प्रतिसंदत्त है, बकाया होने पर, खाता-धारक के खाते से विकलित की जाएगी।
- (4) वसूली योग्य ब्याज केन्द्रीय सरकार को प्रोत्भृत होगा।
- (5) बकाया ऋण पर ब्याज, जो छत्तीस मास की समाप्ति के पूर्व संदत्त नहीं है या भागतः संदत्त है, प्रत्येक वर्ष के अंत में खाता धारक के खाते से विकलित होगा ।
- (6) खाता धारक की मृत्यु की दशा में, नामिती या विधिक उत्तराधिकारी खाता धारक द्वारा उपयोग किए गए ऋण पर ब्याज के संदाय के लिए उत्तरदायी होगा, परंतु उसकी मृत्यु से पूर्व संदत्त न किया हो । ऐसे देय ब्याज की रकम खाते के अंतिम बंदी के समय समायोजित किया जाएगा ।
- 10. **खाते से प्रत्याहरण** (1) उस वर्ष के अंत से पांच की समाप्ति के पश्चात् किसी भी समय, जब खाता खोला गया था, खाता धारक अपने प्रत्यय के अतिशेष से प्ररुप-2 में आवेदन करके प्रत्याहरण का उपयोग कर सकेगा, जो रकम के पचास प्रतिशत से अधिक की रकम न हो, जो प्रत्याहरण के वर्ष के तत्काल चार पूर्ववर्ती वर्ष के अंत पर या पूर्ववर्ती वर्ष की समाप्ति पर, जो भी न्युनतम हो:

परंतु, बकाया ऋण की रकम, यदि कोई हो, ब्याज के साथ इस पैरा के अधीन प्रत्याहरण की सुविधा का उपभोग करने से पूर्व खाता धारक द्वारा संदत्त किया जाएगा :

परंतु यह और कि प्रत्याहरण की सुविधा केवल खातों से वर्ष में केवल एक बार उपयोग कर सकेगा, जो बंद न हुआ हो ।

(2) अवयस्क या विकृत्तचित्त व्यक्ति की ओर से खोले गए खाते की दशा मे, संरक्षक लेखा कार्यालय में निम्नलिखित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करके अवयस्क या विकृत्तचित्त व्यक्ति के लाभ के लिए प्रत्याहरण हेतु आवेदन कर सकेगा, अर्थातु :-

"प्रमाणित	किया जाता	है वि	के श्री/श्र	गिमति/मा	ास्टर/कुम	ारी				जो	अवयस्क	/विकृत्तचित्त
व्यक्ति/शारिरिक	दुर्बलता	के	कारण	अपना	खाता	खोलने	में	असमर्थ	व्यक्ति	है		
(दिन)	(मास	Г)			(वर्ष) के	ा जीवित	है, के	प्रयोग और	र कल्याण	ा के लिए	अपेक्षित है	है ।"

- 11. **परिपक्वता के पश्चात् निक्षेपों के बिना खाते की बंदी या खाते को चालू रखना-** (1) वर्ष के अंत से पंद्रह वर्ष की समाप्ति के पश्चात् िकसी भी समय, जब वह खाता खोला गया था, खाता धारक अपने खाते की बंदी के लिए खाता कार्यालय को प्ररुप-3 में आवेदन कर सकेगा। खाता कार्यालय पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन तक, जिसमें खाता बंद किया गया है, बकाया ब्याज सहित सम्पूर्ण अतिशेष के प्रत्याहरण की अनुज्ञा देगा।
- (2) खाता धारक किसी अवधि के लिए किसी भावी निक्षेपों को किए बिना परिपक्वता के पश्चात् अपने खाते का प्रतिधारण कर सकेगा और खाते का अतिशेष स्कीम के लिए लागू दर पर ब्याज प्राप्त करता रहेगा :

परंतु, खाता धारक अतिशेष के भीतर किसी रकम का प्रत्येक वर्ष में एक प्रत्याहरण कर सकेगा ।

- (3) एक वर्ष से अधिक निक्षेपों के बिना खाता एक बार चालू है, तो खाता धारक को पुनः निक्षेपों के साथ खाते को चालू रखने का विकल्प नहीं होगा ।
- 12. **परिपक्वता के पश्चात् निक्षेपों के साथ खाते का विस्तार** (1) पैरा 11 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, खाता धारक वर्ष के अंत से पंद्रह वर्षों की समाप्ति पर, जिसमें खाता खोला गया था अपने खाते का विस्तार कर सकेगा और प्ररुप-4 में लेखा कार्यालय को आवेदन द्वारा आगे पांच वर्षों की ब्लाक अविध के लिए पैरा 4 के अधीन निक्षेप को चालू रख सकेगा।
- (2) उप-पैरा (1) के अधीन खाते के विस्तार का विकल्प खाते के परिपक्वता से एक वर्ष की समाप्ति के पूर्व खाता धारक द्वारा किया जा सकेगा:

परंतु, अवयस्क या विकृत्तचित्त व्यक्ति की ओर से खोला गया खाता संरक्षक के अनुरोध पर विस्तारित किया जा सकेगा।

(3) यदि खाता धारक परिपक्वता की तारीख से एक वर्ष के भीतर खाते को चालू करने के लिए अपने विकल्प देने में असफल रहता है, तो खाते में कोई भी निक्षेप नहीं किया जा सकता है। ऐसे खाते में किया गया कोई भी निक्षेप अनियमित समझा जाएगा और किसी ब्याज के बिना तत्काल लेखा कार्यालय द्वारा वापस कर दिया जाएगा।

परंतु, परिपक्वता की तारीख पर खाते में अतिशेष बंदी के मास के पूर्ववर्ती मास के अंत तक प्राप्त को चालू रखेगा ।

(4) स्कीम के पैरा 10 के अधीन आंशिक प्रत्याहरण की सुविधा उप-पैरा (1) के अधीन विस्तारित खाते के लिए उपलब्ध होगा, पांच वर्षों के ब्लाक अविध के दौरान कुल प्रत्याहरण की शर्त के अधीन यह है कि ब्लाक अविध के आरंभ पर अतिशेष के साठ प्रतिशत से अधिक नहीं होगा:

परंतु प्रत्याहरण, उपर्युक्त यथा विनिर्दिष्ट अधिकतम सीमा के अधीन या तो एकल या वार्षिक किस्तों में किया जा सकेगा।

- (5) उप-पैरा (1) उप-पैरा (4) तक के उपबंध पांच वर्षों की प्रत्येक विस्तारित ब्लाक अवधि की समाप्ति पर परिपक्वता के पश्चात् के खातों पर भी लागू होगा ।
- (6) यदि खाता, एक या पांच से अधिक ब्लाक अवधियों के लिए निक्षेपों के साथ चालू है, खाता धारक किसी ब्लाक, अवधि के पूर्ण होने पर निक्षेपों के बिना खाते को छोड़ सकेगा और खाता के बंद होने तक ब्याज पाता रहेगा तथा खाता धारक खाते से प्रत्येक वर्ष एक प्रत्याहरण कर सकेगा।
- (7) खाता धारक, जो पांच वर्षों की अवधि के लिए खाते के विस्तार के लिए अपने विक्ल्प को दिया है, बाद के प्रक्रम पर अपने अनुरोध को प्रत्याहरण करने के लिए विकल्प नहीँ होगा।
- 13. **खाते की समयपूर्व बंदी**—(1) एक खाता धारक निम्नलिखित आधारों में से किसी आधार पर, प्ररुप 5 में लेखा कार्यालय को आवेदन अपने खाते या अवयस्क या विकृत्तचित्त व्यक्ति, जिसका वह संरक्षक है, की समयपूर्व बंदी अनुज्ञात की जाएगी, अर्थात्:-
- (क) खाता धारक, उसकी पति पत्नी या आश्रित बच्चे या माता-पिता के जानलेवा बीमारी का ईलाज, चिकित्सा प्राधिकारी के ईलाज से सहयोगकारी दस्तावेजों और ऐसे रोगों को स्पष्ट करने वाली चिकित्सा रिपोर्ट के प्रस्तुत करने पर;
- (ख) भारत या विदेश में उच्च शिक्षा के लिए मान्यताप्राप्त संस्थान में प्रवेश की पुष्टि में दस्तावेजों और फीस के बिलों को प्रस्तुत करने पर खाता धारक या आश्रित बच्चों की उच्च शिक्षा;
- (ग) पासपोर्ट या वीजा या आयकर विवरणी के प्रस्तुत करने पर खाता धारक के निवासी प्रास्थिति में परिवर्तन होने पर: परंतु इस स्कीम के अधीन खाता वर्ष के अंत से, जिसमें खाता खोला गया था, पांच वर्षों की समाप्ति से पूर्व बंद नहीं होगा :

परंतु यह और कि ऐसे समयपूर्व बंदी पर, खाता का ब्याज ऐसे दर पर अनुज्ञात की जाएगी, जो उस दर से एक प्रतिशत के कम होगा, जो खाते के खोलने की तारीख से या खाते के विस्तार की तारीख से, जैसी भी स्थिति हो, समय-समय पर खाते में प्रत्यय हुई है।

- 14. **खाताधारक की मृत्यु पर खाते की बंदी** (1) खाताधारक की मृत्यु होने पर खाता बंद हो जाएगा और नामनिर्देशिती या विधिक उत्तराधिकारी खाते को चालू करने के लिए अनुज्ञात नहीं होगा।
- (2) मृत खाताधारक के खाते में अधिशेष पूर्ववर्ती मास के अंत पर जिसमें पात्र अधिशेष नामनिर्देशिती या विधिक उत्तराधिकारी को जैसी भी दशा हो, मास के अंत तक ब्याज दिया जाएगा ।
- 15. **कुर्की से प्रत्यय अधिशेष का संरक्षण** किसी खाताधारक के प्रत्यय में रखी गई रकम खाताधारक द्वारा उद्भूत किसी ऋण या दायित्व के संबंध में किसी न्यायालय के किसी आदेश या डिक्री के अधीन कुर्की के लिए दायी नहीं होगा ।
- 16. **साधारण नियम का आवेदन** साधारण नियमों का उपबंध जहां तक हो सके, ऐसे मामलों के संबंध में लागू होगा जिसके लिए इस स्कीम में कोई उपबंध न किया गया हो ।
- 17. **शिथिल करने की शक्ति** जहां केंद्रीय सरकार खाताधारक के किसी असम्यक कठिनाई के कारण इस स्कीम के उपबंधों के प्रचालन पर संतुष्ट हैं तो लिखित में अभिलिखित कारणों और आदेश द्वारा ऐसे उपबंध की अपेक्षा या ऐसे खाताधारक के संबंध में उपबंधों से छूट दे सकेगी जो अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो ।

[फा. सं. 2/2/2018-एनएस(भाग-I)] रजत कुमार मिश्रा, संयुक्त सचिव

प्ररुप -1 [पैरा 3 का उप–पैरा (1) देखें] (खाता खोलने के लिए आवेदन)

सवा म,	
डाकपाल/प्रबंधक	
	आवेदक/आवेदकों की फोटो चिपकाएँ
श्रीमान,	
मैंएखाता धारक/संरक्षक) एतद्वारा ल	nेक भविष्य निधि स्कीम के अधीन खाता खोलने के
लिए आवेदन करता हूं ।	
मै आरंभिक जमा के रुप मे	रुपए)
नकद/चैक/डीडी संतारीखद्वारा निविदान क	रते हैं ।
मेरी विशिष्टियां निम्न प्रकार हैः-	
1. खाता धारक का नाम	
पति/पिता/माता का नाम	
जन्म तिथि	
तारीख/मास/वर्ष	(शब्दों में)
2. अवयस्क खाता धारक का नाम	
पिता/माता का नाम या संरक्षक	
जन्म तिथि	
तारीख/मास/वर्ष (शब्दों में)	

3.	खाता धारक/संरक्षक का आधार संख्या	
4.	खाता धारक/संरक्षक के स्थायी खाता संख्या (पैन)	
5.	वर्तमान पता	
	स्थायी पता	
6.	सम्पर्क ब्यौरे	दूरभाष संख्या
		मोबाइल नं.
		ई-मेल आई डी
7.	खाते का प्रकार	एकल या अवयस्क या
		विकृतचित के संरक्षक के माध्यम से या दृष्टिहीन अथवा दिव्यांगजन के प्रधिकृत व्यक्ति द्वारा
8.(*) 3	ावयस्क के जन्म तारीख के ब्यौरे	
	(अवयस्क खाते के मामले में लागू)	
	(क) प्रमाण पत्र सं	
	(ख) जारी करने की तारीख	
	(ग) जारी करने वाला प्राधिकारी	
9 (*)	· · · संरक्षक का नाम (नैसर्गिक/विधिक	
	(अवयस्क/विकृतचित व्यक्ति की ओर से खोले गए खाते की दशा	में)
10.	अन्य संलग्न के वाई सी दस्तावेजो के ब्यौरे	
		1. पहचान का सबूत
		2. पते का सबूत
11.	पहिचान और पते के सबूत के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित	दस्तावेज विधिमान्य दस्तावेजों के रुप में स्वीकृत;
	 पासपोर्ट 2. चालान अनुज्ञप्ति 3. मतदाता पहिचान प गया नरेगा द्वारा जारी जाब कार्ड 5. राष्ट्रीय जनसंख्य हुए जारी पत्र 	त्र 4. राज्य सरकार के अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया ा रजिस्टर द्वारा नाम और पते के ब्यौरे अंतर्विष्ट करते
1.	खाते का संचालन किया जाएगाः- (क) संरक्षक द्वारा खाता धार	. व
	के अवयस्क होने त	क
	(ख) खाता धारक	द्वारा जब वह वयस्क हो जाय
12. नम्	पूना हस्ताक्षर	
	133	
(=	пम)	
किसी भ	मै यह घोषणा करता हूं कि में क्रम संख्या 1 पर वर्णित स्वयं/अव ि डाकखाना/बैंक में नहीं खुलवाया हूं	स्यक के नाम से लोक भविष्यनिधि खाता, देश के
۵٠		

मैं पुनः यह घोषणा करता हूं कि मैं अपने नाम खुले खाते में अधिकतम जमा सीमा का पालन करुंगा और पैरा 4 में उपबंधित अवयस्क के नाम और सीमा से अधिक जमा को स्कीम का उल्लंघन माना जाय।

मैं पुनः घोषणा करता हूं कि मै और अवयस्क दोनों भारत में निवासी नागरिक हैं और वचन देता हूं कि भविष्य में निवास/नागरिकता के बदलने की दशा में खाता कार्यालय को सूचित करुंगा। मैं, स्कीम पर लागू उपबंधों और स्कीम को लागू सरकारी बचत संवर्धन नियम, 2018 और उसके अधीन समय-समय पर जारी संशोधनों, का पालन का वचन देता हूं ।

तारीख

खाता धारक/संरक्षक के हस्ताक्षर या अंगूठा छाप

नामनिर्देशन

13. मैं नीचे उल्लिखित व्यक्तियो का नाम निर्देशन करता हूं जिनको मेरी मृत्यु की दशा में अन्य व्यक्तियों को अपवर्जित करके मेरी जमा रकम को मेरी मृत्यु के समय संदत्त की जाएगीः

क्र.सं.	नाम निर्देशिती(यों) का नाम (के) और संबंध	पूरा पता (पते)	नाम निर्देशिती का आधार संख्यांक नाम (वैकल्पिक)	अवयस्क के मामले में नाम निर्देशिती के जन्म की तारीख	हकदारी का अंश	हकदारी की प्रकृति, न्यासी या स्वामी
1						
2						
3						
4						

चूंकि क्रम संख्या (को) -----विनिर्दिष्ट नाम निर्देशिती(यां) अवयस्क है/हैं, मै श्री/श्रीमती/कुमारी-----पुत्री/पुत्र/पत्नी------निवासी -----को नाम निर्देशितियों की अवयस्कता के दौरान मेरी मृत्यु की दशा में उक्त खाते के अधीन देय राशि को प्राप्त करने के लिए नियुक्त करता हूं।

- साक्षी के हस्ताक्षर---नाम और पता---
- 2. साक्षी का नाम नाम और पता

खाताधारक(कों)/संरक्षक के हस्ताक्षर या अंगूठा छाप

स्थान----तारीख-----

पोस्टऑफिस/बैंक के प्रयोग हेत्

यह खाता	के नाम में तारीख	को रु	के आरंभिक ज	नमा के साथ -	खाता संख्यां	क तारीख	द्वारा
खोला गया है ।							

ग्राहक पहचान संख्यांक----

नाम निर्देशन संख्यांक-----तारीख-----द्वारा रजिस्ट्रीकृत किया गया है।

प्ररुप-2

[पैरा 10 और पैरा 8 का उप-पैरा(1) देखे] (आहरण/ऋण के लिए आवेदन)

सेवा में	
डाकपाल/प्रबंधक	
श्रीमान,	
•	ाताधारक/संरक्षक) एतदद्वारा नीचे दिए गए विवरण के अनुसार मेरे खाते से
ऋण/आहरण के लिए आवेदनः- खाता संख्या	
आवेदित ऋण/आहरण की रकम	
· ·	के लिए चाही गई रकम /लिया गया ऋण जीवित और विद्यमान
	गंख्यामें ऋण/आहरण की जमा रकम
(लेखा कार्यालय का नाम)	
	या
कृपया मांगदेय ड्राफ्ट/पाने वाले के खाते में देय ^द	वेक को जारी करें ।
	या
	गा जब रकम अनुज्ञेय नकदी भुगतान की सीमा से कम है।) ा के अनुदान के लिए स्कीम में अधीन लागू सभी उपबंधों का अनुपालन किया
आवश्यक दस्तावेज, जैसा कि लागू हैं न	ीचे संलग्न हैः-
1.	
2.	
तारीख	खाताधारक/संरक्षक के हस्ताक्षर
	या अंगूठे का निशान
	द्वारा अनुप्रमाणित किया गया
	(अंगूठे के निशान की दशा में अनुप्रमाणन लागू होगा)
	कार्यालय के उपयोग हेतु
	संदाय विवरण
खाते में उपलब्ध राशि	·
प्रारम्भिक अभिदान की तारीख	
तारीख जब अंतिम आहरण/ऋण अनुज्ञात किया	गया था
आहरण/ऋण के लिए मंजूर की गई कुल रकम	(अंकों में)
तारीख मुद्रा	(शब्दों में) डाकपाल/प्रबंधक के हस्ताक्षर

\sim		
ान	स्त	रिण

	PICKET
	(खाता धारक द्वारा भरा जाय)
	(अंकों में)(शब्दों में) रुपए
	ा प्राप्त हुए /चैक /डीडी संख्यादारीखतारीख
^	
तारीख	खाता धारक/संरक्षक के
	हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान
	प्ररुप – 3
	[पैरा 11 के उप-पैरा (1) देखें]
	(खाता बंद करने के लिए आवेदन)
डाकघर/बै	[;] क का नाम
खाता संख	या
1.	मै पासबुक/जमा रसीद प्रस्तुत कर रहा हूं और मेरे उपरोक्त वर्णित खाते को तारीख
	पर परिपक्व होने पर बन्द करने के लिए आवेदन करता हूं।
2.	कृपया मेरे परिपक्क खाते में से उपयुक्त अतिशेषकार्यालय का नाम जहां खाता स्थित
	है) पर मेरे एसबी खाता संख्यामें रकम जमा करें।
	या
-	ा मांगदेय ड्राफ्ट/पाने वाले खाते में देय चेक जारी करे।
=	ा नकद संदाय करे (लागू होगा यदि रकम अनुज्ञेय सीमा से कम है।)
	ग्रमाणित किया जाता है कि खाते की रकम जीवित और विदयमान अवयस्क है उपयोग के आपेक्षित है ।
	खाता धारक/संरक्षक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान
(जमा	कर्ता के अंगूठे का निशान खाते वाले कार्यालय से परिचित व्यक्ति द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए)
	संदेय आदेश
	(केवल कार्यालय प्रयोग के लिए)
	तारीख
	संदाय के ब्यौरे
मूल रकम	रुपयों में
(+) ब्याज	⁻ रकम रुपयों में
(-) अधिव	इत्त ब्याज की वसूलीरूपये
यदि कोई	कटौती है रूपये
देय कुल र	ाशि रूपये
-	रूपये (आंकड़ों में) (शब्दों में)
स्थान:	
तारीख:	

निस्तारण

					a.
1	(जमाकर्ता	दारा	भरा	जाना	로)
- 1		0/1/1			$\langle \cdot \rangle$

(जमाकता ६	क्षरा मरा जाना ह <i>)</i>
खाता संख्या के अंतरण द्वारा ता	रीख नकद/चेक/डीडी बीयरींग संख्या
द्वारा (शब्दों में)	
तारीख:	
	खाताधारक/अभिभावक का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान
2	गरूप- 4
(पैरा 12 क	ा उप पैरा- 1 देखें)
(खाते के विस्त	तार के लिए आवेदन)
सेवा में	
डाकपाल/प्रबंधक	-
,	तारीख हो परिपक्व हो गया है ।
2; मैं अपने पी पी एफ खाता संख्या करता/करती हूँ ।	का आगे 5 वर्ष की अवधि के लिए विस्तार करने के लिए अनुरोध
3; मैंने समय-समय पर यथासंशोधित उक्त स्कीम के अधीन समझ लिया है और उसका पालन कंरुगा/करुँगी।	अवधि के विस्तार के दौरान खाते पर लागू निबंधनों और शर्तों को
मैं धोषणा करता/करती हूँ कि मेरी और अवयस्क की (अव भारत की नागरिकता कायम रहेगी।	यस्क के खाते के मामलें में) 5 वर्ष की अवधि के प्रारंभ के समय
स्थान	
तारीख	
	खाताधारक (कों)/संरक्षक के हस्ताक्षर
	(नाम और पता)
कार्यालय	। प्रयोग के लिए
खाता सं0 जो तारीख	को था और
तारीख को परिपक्व हुआ था, का	स्कीम के नियम के
	वर्षों की अवधि के लिए विस्तार किया गया है ।
अभिलेखों और पासबुक और जमा रसीद/खाते के विवरण	ा में आवश्यक प्रविष्टियां की जा चुकी है ।
तारीख:	
	डाकपाल/प्रबंधक के हस्ताक्षर

प्ररूप- 5 (पैरा 13 का उप पैरा- 1) (समयपूर्व खाता बंद करने के लिए आवेदन)

सेवा में		
डाकपाल/प्रबंधक		
श्रीमानजी,		
1; मैं अपना बचत खाता संख्या रूपये) हैं को समयपूर्व बंद करना चाहता/चाहती हूँ रकम का संदाय करने का अनुरोध करता/करती हूँ:-		•
कृपया (कार्यालय का नाम जहां ख रकम जमा करें ।	बाता स्थित है) पर मेरे एसबी खात [.]	ा संख्या में
या		
कृपया मांगदेय ड्राफट/पाने वाले खाते में देय चेक जारी	करें ।	
या		
कृपया नगद संदाय करें (लागू होगा यदि रकम अनुज्ञेय र	सीमा से कम है)	
2; मैं यह धोषणा करता/करती हूँ कि वह शर्त जिसवे अनुपालन कर लिया गया है ।	के अधीन खाता परिपक्वता से पूर्व ख	ाता बंद किया जा सकता है, का
निम्नानुसार यथा लागू आवश्यक दस्तावेज संलग्न है:-		
1		
2		
यह प्रमाणित किया जाता है कि खाते की रकम जीविः अपेक्षित है ।	त और विद्यमान अवयस्क	के उपयोग के लिए
तारीख		
	खाताधारक (कों)/संरक्ष	क के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान
(जमाकर्ता के अंगूठे का निशान उस कार्यालय से जहां ख	 ब्राता है, परिचित व्यक्ति द्वारा अनुप्रम	 ाणित किया जाना चाहिए)
केवल व	कार्यालय प्रयोग के लिए	
	संदाय के ब्यौरे	
खाते में उपयुक्त अतिशेष		
घटाई गई शास्ति की रकम		
संदत्त किए जाने वाली कुल रकम	(अंकों में)	
(शब्दों में)		
तारीख:		
		डाकपाल/प्रबंधक के हस्ताक्षर
	मुद्रा	

निस्तारण पत्र

	(खाताधारक/सर्देशवाहक द्वारा भरा जाए)	
(अंको में)	(शब्दों में) रूपये नकद द्वारा प्राप्त हुए/चैक/डीडी संख्या	- तारीख
द्वारा खाता संख्या	में अंतरित किए गए ।	
तारीख:		

खाताधारक (कों)/संरक्षक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th December, 2019

- **G.S.R. 915(E).**—In exercise of the powers conferred by section 3A of the Government Savings Promotion Act, 1873 (5 of 1873), the Central Government hereby makes the following Scheme, namely:-
- **1. Short title and commencement.** (1) This Scheme may be called the Public Provident Fund Scheme, 2019.
- (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
- **2. Definitions.**-(1) In this Scheme, unless the context otherwise requires,-
- (a) "account" means an account under this scheme;
- (b) "account holder" means an individual in whose name the account is held;
- (c) "Act" means the Government Savings Promotion Act, 1873 (5 of 1873);
- (d) "Form" means forms appended to this Scheme;
- (e) "General Rules" means the Government Savings Promotion General Rules, 2018;
- (f) "year" means the financial year.
- (2) Words and expressions used herein but not defined shall have the meanings respectively assigned to them in the Act and in the General Rules.
- **3. Limits of number of accounts.-**(1) An individual may open an account by making an application in Form-1.
- (2) An individual may also open one account on behalf of each minor or a person of unsound mind of whom he is the guardian:

Provided that only one account shall be opened in the name of a minor or a person of unsound mind by any of the guardian.

- (3) Joint account shall not be opened under this Scheme.
- **4. Limits of subscription.-**(1) A deposit which shall not be less than five hundred rupees and not more than one lakh fifty thousand rupees in multiple of fifty rupees may be made in an account in a year.
- (2) Maximum limit of one lakh fifty thousand rupees as specified in sub-paragraph (1) by an individual shall be inclusive of the deposits made in his own account and in the account opened on behalf of the minor.
- **5.** Manner of making deposit.- (1) The account shall be opened with a minimum initial deposit of five hundred rupees and thereafter deposit of any sum in multiples of fifty rupees shall be made.
- (2) The deposit in the account subject to the limits mentioned in paragraph 4 may be made in the account in one lump sum or in instalments.
- **6. Discontinuation of account.-**(1) Any account in which the account holder, having deposited five hundred rupees in the initial year, fails to deposit the minimum amount in the following years, shall be treated as discontinued.

(2) An account treated as discontinued under sub-paragraph (1), may be revived during its maturity period on payment of a fee of fifty rupees along with arrears of minimum deposit of five hundred rupees for each year of default:

Provided that the balance in a discontinued account not revived by the account holder before its maturity shall continue to earn interest at the rate applicable to the Scheme from time to time.

(3) The account holder of a discontinued account shall not be eligible to open a new account before closure of such discontinued account after maturity:

Provided that the facility of loan and partial withdrawal shall not be allowed in such an account and the account holder shall be prohibited from opening another account in his name under this Scheme till final closure of such account.

- (4) Facility of loan and partial withdrawal shall be allowed to regular accounts only as per the provisions of this Scheme.
- (5) The total deposit in a year as specified in paragraph 4, shall be inclusive of deposits made in respect of years of default of the preceding years but excluding the default fee.
- **7. Interest.-** (1) Interest at 7.9 per cent. per annum shall be eligible for a calendar month on the lowest balance at the credit of an account between the close of the fifth day and the end of the month.
- (2) Interest shall be credited to the account at the end of each year.
- (3) Interest shall be credited at the end of the year irrespective of the change of the account office due to transfer of the account during the year.
- **8. Loans.-** (1) At any time after the expiry of one year from the end of the year in which the initial subscription was made but before expiry of five years from the end of the year in which the initial subscription was made, the account holder may, apply in Form-2, to the accounts office for obtaining a loan consisting of a sum of whole rupees not exceeding twenty-five per cent. of the amount that stood to his credit at the end of the second year immediately preceding the year in which the loan is applied for.
- (2) In case of an account opened on behalf of a minor or a person of unsound mind, the guardian may apply for the loan for the benefit of the minor or the person of unsound mind by submitting the following certificate to the accounts office, namely:-

- (3) An account holder shall not be entitled to get a fresh loan so long as earlier loan has not been repaid in full together with interest thereon.
- (4) An account holder shall be entitled for only one loan in a year.
- **9. Repayment of loan and interest.-** (1) The principal amount of a loan shall be repaid by the account holder before the expiry of thirty-six months from the first day of the month following the month in which the loan is sanctioned:

Provided that the repayment may be made either in one lump sum or in instalments.

(2) After the principal amount of the loan is fully repaid, the account holder shall pay interest thereon in not more than two monthly instalments at the rate of one per cent. per annum of the principal for the period commencing from the first day of the month following the month in which the loan is drawn upto the last day of the month in which the last instalment of the loan is repaid:

Provided that where the loan is not repaid, or is repaid only in part, within a period of thirty-six months, interest on the amount of loan outstanding shall be charged at six per cent. per annum instead of at one per cent. per annum with effect from the first day of the month following the month in which the loan was obtained, to the last day of the month in which the loan is finally repaid.

- (3) The interest on the amount of loan outstanding under the proviso to sub-paragraph (2) and any portion of interest payable, but not paid, on any loan, the principal amount of which has already been repaid within the period of thirty-six months, may, on becoming due, be debited to the holder's account.
- (4) The interest recoverable shall accrue to the Central Government.
- (5) The interest on outstanding loans which are not paid before the expiry of thirty-six months or paid partly shall be debited to the holder's account at the end of each year.
- (6) In case of death of the account holder, the nominee or legal heir shall be liable to pay interest on the loan availed by the account holder but not repaid before his death. Such amount of due interest shall be adjusted at the time of final closure of the account.
- **10.** Withdrawal from account.- (1) Any time after the expiry of five years from the end of the year in which the account was opened, the account holder may, avail withdrawal by applying in Form-2, from the balance to his credit, an amount not exceeding fifty per cent. of the amount that stood to his credit at the end of the fourth year immediately preceding the year of withdrawal or at the end of the preceding year, whichever is lower:

Provided that the amount of loan outstanding, if any, along with interest shall be paid by the account holder before availing the facility of withdrawal under this paragraph:

Provided further that the facility of withdrawal may be availed only once in a year only from the accounts which have not become discontinued.

(2) In case of an account opened on behalf of a minor, or a person of unsound mind, the guardian may apply for the withdrawal for the benefit of the minor or a person of unsound mind by submitting the following certificate to the accounts office, namely:-

- 11. Closure of account or continuation of account without deposits after maturity.- (1) Any time after the expiry of fifteen years from the end of the year in which the account was opened, the account holder may apply in Form-3 to the accounts office for the closure of his account. The accounts office shall allow the withdrawal of the entire balance along with due interest up to the last day of the month preceding the month in which the account is closed.
- (2) The account holder may retain his account after maturity without making any further deposits for any period and the balance in the account will continue to earn interest at the rate applicable to the Scheme:

Provided that the account holder may make one withdrawal, in each year, of any amount within the balance.

- (3) Once the account is continued without deposits for more than a year, the account holder shall not have the option again to continue the account with deposits.
- **12.** Extension of account with deposits after maturity. (1) Subject to the provisions of paragraph 11, the account holder on the expiry of fifteen years from the end of the year in which the account was opened, may extend his account and continue to make deposit under paragraph 4 for a further block period of five years by applying to the accounts office in Form-4.
- (2) The option of extension of account under sub-paragraph (1) shall be made by the account holder before expiry of one year from the maturity of the account:

Provided that an account opened on behalf of a minor or a person of unsound mind may be extended at the request of the guardian.

(3) No deposits can be made in the account, if the account holder fails to give his option to continue the account within one year from the date of maturity. Any deposit made in such account shall be treated as irregular and refunded by the accounts office immediately without any interest:

Provided that the balance in the account on the date of maturity shall continue to earn interest upto the end of the month preceeding the month of closure.

(4) Facility of partial withdrawal under paragraph 10 of the Scheme shall be available to the account extended under sub-paragraph (1), subject to the condition that the total withdrawal during the block period of five years shall not exceed sixty per cent. of the balance at credit at the commencement of the block period:

Provided that the withdrawal, subject to the ceiling as specified above may be made either in a single or in yearly instalments.

- (5) Provisions of sub-paragraphs (1) to (4) shall also apply on accounts after maturity on expiry of the each extended block period of five years.
- (6) If the account is continued with deposits for one or more five block periods, the account holder may leave the account without deposits on completion of any block period and the account shall continue to earn interest till it is closed and the account holder may make one withdrawal every year from the account.
- (7) An account holder who has given his option for the extension of the account for a period of five years shall not have the option to withdraw his request at a later stage.
- **13. Premature closure of account.-** (1) An account holder shall be allowed premature closure of his account or the account of a minor or person of unsound mind of whom is the guardian on an application to the accounts office in Form-5, on any of the following grounds, namely:-
- (a) treatment of life threatening disease of the account holder, his spouse or dependent children or parents, on production of supporting documents and medical reports confirming such disease from treating medical authority;
- (b) higher education of the account holder, or dependent children on production of documents and fee bills in confirmation of admission in a recognised institute of higher education in India or abroad;
- (c) on change in residency status of the account holder on production of copy of Passport and visa or Incometax return:

Provided that an account under this Scheme shall not be closed before the expiry of five years from the end of the year in which the account was opened:

Provided further that on such premature closure, interest in the account shall be allowed at a rate which shall be lower by one per cent. than the rate at which interest has been credited in the account from time to time since the date of opening of the account, or the date of extension of the account, as the case may be.

- **14.** Closure of account on death of the account holder. (1) In the event of the death of the account holder, the account shall be closed and the nominee or the legal heir shall not be allowed to continue the account.
- (2) The balance in the account of the deceased account holder shall earn interest till the end of the month preceding the month in which the eligible balance is paid to the nominee or the legal heir, as the case may be.
- **15. Protection of credit balance from attachment.-** Amount standing to the credit of any account holder shall not be liable to attachment under any order or decree of any court in respect of any debt or liability incurred by the account holder.
- **16. Application of General Rules.-** Provisions of the General Rules shall, so far as may be, apply in relation to the matters for which no provisions have been made in this Scheme.
- **17. Power to relax.-** Where the Central Government is satisfied that the operation of any of the provisions of this Scheme causes undue hardship to an account holder, it may, by order for reasons to be recorded in writing, relax the requirements of that provision or provisions in a manner not inconsistent with the provisions of the Act.

[F. No. 2/2/2018-NS (Pt. I)] RAJAT KUMAR MISHRA, Jt. Secy.

FORM - 1

[See sub-paragraph (1) of paragraph 3] (Application for opening an account)

10			
The Postmaster/Manage			Paste photograph of applicant/s
Sir,	(account h	aldam/ayamdian) hamahy an	mly for anaming of an account under
Public Provident Fund Schei		older/guardian) hereby ap	ply for opening of an account under
I tend		herewith	Rs/-
(Rs			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
No date		deposit. My particulars are	as under:-
1. Name of account ho			
Husband/Father /mo			•••
Date of Birth			
		(DD / MM /	Y YYYY)
		(In words)	
		OR	
2. Name of minor acco	ount holder	OK	
		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
Father /mother's nar	me or the guardia	ın	
Date of Birth			
Dute of Birth		(DD / MM /	
		•	
3. Aadhaar Number of	account holder/g	guardian	
4. Permanent Account	Number (PAN)	of account holder /guardia	n
5. Present Address			
3. Tresent Address			
Permanent Address			
remanent radicss			••••••
6. Contact details			
	Telephone Number		
		Eman ID	
7 Type of Account		Single or through	gh Guardian for Minor or
7. Type of Account	7. Type of Account		ound mind or blind or differently
		-	authorized person

8. (*) Details of date of birth proof	
(Applicable in case of minor account)	
d) Certificate No.	
e) Date of Issue	
f) Issuing authority	
9. (*) Name of Guardian (Natural/Legal)	
(In case the account is opened on behalf of a Minor/person of unsound mind)	
10. Details of other KYC documents attached	1. Proof of identification
as valid documents for the purpose of identification and address proof: 1. Passport 2. Driving license 3. Voter's ID card 4. Job card issued by NREGA signed by the State Government officer 5. Letter issued by the National Population Register containing details of name and address);	2. Address proof
The operation of the account will be:- majority.	(a) By the Guardian till the account holder attains(b) By the account holder on attaining majority,
12. Specimen Signatures	
1	
I hereby declare that I have not opened a Public P mentioned at serial number 1 in any of the Post office/	rovident Fund Account in the name of the myself/minor Bank in the country.
•	f maximum deposit in the accounts opened in my name raph 4 and any deposit in excess of the ceiling will be
I further declare that I and the minor both are account office of any change in our residency/citizensl	Resident citizen of India and undertake to inform the hip status in future.
I hereby undertake to abide by the scheme provapplicable on the Scheme and amendments issued there	isions and Government Savings Promotion rules-2018 eto from time to time.
Sig	gnature or thumb impression of account holder /guardian

Date:....

Nomination						
13. Ihereby nominate the person(s) mentioned below to whom to the exclusion of all other persons in the event of my death the amount standing to my credit at the time of my						
S.No.	Name(s) of the nominee(s) and relationship	Full address (s)	Aadhaar number of nominee (optional)	Date of birth of nominee in case of minor	Share of entitlement	Nature of entitlement Trustee or owner
1						
2						
3						
4						
As the nominee(s) at Serial No.(s)						
Date:		For use o	f Post Office/I	Rank		
For use of Post Office/Bank The account has been opened in the name of						
Custon	ner identification Nu	mber				
Nomin	ation has been registe	ered vide				
No			dato	ed		
Signature and seal of competent authority.						
]	FORM - 2			
[See sub-paragraph (1) of paragraph 8 and paragraph 10]						
(Application for Loan/Withdrawal)						
To,						
The Po	ostmaster/Manager					
	•••••					
Sir,	•••••					
511,	I			(account hold	ler /guardian)	hereby apply

for loan/withdrawal from my account as per details below:-

Account Number:			
Amount of Loan/withdrawal ag	pplied		
	sought to be withdray	vn/loan to be availed is required for	the use of
2. Please Credit the amost standing at		o my SB Account nooffice).	
•	or		
Please issue a Demand Draft/a	ccount payee cheque		
	or		
Please pay in cash (applicable	if the amount is below per	missible limit of cash payment).	
3. I certify that all the complied with.	provisions applicable und	ler scheme for grant of withdrawal/loa	n have been
Necessary documents as application 1.	cable are attached as under	:-	
	Signature or thumb imp	ression of account holder/guardian	
Attested By		ression of account notice/guardian	
(Attestation is applicable in ca			
(Tittestation is applicable in ea	se of thame impression)		
	For office u	ise only	
	Payment	•	
Amount available in Account	•		
Date of Initial Subscription			
Date on which last withdrawal			
Total Amount granted for with	drawal/loan Rs	(In figures)	
(In words)			
Date Stamp	Signature of Pos	tmaster/Manager	
	Acquitt		
D 1 1 D	(to be filled by ac	•	/DD 1 :
Received Rs	(In figures)	(in words) By cash/cheque/by transfer to Account No	e/DD bearing
110	uaicu	/by transfer to Account 100	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Date	Signature/thumb impres	ssion of account holder /guardian	
	FORM		
	[See sub-paragraph (1		
	(Application for clo		
Name of Post Office/Bank		Date	
Account Number			

1. matured	I hereby submit pass book/deposit receipt and apply for closure of my above mentioned account don
2.	Please Credit the amount of eligible balance in my matured account to my SB Account standing at(Name of Account office).
	or
Please i	issue a Demand Draft/account payee cheque
	or
Please p	pay in cash (applicable if the amount is below permissible limit).
	ied, that the amount sought to be withdrawn/loan to be availed is required for the use ofwho is alive and still a Minor.
	Signature or thumb impression of account holder /guardian
(Thumb	o impression should be attested by a person known to Accounts office)
	Payment Order
	(For office use only)
	Date
	Payment detail
Principa	al amount Rs
(+) Inte	erest due Rs
(-) Recove	ery of overpaid interest Rs
Deducti	ion if any Rs
Total A	mount due Rs
Pay Rs.	(in figurers)(in words)
Date	
	Signature of Postmaster/Manager
	Acquittance
	(to be filled by depositor)
	ed Rs(In figures) (in words) By cash/cheque/DD bearing
Date:	Signature/thumb impression of account holder /guardian
	FORM - 4
	[See sub-paragraph (1) of paragraph 12]
	(Application for extension of account)
To,	
The Pos	stmaster/Manager
Sir,	
1.	My PPF account number has matured on
2.	I request for extension of my PPF account numberfor a further block period of five years.

under the said scheme as amended from time to time and shall abide by them.

3. I have understood the terms and conditions applicable to the account during the period of extension

I hereby declare that I, and the minor (in case of minor account) continues to be Resident Citizen of India at the time of commencement of the block period of five years. Date Signature of the account holder /guardian Place (Name and address) For the use of Accounts Office The account no....... which was opened on with Rs..... (Rupees....., has been rule......of the....scheme. Necessary entries have been made in the records and pass book/deposit receipt/ statement of account. Date Signature of Postmaster/Manager Seal **FORM - 5** [See sub-paragraph (1) of paragraph 13] (Application for premature closure of account) To, The Postmaster/Manager Sir. I wish to prematurely close my Account No_____ ____ having balance of 1. _(Rupees__ Only) and request you to pay the amount after deduction of applicable penalty, as per details given below:-Please Credit the amount to my SB Account no._____ standing (Name of Account office). Please issue a Demand Draft/account payee cheque or Please pay in cash (applicable if the amount is below permissible limit) I hereby declare that the provisions under which the account can be closed before maturity have been complied with. Necessary documents as applicable are attached as under:-1. 2. *Certified, that the amount sought to be withdrawn/loan to be availed is required for the use ofwho is alive and still a Minor. Signature or thumb impression of account holder /guardian Date:-____

(Thumb impression of the depositor should be attested by a person known to the accounts office)

For office use only

		Payment detail	
Eligible balance in Account	₹		
Less Penalty amount ₹			
Total Amount to be paid ₹.	·	(In f	figures)
(In words)			
Date Stamp		Signature of Postmaster/M	Ianager
	(to be filled	Acquittance by account holder/ messen	nger)
			words) By cash/cheque/DD bearing
No.)		•	
Date: Place:		Signature/thumb impres	ssion of account holder/guardian

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2019

सा.का.नि. 916(अ).— केंद्रीय सरकार, सरकारी बचत संवर्धन अधिनियम, 1873, (1873 का 5) की धारा 3क और धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम, 2019 है।
- (2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।
- 2. परिभाषाएं- (1) इस स्कीम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
- (क) "खाता" से इस स्कीम के अधीन खोला गया खाता अभिप्रेत है;
- (ख) "खाता धारक" से ऐसा व्यष्टि अभिप्रेत है जिसके नाम में खाता अभिनिर्धारित है;
- (ग) "अधिनियम" से सरकारी बचत संवर्धन अधिनियम, 1873 (1873 का 5) अभिप्रेत है;
- (घ) "प्ररूप" से इस स्कीम से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है;
- (ङ) "साधारण नियम" से सरकारी बचत संवर्धन साधारण नियम, 2018 अभिप्रेत है;
- (च) "वर्ष" से खाता में निक्षेप की तारीख से प्रारंभ होने वाले बारह माह की अवधि अभिप्रेत है।
- (2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं, किंतु परिभाषित नहीं हैं वे अर्थ होंगे जो इस अधिनियम और साधारण नियमों में उनके हैं।
- 3. खाता खोलना- (1) कोई व्यक्ति निम्नलिखित शर्तों को पूरी करते हुए लेखा कार्यालय में प्ररूप-1 में आवेदन करके खाता खोल सकेगा, अर्थात्:-
 - (i) जिन्होंने खाता खोलने की तारीख को साठ वर्ष की आयु प्राप्त की है;
- (ii) जिन्होंने पचपन वर्ष या उससे अधिक किंतु साठ वर्ष से अनधिक की आयु प्राप्त की है और जो इस स्कीम के अधीन खाता खोलने की तारीख को अधिवर्षिता या अन्यथा की तारीख को सेवानिवृत्त हो गया है इस शर्त के अधीन रहते हुए कि सेवानवृत्ति फायदे की तारीख के एक मास के भीतर ऐसे व्यष्टि जिसके द्वारा खाता खुलवाया गया है और अधिवर्षिता या अन्यथा पर सेवानिवृत्त होने, नियोजन होने के ब्यौरे उपदर्शित करते हुए नियोजक का एक प्रमाणपत्र के साथ-साथ ऐसे सेवानिवृत्ति फायदा (फायदे) के वितरण का सब्त और नियोजक के पास ऐसे नियोजन की अवधि आवेदन प्ररूप के साथ संलग्न है :

परंतु रक्षा सेवा (सिविलियन रक्षा कर्मचारियों को छोड़कर) के सेवानिवृत्त कार्मिक अन्य विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने के अधीन रहते हुए पचास वर्ष की आयु प्राप्त करने पर इस स्कीम के अधीन खाता खोलने के लिए पात्र होंगे।

- (2) सेवारत मृत कार्मिक के उत्तराधिकारी या विधिक वारिस इस स्कीम के अधीन ऐसे मृत कार्मिक के सेवांत प्रसुविधा निक्षेप करने के लिए पात्र नहीं होंगे।
- (3) खाता धारक एक साथ सभी खाता में निक्षेप पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट अधिकतम सीमा से अनधिक नहीं होगा, के अधीन रहते हुए इस स्कीम के अधीन एक से अधिक खाता खुलवा सकेगा ।
 - (4) व्यष्टिक हैसियत या पति-पत्नी संयुक्त रूप से खाता खोल सकेंगे।
- (5) संयुक्त खाता की दशा में प्रथम खाता धारक की आयु जहां खाता खुलवाने के लिए पात्रता अवधारित करने पर विचार किया जाएगा वहां द्वितीय आवेदक के लिए आयुसीमा नहीं होगी ।
 - (6) संयुक्त खाता निक्षेप करने की संपूर्ण रकम केवल प्रथम खाता धारक से निक्षेप किया गया जाएगा।
- (7) पति-पत्नी दोनों एकल खाता और संयुक्त खाते में से प्रत्येक खाते में से पन्द्रह लाख रुपए तक अधिकतम एक दूसरे के खाते में निक्षेप कर सकेंगे परंतु दोनों खाता खोलने के लिए व्यक्तिगत रूप से पात्र हों।
- 4. निक्षेप- (1) एक हजार रुपए या पांच लाख रुपए से अन्यून एक हजार रुपए के बहुगणक कोई राशि न्यूनतम निक्षेप के साथ खाता खोला जाएगा :

परंतु पैरा 3 के उपपैरा (1) के खंड (ii) के अधीन विनिर्दिष्ट खाते में जमा राशियां प्राप्त सेवानिवृत्ति फायदे या पंद्रह लाख रुपए, जो भी इनमें से निम्नतर हो, निर्बन्धित होगा।

स्पष्टीकरण- इस उपपैरा के प्रयोजनों के लिए, "सेवानिवृत्ति फायदे" से अधिवर्षिता या अन्यथा पर सेवानिवृत्ति के कारण खाता धारक के मद्दे कोई संदाय अभिप्रेत है और जिसमें भविष्य निधि देय, सेवानिवृत्ति या अधिवर्षिता उपदान, पेंशन का संराशित मूल्य, कुटुंब पेंशन स्कीम और स्वैच्छिक या विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम के अधीन अनुग्रह पूर्वक संदाय के अधीन सेवानिवृत्ति, सेवानिवृत्ति-सहनिकासी प्रसुविधा पर नियोजक द्वारा संदेय समूह व्यावृत्ति लिंक इंश्योरेंस स्कीम के कर्मचारी व्यावृत्ति तत्व भी सम्मिलित है।

- (2) खाते में केवल एक कर्मचारी कुटुंब पेंशन स्कीम और स्वैच्छिक या विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम के अधीन अनुग्रह पूर्वक संदाय के अधीन सेवानिवृत्ति, सेवानिवृत्त-सह-निकासी प्रसुविधा पर नियोजक द्वारा संदाय समूह व्यावृत्ति लिंक इंश्योरेंस स्कीम के ही निक्षेप हो।
- (3) उपपैरा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अधिकतम सीमा से आधिक्य राशि निक्षेप लेखा अधिकारी द्वारा किया जाएगा जिसे तत्काल रूप से खाता धारक को आधिक्य राशि वापस करेगा।
 - 5. निक्षेप पर ब्याज- (1) इस स्कीम के अधीन किए गए निक्षेप पर 8.6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज मिलेगा।
- (2) ब्याज प्रथम किस्त में, यथास्थिति, अप्रैल/जुलाई/अक्तूबर/जनवरी के प्रथम कार्यदिवस को 31 मार्च/30 जून/30 सितंबर/31 दिसंबर से निक्षेप करने की तारीख से संदेय होगा और तत्पश्चात् ब्याज, यथास्थिति, अप्रैल/जुलाई/अक्तूबर/जनवरी के प्रथम कार्यदिवस को संदेय होगा।
- (3) यदि खाता धारक द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत उपपैरा (2) में यथा विनिर्दिष्ट शेष तारीखों पर संदेय ब्याज, लेखा धारक व्यावृत्ति खाता से जमा होगा ।
- (4) यदि किसी खाता धारक द्वारा प्रत्येक तिमाही में संदेय ब्याज का दावा नहीं किया जाएगा तो ऐसा ब्याज अर्जित अतिरिक्त ब्याज नहीं होगा।
- (5) रुपए का भाग में ब्याज की कोई रकम न्यूनतम रुपए का गुणक होगा और इस प्रयोजन के लिए पचास पैसे या अधिक की कोई रकम एक रुपए माना जाएगा और पचास पैसे में अनधिक रकम पर ध्यान नहीं दिया जाएगा ।
- (6) पैरा 4 के उपपैरा (3) में निर्दिष्ट आधिक्य रकम डाक घर व्यावृत्ति रकम के समय-समय पर लागू ब्याज वहन करेगा और ऐसे और ऐसे ब्याज वापसी की तारीख से आधिक्य रकम के निक्षेप की तारीख से संदेय होगा ।
- (7) पैरा 8 के उपपैरा (1) के अधीन परिपक्वता के पश्चात् विस्तारित रकम के मामले में, ऐसे खाता में निक्षेप परिपक्वता की तारीख को स्कीम से लागू दर पर अर्जित ब्याज होगा ।

- (8) डाकघर बचत खाता को लागू दर पर ब्याज उस खाता पर निक्षेप को संदेय होगा जो पैरा 8 के या परिपक्वता को बंद या विस्तारित परिपक्वता के अनुसार विस्तारित नहीं है।
- (9) तिमाही से अन्यून किसी अवधि के लिए ब्याज (स्कीम के अधीन यथा विनिर्दिष्ट) को निम्नलिखित सूत्र के अनुसार संगणित किया जाएगा।

दिनों की संख्या अवधि में x तिमाही के लिए ब्याज

तिमाही के दिनों की कुल संख्या

- (10) यदि ब्याज का नियत तारीख को दावा नहीं किया गया है तो नियत तारीख के पश्चात् किसी भी तारीख को दावा करा सकता है।
- 6. खाता को समयपूर्व बंद करना- (1) खाता धारक निक्षेप को वापस ले सकेगा और निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए प्ररूप-2 के आवेदन पर किसी भी समय खाता बंद कर सकेगा, अर्थातु:-
- (i) यदि, खाता खोलने की तारीख के पश्चात् एक वर्ष पहले बंद करा देता है तो खाता में निक्षेप पर संदत्त व्याज निक्षेप से वसूल कर लिया जाएगा और अतिशेष खाता धारक को संदाय कर दिया जाएगा ।
- (ii) यदि, खाता एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात् बंद करा देता है किंतु उसके खोलन की तारीख से दो वर्ष की समाप्ति से पहले बंद करा देता है तो निक्षेप के डेढ़ प्रतिशत के बराबर की रकम की कटौती की जाएगी और अतिशेष खाता धारक को संदाय किया जाएगा।
- (iii) यदि, खाता उसके खोलने की तारख से दो वर्ष की समाप्ति को या उसके पश्चात् बंद करा देता है तो निक्षेप के एक प्रतिशत के बराबर की रकम की कटौती की जाएगा और अतिशेष खाता धारक को संदाय किया जाएगा ।
- (2) पैरा 8 के उपपैरा (1) के अधीन खाता विस्तार करने की सुविधा का उपभोग करने वाला खाता धारक किसी कटौती के बना खाता विस्तार करने की तारीख से एक वर्ष के पश्चात् किसी भी तारीख को निक्षेप वापस ले सकेगा और खाता बंद करा सकेगा।
- (3) यदि, समयपूर्व बंद कराने, निक्षेप पर ब्याज उपपैरा (1) में यथा विनिर्दिष्ट शास्ति के कटौती के पश्चात् समयपूर्व बंद कराने की पूर्ववर्ती तारीख तक संदाय किया जाएगा ।
 - (4) खाता से बहुगुणित वापस लेना अनुज्ञेय नहीं होगा।
- 7. खाता बंद कराना- (1) खाता खोलने के समय किया गया निक्षेप प्ररूप-3 में आवेदन पर खाता खुलवाने की तारीख से पांच वर्ष की समाप्ति को या उसके पश्चात् या आठ वर्ष की समाप्ति को संदाय किया जाएगा जहां खाता पैरा 8 के अधीन विस्तार किया गया था।
- (2) परिपक्वता या विस्तारित परिपक्वता से पहले खाता धारक की मृत्यु की दशा में खाता धारक की मृत्यु की तारीख तक, यथास्थिति, नामनिर्देशिती या विधिक वापिस से इस स्कीम से यथा लागू ब्याज के साथ प्ररूप-3 में आवेदन पर बंद कराएगा और निक्षेप का प्रतिदाय होगा:

यह कि परंतु खाता में निक्षेप पर ब्याज खाता के अंतिम रूप से बंद करने की तारीख तक खाता धारक की मृत्यु की तारीख से डाकघर बचत खाता पर लागू दर पर अर्जित ब्याज होगा :

परंतु यह और कि संयुक्त खाता की दशा में या जहां पित-पत्नी एकमात्र एक दूसरे के नामिनर्देशिती हैं वहां पित-पत्नी इस स्कीम के अधीन यथाविनिर्दिष्ट वैसे ही निबंधनों और शर्तों पर खाता निरंतर रख सकेंगे, यदि खाता धारक की मृत्यु की तारीख को स्कीम के अधीन पित-पत्नी पात्रता की शर्तें पूरी करते हों।

- (3) जहां इस स्कीम के अधीन पित-पत्नी दोनों ने अलग-अलग खाता या खाते खुलवाएं हों और दोनों में से किसी की ऐसे खाता या खातों के प्रचलन के दौरान मृत्यु हो जाती है तब मृतक खाता धारक के नाम में प्रचलित खाता या खाते उपपैरा (2) के प्रथम परंतुक के अनुसार निरंतर नहीं रहेगी और उसे बंद कर दिया जाएगा।
- 8. परिपक्वता के पश्चात् विस्तारण- (1) खाता धारक परिपक्वता की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर प्ररूप-4 में आवेदन करके तीन वर्ष की और अवधि के लिए खाता का विस्तारण करा सकेगा।
- (2) उपपैरा (1) के अधीन खाता का विस्तारण आवेदन की तारीख पर विचार किए बिना परिपक्वता की तारीख से किया गया समझा जाएगा।
 - (3) उपपैरा (1) के अधीन खाता का विस्तारण एक बार उपलब्ध होगा।

- (4) खाता धारक पैरा 6 के उपपैरा (1) के अधीन किसी कटौती के बिना खाता के विस्तारण की तारीख से एक वर्ष की अविध के पश्चात् खाता बंद करा सकेगा।
- 9. साधारण नियमों का लागू होना- साधारण नियमों के उपबंध, जहां तक हो सके, ऐसे मामले के संबंध में लागू होंगे जिसके लिए इस स्कीम में कोई उपबंध नहीं किया गया है।
- 10. शिथिल करने की शक्ति- जहां केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि खाता धारक के असम्यक् कष्ट के कारण इस स्कीम में किसी उपबंध का प्रचालन उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, आदेश द्वारा अधिनियम के उपबंधों से असंगत रीति में उस उपबंध की अपेक्षाएं शिथिल की जा सकेंगी।

[फा. सं. 2/2/2018-एनएस(भाग-I)] रजत कुमार मिश्रा, संयुक्त सचिव

प्ररुप - 1 [पैरा 3 का उप-पैरा (1) देखेंं] (खाता खोलने के लिए आवेदन)

	(41)	,, 4,4, , 6,4,5
सेवा में		
पोस्टमा	स्टरप्रबंधक/	आवेदक/आवेदकों
		चिपकाएं
श्रीमान,		
5. .		
	म(आवदक लने के लिए आवेदन करता हूं/करते हैं ।	/आवेदकों) आपके डाकघर/बैंक में वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम के अधीन
		रपये) नकद/चैक/डीडी शन करता हूं/करते हैं । मेरे/हमारी विशिष्टियां निम्नप्रकार हैं:-
1. प्रथम	न जमाकर्ता का नाम	
पतिः	/पिता/माता या न्यायालय द्वारा नियुक्त	त संरक्षक का नाम
जन्म	ा तारीख	
		(तारीख / मास/वर्ष)
		(शब्दों में)
2. द्वती	य खाताधारक (केवल पति-पत्नी के लिए	τ
पति	/पिता/माता का नाम	
जन्म	ा तारीख	
		(तारीख/ मास/वर्ष)
		(शब्दों में)
3.	आधार संख्या	(क) प्रथम खाताधारक का
		(ख) द्वितीय खाता धारक

4.	स्थाया खा	ता सख्या		(क) प्रथम खा	ताधारक का	
				(ख) द्वितीय ख	ग्राता धारक	
5 a	र्नमान पता					
ઝ . વહ	ामाग पता					
	0					
£	थायी पता					
6. संग	नर्क ब्यौर े			या		
				ल नं		
			ई-मेल	आई डी		
7. ख	ाते का प्रकार		एकल या संयुक्त	या अवयस्क		
8. ख	ाता धारक/खाता धारकों	के जन्म की तारीख	Г			
9	. संलग्न अन्य केवाइसी द	स्तावेजों के ब्यौरे				
क	. पहचान का सबूत					
	. जारी करने की तारीख					
	. जारी करने वाला प्राधि					
2. चालन	ौर पते के सबूत के प्रयोज अनुज्ञप्ति 3. मतदाता पह ासंख्या रजिस्टर द्वारा ना	ह्चान पत्र 4. राज्य	सरकार के अधिक	ारी द्वारा हस्ताक्षरि		
1. नमूना ह	इस्ताक्षर					
• • •		2		,		
					.3	
(नाम)				•		
	प्रणा करता/करती हूं कि जो लेखा अधिकारी को सू				हमारे निवास/ना	गरिकता में किसी
					· 	2 3 + + 1 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 +
-	म के उपबंधों और सरका का पालन करने का वचन		नयम, ∠∪ाठ द्वारा	उसक समय-समय	। पर जारा स्काम	आर संशाधना का
• • •	धीन मेरे/हमारे अन्य खा	`	ਸਾ ਤ ਤੈਂ:			
						(3-
क्र.सं.	स्कीम का नाम	खाता खुलवाने की तारीख	निक्षेपित रकम	ग्राहक पहचान संख्या	खाता संख्या	डाकघर/बैंक का नाम
1.	वरिष्ठ नागरिक बचत					., ,, ,
1.	पारक नागारक बयत सकीम					
	(एससीएसएस)					
						1

संरक्षक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

तारीख:.....

10. मैं/हम	नी	चे दिए गए	व्यक्ति (व्य	पक्तियों) को	नामनिर्देशन व	करता हूं/करते हैं	S.F.
जिन्हें मेरी/हमारी मृत्यु की दश	ा में सभी अन्य व्यक्तियों व	ने निष्पादन	न करते हुए			(स्कीम क	Ţ
नाम) में मेरी मृत्यु के समय जमा	की गई रकम संदेय होगी ।						

क्रम सं.	नामनिर्देशिती(नामनिर्देशितियों) का(के) नाम और संबंध	पूरा पता	नामनिर्देशिती का आधार संख्या (वैकल्पिक)	अवयस्क की दशा में नामनिर्देशिती की जन्म की तारीख	हिस्सा जिसके लिए हकदार होगा	हकदारी की प्रकृति न्यासी या स्वामी
1						
2						
3						
4						

क्योंकि उपरोक्त विनिर्दिष्ट क्रम संका (के) नामनिर्देशिती अवयस्क है/हैं अ मैं/हमका (के) नामनिर्देशिती अवयस्क है/हैं अ	
म/हमपुत्र/पुत्र/पुत्र/पुत्र/पुत्र/पुत्र/पुत्र/पुत्र/पुत्र/पुत्र/पुत्र/पुत्र/पुत्र/पुत्र/पुत्र/पुत्र/पुत्र	• •
को नामनिर्देशिती (नामनिर्देशितियों) के अवयस्क रहने के दौरान मेरी/हमारी मृत्यु होने की दशा में उब	∤त
खाते के अधीन बकाया राशि प्राप्त करने के लिए नियुक्त करता हूं/करते हैं ।	
1. साक्षी के हस्ताक्षर	
नाम और पता	
2. साक्षी के हस्ताक्षर	
नाम और पता	
खाताधारक(कों)/संरक्षक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निश	ान
स्थान	
तारीखः	
डाकघर/बैंक के उपयोग के लिए	
रपये आरंभिक जमा के सा (स्कीम का नाम) के अधीन खाता संख्यातारीखतारीखद्वारा खाल खोला गया है । उपभोक्ता पहचान संख्या	ाथ ता
नामनिर्देशन, संख्या द्वारा रजिस्ट्रीकृत किया गया है ।	
सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर और म	द्रा

प्ररुप - 2

[पैरा 6 का उपपैरा (1) देखें] (समयपूर्व खाता बंद करने के लिए आवेदन)

सवा म	
डाकपाल	प्रबंधक
श्रीमान,	
1.	मैं/हम वरिष्ठ नागरिक राष्ट्रीय बचत स्कीम के अधीन खोले गए मेरे/हमारे खाता संख्य जिसका अतिशेष (रुपये मात्र) हैं व
• • •	बंद कराना चाहता/चाहते हैं और नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार लागू शास्ति को घटाने के पश्चात् रकम का संदा ग्नुरोध करता/करते हैं :-
	कृपया(कार्यालय का नाम जहां खाता स्थित है) पर मेरे एसबी खाता संख्य में रकम जमा करें ।
	या
कृपया म	ादेय ड्राफ्ट/ पाने वाले खाते में देय चेक जारी करें ।
	या
कृपया न	द संदाय करें (यदि रकम अनुज्ञेय सीमा से कम है)
परिपक्व	ोंने/हमने यह घोषणा करता/करते हूं कि वे शर्तें जिसके अधीन खाता वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम के अधी ा से पूर्व खाता बंद किया जा सकता है, का अनुपालन कर लिया गया है । अनिवार्य दस्तावेज निम्नानुसार संलग्नक हैं:
•	
	·· 2.
तारीख:	·· खाताधारक (कों)/संरक्षक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान
(जमाकत	 के अंगूठे का निशान उस कार्यालय से जहां खाता है, परिचित व्यक्ति द्वारा अनुप्रमाणित किया जाना चाहिए)
	केवल कार्यालय प्रयोग के लिए
	संदाय के ब्यौरे
खाते में उ	पयुक्त अतिशेष
घटाई गई	शास्ति की रकम
संदत्त वि	ए जाने वाली कुल रकम `(अंकों में)
(शब्दों में	
तारीख मु	डाकपाल/प्रबंधक के हस्ताक्षर

निस्तारण पत्र (खाताधारक/संदेशवाहक द्वारा भरा जाए) _____ (अंकों में)_____ (शब्दों में) रुपये नकद द्वारा प्राप्त हुए/ चैक/डीडी संख्या_____तारीख____ द्वारा खाता ____में अंतरित किए गए . तारीख: खाताधारक (कों)/संरक्षक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान प्ररुप - 3 [पैरा 7 का उप-पैरा (1) देखें] (खाते को बंद करने के लिए आवेदन) तारीख_____ डाकघर/बैंक का नाम खाता संख्या ___ मैं/हम पास बुक/जमा रसीद प्रस्तुत कर/रहा हूं/रहे हैं और मेरे/हमारे उपरोक्त उल्लिखित खाते को तारीख_____पर परिपक्व होने पर बंद करने के लिए आवेदन करता हूं/करते हैं। कृपया मेरे परिपक्व खाते में से उपयुक्त अतिशेष_____(कार्यालय का नाम जहां खाता स्थित है) पर मेरे एसबी खाता संख्या ______ में रकम जमा करें । या कृपया मांगदेय ड्राफ्ट/ पाने वाले खाते में देय चेक जारी करें। या कृपया नगद संदाय करें (यदि रकम अनुज्ञेय सीमा से कम है, लागू होगा) खाताधारक (कों)/संरक्षक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान (निक्षेपक के अंगूठे का निशान उस कार्यालय से जहां खाता है, परिचित व्यक्ति द्वारा अनुप्रमाणित किया जाना चाहिए) संदाय का आदेश (केवल कार्यालय उपयोग के लिए) तारीख संदाय के ब्यौरे मूल रकम रुपयों में (+)ब्याज रुपयों में _____ (-) अति संदत्त ब्याज की वसूली रूपयों में

कटौती, यदि कोई हों, रुपयों में

कुल बकाया रकम रुपयों में	
(अंकों में)	(शब्दों में) रुपये अदा करें
तारीख	
	डाकपाल/प्रबंधक के हस्ताक्षर
	निस्तारण पत्र
	(निक्षेपक द्वारा भरा जाए)
(अंकों में) चैक/डीडीसंख्यातारीख 	(शब्दों में) रुपये नकद द्वारा प्राप्त हुए/ इ द्वारा खाता संख्या में अंतरित किए गए .
	तरीख खाताधारक (कों)/संरक्षक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान
	प्ररुप - 4
	[पैरा 8 का उपपैरा (1) देखें]
(खाते के विस्तारण के लिए आवेदन)
सेवा में,	
डाकपालप्रबंधक/	
श्रीमान,	
जमाकर्ता हूं/हैं । उक्त खाता तारीख हो चुका है/हो जाएगा । हम उपरोक्त कथित	लय में वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम के अधीन खाता संख्याके को खोला गया था और संदाय के लिए तारीखको परिपक्व खाते की परिपक्वता की तारीख सेवर्ष(वर्षों) की और सार) खाते का विस्तारण का अनुरोध करता हूं/करते हैं।
2. मैंने/हमने समय-समय पर यथासंशोरि और शार्तों को समझ लिया है और मैं उसका प	धेत उक्त स्कीम के अधीन अवधि के विस्तारण के दौरान खाते पर लागू निबंधनों गलन करुंगा/करेंगे ।
स्थान:	
तारीख:	खाताधारक (कों)/संरक्षक के हस्ताक्षर
	(नाम और पता)
	केवल कार्यालय प्रयोग के लिए
	(स्कीम का नाम) के अधीन तारीखको ा था और तारीख को परिपक्व द्वआ था का

नियम	के अधीन तारीख	से	तकवर्षों की
अवधि के लिए विस्तारण किया गया है।			
अभिलेखों और पासबुक और जमा	रसीद/खाते के विवरण मे	iं आवश्यक प्रविष्टियां	की जा चुकी है ।
तारीख:			डाकपाल/प्रबंधक के हस्ताक्षर
		मुद्रा	

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th December, 2019

- **G.S.R. 916(E).**—In exercise of the powers conferred by section 3A and section 15 of the Government Savings Promotion Act,1873 (5 of 1873), the Central Government hereby makes the following Scheme, namely:-
- **1. Short title and commencement.-** (1) This Scheme may be called the Senior Citizens' Savings Scheme, 2019.
- (2) It shall come into force on date of its publication in the Official Gazette.
- 2. Definitions.- (1) In this Scheme, unless the context otherwise requires,-
- (a) "account" means an account opened under this Scheme;
- (b) "account holder" means an individual in whose name the account is held;
- (c) "Act" means The Government Savings Promotion Act, 1873 (5 of 1873);
- (d) "Form" means forms appended to this Scheme;
- (e) "General Rules" means the Government Savings Promotion General Rules, 2018;
- (f) "year" means a period of twelve months commencing from the date of deposit in the account.
- (2) Words and expressions used herein but not defined shall have the meanings assigned to them in the Act and the General Rules.
- **3. Opening of account.-** (1) An individual fulfilling the following conditions may open an account by making an application in Form-1 to the accounts office, namely:-
 - (i) who has attained the age of sixty years on the date of opening of the account; or
 - (ii) who has attained the age of fifty-five years or more but less than sixty years, and who has retired on superannuation or otherwise on the date of opening of an account under this Scheme, subject to the condition that the account is opened by such individual within one month of the date of receipt of the retirement benefits and proof of date of disbursal of such retirement benefit(s) along with a certificate from the employer indicating the details of retirement on superannuation or otherwise, retirement benefits, employment held and period of such employment with the employer, is attached with the application form:

Provided that the retired personnel of Defence Services (excluding Civilian Defence employees) shall be eligible to open an account under this Scheme on attaining the age of fifty years subject to the fulfilment of other specified conditions.

- (2) The successor or legal heir of a deceased serving personnel shall not be eligible to deposit the terminal benefits of such deceased personnel under this Scheme.
- (3) An account holder may operate more than one account under this Scheme subject to the condition that the deposits in all the accounts taken together shall not exceed the maximum limit as specified under paragraph 4.
- (4) An individual may open an account in individual capacity, or jointly with spouse.
- (5) In case of a joint account, the age of the first account holder shall be considered to determine the eligibility to open the account and there shall be no age-limit for the second applicant.

- (6) The whole amount of deposit in a joint account shall be attributable to the first account holder only.
- (7) Both the spouses can open single account and joint accounts with each other with the maximum deposit of upto fifteen lakhs rupees in each account provided both are individually eligible to open the account.
- **4. Deposit.-** (1) The account shall be opened with a minimum deposit of one thousand rupees or any sum in multiples of one thousand rupees not exceeding fifteen lakh rupees:

Provided that the deposits in the account specified under clause (ii) of sub-paragraph (1) of paragraph 3, shall be restricted to the retirement benefits received, or fifteen lakh rupees, whichever is lower.

Explanation.- For the purposes of this sub-paragraph, "retirement benefits" means any payment due to the account holder on account of retirement on superannuation or otherwise and includes Provident Fund dues, retirement or superannuation gratuity, commuted value of pension, cash equivalent of leave, savings element of Group Savings Linked Insurance Scheme payable by the employer on retirement, retirement-cum-withdrawal benefit under the Employees' Family Pension Scheme and ex-gratia payments under a voluntary or a special voluntary retirement scheme.

- (2) There shall be only one deposit in the account.
- (3) Where a deposit in excess to the ceiling specified under sub-paragraph (1) has been made, the accounts office shall, refund the excess deposit to the account holder immediately.
- **5. Interest on deposit.-** (1) The deposit made under this Scheme shall bear interest at the rate of 8.6 per cent. per annum.
- (2) Interest shall be payable from the date of deposit to 31st March/30th June/30th September/31stDecember on first working day of April/July/October/January, as the case may be, in the first instance and thereafter interest shall be payable on first working day of April/July/October/January as the case may be.
- (3) If so authorised by the account holder, interest payable on the due dates as specified in sub-paragraph (2), shall be credited to the account holder's savings account.
- (4) If the interest payable every quarter is not claimed by an account holder, such interest shall not earn additional interest.
- (5) Any amount of interest in fraction of a rupee shall be rounded off to the nearest rupee and for this purpose, any amount of fifty paisa or more shall be treated as one rupee and any amount less than fifty paisa shall be ignored.
- (6) The excess amount referred to in sub-paragraph (3) of paragraph 4, shall carry interest at the rate applicable from time to time to the Post Office Savings Account and such interest shall be payable from the date of deposit of excess amount to the date of refund.
- (7) In case of an account extended after maturity under sub-paragraph (1) of paragraph 8, the deposit in such account shall earn interest at the rate applicable to the Scheme on the date of maturity.
- (8) Interest at the rate applicable to the Post Office Savings Account shall be payable on deposits in the account which are not extended as per provision of paragraph 8 or closed on maturity or extended maturity.
- (9) The interest for any period less than a quarter (as specified under the Scheme) shall be calculated as per the following formula:-

Number of days in the period x Interest for the quarter

Total number of days in the quarter

- (10) If the interest is not claimed on the due date, it can be claimed on any date after the due date.
- **6. Premature closure of account.-** (1) The account holder may withdraw the deposit and close the account at any time on an application in Form-2 subject to the following conditions, namely:-
- (i) In case, the account is closed before one year after the date of opening of account, interest paid on the deposit in the account shall be recovered from the deposit and the balance shall be paid to the account holder.
- (ii) In case the account is closed after the expiry of one year but before the expiry of two years from the date of its opening, an amount equal to one and a half per cent. of the deposit shall be deducted and the balance shall be paid to the account holder.
- (iii) In case the account is closed on or after the expiry of two years from the date of its opening, an amount equal to one per cent. of the deposit shall be deducted and the balance shall be paid to the account holder.

[भाग II-खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 51

- (2) The account holder availing the facility of extension of account under sub-paragraph(1) of paragraph 8, may withdraw the deposit and close the account at any time after the expiry of one year from the date of extension of the account without any deduction.
- (3) In case of premature closure, interest on the deposit shall be payable upto the date preceding the date of premature closure after deduction of penalty as specified in sub-paragraph(1).
- (4) Multiple withdrawals from an account shall not be permitted.
- **7. Closure of account.-** (1) The deposit made at the time of opening of the account shall be paid on or after the expiry of five years or after the expiry of eight years where account was extended under paragraph 8 from the date of the opening of the account, on an application in Form-3.
- (2) In case of death of the account holder before maturity or extended maturity, the account shall be closed and deposit refunded on an application in Form-3 along with interest as applicable to this Scheme till the date of the death of the account holder, to the nominee or the legal heirs, as the case may be:

Provided that interest on the deposits in the account shall earn interest at the rate applicable on Post Office Savings Account from the date of death of the account holder till the date of final closure of the account:

Provided further that in case of a joint account, or where the spouse is the sole nominee, the spouse may continue the account on the same terms and conditions as specified under this Scheme, if the spouse meets eligibility conditions under the Scheme on the date of death of the account holder.

- (3) Where both the spouses have opened separate account or accounts under this Scheme and either of the spouses dies during the currency of such account or accounts, then such account or accounts standing in the name of the deceased account holder shall not be continued in accordance with the first proviso of subparagraph (2) and shall be closed.
- **8. Extension after maturity.-** (1) The account holder may extend the account for a further period of three years by making an application in Form-4 within a period of one year from the date of maturity.
- (2) The extension of the account under sub-paragraph (1) shall be deemed to have been made from the date of maturity irrespective of the date of application.
- (3) Extension of an account under sub-paragraph (1) shall be available only once.
- (4) The account holder may close the account any time after one year from the date of extension of account without any deduction under sub-paragraph (1) of paragraph 6.
- **9. Application of General Rules.-** The provisions of General Rules shall, so far as may be, apply in relation to matters for which no provisions have been made in this Scheme.
- **10. Power to relax.** Where the Central Government is satisfied that the operation of any of the provisions in this Scheme causes undue hardship to the account holder, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax the requirements of that provision in a manner not inconsistent with the provisions of the Act.

[F. No. 2/2/2018-NS (Pt. I)]

RAJAT KUMAR MISHRA, Jt. Secy.

FORM - 1 [See sub-paragraph (1) of paragraph 3]

(Application for opening an account)

To		
10		
The Postmaster/Manag	er	Paste photograph of applicant/s
•••••	•••••	
•••••	•••••	
Sir,		
I/We	(Applicant/s) hereby apply	for opening of an account under Senior

I/We(Applicant/s) hereby apply for opening of an account under Senior Citizens' Savings Scheme in your Post Office/Bank.

I/We		tender	herewith	Rs/-
) nitial deposit. My/our particulars are as ur	•
1.	Nama of First	Account holder		
1.				
			e or Guardian appointed by Court	
	Date of Birth			
			(DD / MM / YYY	Υ)
		words)	(In	
2.	Name of Seco	ond Account holds		
	•••••			
		ner /mother's nam	e 	
	Date of Birth			
			(DD / MM / YYY	Y)
		words)	(In	
3.	Aadhaar Num	nber (a) of first acc		
		(b) of second a	account holder	
4.			(PAN) (a) of first account holder	
	1 Cilitation 1 K	count rumber	(b) of second account holder	
5.	Present Addre	ess		
	Permanent Ac	ddress		
6.	Contact detail	ls	Telephone Number	
			Mobile Number	
			Email ID	
7.	Type of Acco	unt	Single or Joint	
, ,	-) F · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		21.8.1 1.11.1.1	
8.	Details of pro	of of date of Birth	n of account holder/s	
	a)	Certificate No.		
	L١	Dota of Issue		
	b)	Date of Issue		

	c) Issu	uing authority							
9.	Details of other KY	C documents attache	d 1. Pro	of of identification	on	••••			
			2. Add	2. Address proof					
proof: Govern	(The following documents are accepted as valid documents for the purpose of identification and address proof: 1. Passport 2. Driving license 3. Voter's ID card 4. Job card issued by NREGA signed by the State Government officer 5. Letter issued by the National Population Register containing details of name and address;								
1.	Specimen Signature	es							
	ame)				3.,				
	ame)				3.,				
	eclare that I/we are reidency/citizenship sta	esident citizen of Indiatus in future.	a and undertal	ke to inform the a	account office o	f any change in			
Ιh	ereby undertake to a	abide by the scheme and amendments issue			avings Promotic	on Rules, 2018			
Details	s of my/our other acco	ounts under the Schei	me are as unde	r:					
S.No.	Name of Scheme	Date of opening of account	Amount deposited	Customer Identification Number	Account number	Name of Post office/Bank			
1.	Senior Citize Savings Schen (SCSS)								
Signature or thumb impression of guardian Date:									
			Nomination						
the ex	clusion of all othe	r persons in the e(Name of Sc	vent of my	death the amou	nt standing to	my credit in			
S.No.	Name(s) of the nominee(s) and relationship	Full address (s)	Aadhaar number of nominee (optional)	case of mine	in entitlemen	Nature of entitlement Trustee or owner			
1									
2									

3

	at Serial No.(s)		specified ab	pove is/are minor(s), I
appoint Shri/Smt/Kumari			S/o,D/o,W/o	
	Addr	ess		
				to receive the sum due
	•	-	rity of the nominee(s).	
•	SS			
_	SS			
Name & Address				
		~.		
		Sign	nature or thumb impres	sion of account holder/s
Place:				
Date:				
		r use of Post Office		
	_			with
				(name
	on Number			
Nomination	has	been	registered	d vide
No	date	d		
			Signature and seal	of competent authority.
		FORM -2		
	[Caa sub	paragraph (1) of p	aragraph 61	
То	(Application	for premature clos	sure of account)	
To,				
The Postmaster/Mana	iger			
	•••••	••••		
		••••		
Sir,				
1. I/we wish to				having balance of Citizens' Savings
Scheme and request y	ou to pay the amount	after deduction of ag	oplicable penalty, as pe	r details given below:-
		_		-
Please Cred	lit the amount to	my SB Accoun	t no	standing
		-		<i>U</i>
		or		
Please issue a Deman	d Draft/account payee	cheque		
		or		
Please pay in cash (ap	oplicable if the amount	is below permissibl	e limit)	

3. I/We hereby declare that the conditions under which the account can be closed before maturity under Senior Citizens' Savings Scheme have been complied with.

Necessary documents as applicable are a	ttached as under:-			
1.				
2.				
Date:	5	Signature or thumb imp	ression of acco	unt holder/s
(Thumb impression of the d	lepositor should be	e attested by a person ki	nown to the acc	counts office)
	For office us	e only		
	Payment de	etail		
Eligible balance in Account `				
Less Penalty amount `				
Total Amount to be paid `		(In figures)		
(In words)				
Date Stamp	Signature of Postn	e		
	Acquittar			
	•	nolder/ messenger)		
Received Rs(In figure No.)dated	(by	(in words)		e/DD bearing Account
Nodated_			to	Account
Date:		Signature/thum	sh impression o	f Denositor/s
Bate.		Signature/thum	o impression o	1 Depositor/s
	FORM -	- 3		
[See si	ub-paragraph (1)	of paragraph 7]		
(Арј	plication for closu	are of account)		
Name of Post Office/Bank		I	Date	
Account Number				
1. I/we hereby submit pass bo account matured on	ook/deposit receipt	and apply for closure	of my/our abo	ove mentioned
2. Please Credit the amount of	eligible balance	in my matured acc	count to my	SB Account
nostandin				
	or			
Please issue a Demand Draft/account pay	yee cheque			
	or			
Please pay in cash (applicable if the amount	unt is below perm	issible limit).		

Signature or thumb impression of account holder/s
(Thumb impression should be attested by a person known to Accounts office)

Payment Order

(For office use only)

			Date
	Pay	ment detail	
Principal amount Rs			
(+) Interest due Rs.			-
(-) Recovery of overpaid interest Re	S		_
Deduction if any Rs			-
Total Amount due Rs			_
Pay Rs	(in figurers)		(in words)
Date			
			Signature of Postmaster/Manager
	\mathbf{A}	cquittance	C
		lled by depositor)	
Received Rs	(In figures)	(in w	vords) By cash/cheque/DD bearing
no	dated	•	Account No
Date:		Signature/thur	mb impression of account holder/s
	F	ORM - 4	
	[See sub-paragra	aph (1) of paragraph 8]
	(Application for	r extension of account)	
To,			
The Postmaster/Manager			
Sir,			
1. I/we		am/are ac	count holders in Account
Number	under Senior Cit	tizens' Savings Scheme	count holders in Account in your office. The said account
was opened on	and has matu	ired on	_for payment. I/We hereby request
for extension of the account of the above said account.	nt for a further period of	three years (as per sche	me rule) from the date of maturity
of the above said account.			

- 2. I/We have understood the terms and conditions applicable to the account during the period of extension under the said Scheme as amended from time to time and shall abide by them.
- 3. I/we continues to be resident citizen/s of India on the date of commencement of block period of three years.

Date	Signature of the account holder/s
Place	(Name and address)
	For the use of Accounts Office
(Rupees matured on	ount no
Necessa	ry entries have been made in the records and pass book/deposit receipt/ statement of account.
Date	Signature of Postmaster/Manager Seal

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2019

सा.का.नि. 917(अ).—केंद्रीय सरकार, सरकार बचत सर्वधन अधिनियम 1873 (1873 का 5) की धारा 3क द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित योजना बनाती है अर्थात:-

- 1 सक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1) इस योजना का सक्षिप्त नाम राष्ट्रीय बचत (मासिक आय खाता) योजना, 2019 है।
 - (2) यह राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होनी।
- 2 परिभाषा (1) इस योजना में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षिप्त न हो
 - (क) "खाता" से इस योजना के अधीन खोला गया कोई खाता अभिप्रेत है
 - (ख) "खाता धारक" वह व्यक्ति अभिप्रते है जिसके नाम से खाता धारित है
 - (ग) "अधिनियम" से सरकार बचत संवर्धन अधिनियम 1873 (1873 का 5) अभिप्रते है
 - (घ) "प्ररुप" से इस योजना से सलंग्न प्रारुप अभिप्रते है।
 - (ड) "साधारण नियम" से सरकार बचत संवर्धन साधारण नियम 2018 अभिप्रते है।
 - (च) "वर्ष" से खाते में पहले निक्षेप की तारीख से आरम्भ होने वाली 12 मास की अवधि अभिप्रते है।
- (2) उन शब्दो और पदो के, जो इसमें प्रयुक्त है और परिभाषित नही है वही अर्थ होगे जो उस अधिनियम और साधारण नियमों में है।
- 3 **खाते का खोला जाना** (1) खाता, खाता कार्यालय में प्ररुप- 1 में आवेदन पर :-
 - (i) किसी एकल व्यस्क द्वारा;
 - (ii) तीन तक संयुक्त व्यस्क द्वारा;
 - (iii) कोई अवयस्क जिसने दस वर्ष की आयु पूरी कर ली है ;
 - (iv) किसी अवयस्क या विकृतचित व्यक्ति की और से सरंक्षक द्वारा खाता खोला जा सकेगा;
- (2) कोइ व्यक्ति इस के अधीन अधिकतम सीमा के अध्याधीन अधिकतम निक्षेप सीमा जो पैरा 4 के उप पैरा (2) में यथा विहित की गई हैं एकल खाता या संयुक्त खाते एक या एक से अधिक खोल और परिचालित कर सकेगा।

उप पैरा (2) के अधीन विनिर्दिष्ट अधिकतम निक्षेपों के प्रयोजन के लिए खाताधारक संयुक्त खाते के शेष में आधा या एक तिहाई ऐसे शेष का अंश ले सकेगा मानो खाता दो व्यस्कों या तीन व्यस्कों द्वारा चलाया जा रहा है।

- 4. निक्षेप और प्रत्याहरण- (1) खाता एक हजार रुपये के या एक हजार रुपये के गुणित में किसी रकम के कम से कम निक्षेप से खोला जाएगा और यह किसी खाते में केबल एक निक्षेप होगा।
- (2) पैरा 3 के खण्ड (iii) और (iv) के अधीन खोले गए खाते में अधीकतम चार लाख पचास हजार रुपये एकल खाते में और नौ लाख रुपये संयुक्त खाते में निक्षेप किए जा सकेंगे।
- (3) सभी खाते में निक्षेपों को किसी व्यक्ति के लिए एक साथ हिसाब में लिया जाएगा जो एकल खाते में चार लाख पचास हजार रुपये और संयुक्त खाते में नौ लाख रुपये से अधिक नहीं होंगे।
- **5 निक्षेप पर ब्याज-** (1) इस योजना के अधीन किए गए निक्षेप पर वार्षिक 7.6 प्रतिशत की दर से ब्याज बहन किया जाएगा।
 - (2) ब्याज निक्षेप की तारीख से एक माह के पूरा होने पर खाता धारक को संदेय होगा।
- (3) यदि ब्याज प्रत्येक माह पर संदेय है तो खाता धारक द्वारा दावा नहीं किया जाएगा ऐसा ब्याज किसी अतिरिक्त ब्याज से अर्जित नहीं किया जाएगा।
- (4) ब्याज निकटतम एक रुपये में पूर्णांकित किया जाएगा और इस प्रयोजनार्थ पचास पैसे या इससे अधिक की राशि को एक रुपया माना जाएगा तथा पचास पैसे से कम की राशि को छोड़ दिया जाएगा।
- (5) जहाँ निक्षेप पैरा 4 के उप-पैरा (2) के अधीन विनिर्दिष्ट अधिकतम सीमा के लिए आधिक्य मे किया गया है वहा तत्काल लेखा अधिकारी खाताधारक को आधिक्य निक्षेप को बापस करेगा।
- (6) उप-पैरा पाँच में निर्दिष्ट आधिक्य राशि डाकघर बचत खाते के लिए समय-समय पर लागू दर से ब्याज वहन करेगा और ऐसी राशी पर ऐसे निक्षेपक को संदेय होगा।
- (7) उप-पैरा 6 में विनिर्दिष्ट ब्याज आधिक्य राशि के निक्षेप की तारीख से मास के अंत तक पूर्ववर्ती मास जिसमें निक्षेप बापस किया गया है।
- (8) यदि मासिक ब्याज की संदेय की तारीख पर रविवार या कोई छुट्टी है संदेय तत्काल पूर्ववर्ती रविवार या किसी छूट्टी से कारबार दिवस पर देय माना जाएगा।
- (9) यदि निक्षेप मास की 29, 30 और 31 तारीख पर किया गया है और यदी ये तारीख निम्नलिखित माह में नही आती है तो मासिक ब्याज का संदाय निम्नलिखित माह की अंतिम तारीख पर किया जाएगा और यदी ऐसा अंतिम दिवस छुट्टी है तो मासिक ब्याज पूर्ववर्ती दिवस पर अदा किया जाएगा।
- 6 समयपूर्व खाते को बंद करना— (1) खाता धारक प्ररुप 2 में आवेदन द्वारा ऐसे खाते को खोले जाने की तारीख से एक वर्ष की अविध के अवसान के पश्चात किसी भी समय खाते से निक्षेप को प्रत्याहरण और बंद करने के लिए निम्न शर्तों के अध्याधीन अनुज्ञात किया जा सकेगा:-
 - (i) यदि खाता ऐसे खाते के खोले जाने की तारीख से तीन वर्ष के अवसान पर या पहले बंद किया जाता है तो दो प्रतिशत के बराबर राशि निक्षेप से कम कर दी जाएगी और शेष उसे संदत की जाएगी।
 - (ii) यदि खाता ऐसे खाते के खोले जाने की तारीख से तीन वर्ष के अवसान के पश्चात बंद किया जाता है तो एक प्रतिशत के बराबर राशि निक्षेप से कम कर दी जाएगी और शेष उसे संदत की जाएगी।
- **7 खाते को बंद किया जाना- (1)** खाते के खोले जाने समय पर किया गया निक्षेप और उस पर उदभूत ब्याज प्ररुप 3 में आवेदन पर लेखा अधिकारी द्वारा खाता खोले जाने की तारीख से पाँच वर्ष के पूर्ण होने के पश्चात खाता धारक को संदत किया जायेगा।
- (2) खाते की परिपक्वता से पहले खाताधारक की मृत्यू की दशा में खाता बंद किया जा सकेगा और निक्षेप पुर्ववर्ती मास जिसमें प्रतिदाय किया गया है मास तक ब्याज सहित साधारण नियमों के उपबंधो के अनुसार बापस किया जाएगा।
- **8 साधारण नियमों का लागू होना-** साधारण नियम के उपबंध उन मामलों के संबंध में भी लागू होंगे जिनके लिए इस योजना में कोई उपबंध नहीं किए गए हैं।
- 9 छूट देने की शक्ति- जहां केंद्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट होती है कि इन नियमें के किसी प्रावधान के प्रचालन से खाताधारक को अनावश्यक कठिनाई का सामना करना पड़ता है, तो ऐसे खाताधारक के संबंध में जो इन नियमों के अन्य

उपबंधों के लिए अप्रासंगिक न हो उस तरीके से आदेश द्वारा इसके कारणों को लिखित रुप में अभिवीदित रखते हुए अधिनियम के उपबंध या उपबंधों की आवश्यकता में छूट दे सकती है।

> [फा. सं. 2/2/2018-एनएस(भाग-I)] रजत कुमार मिश्रा, संयुक्त सचिव

प्ररूप 1 [पैरा 3 का उपपैरा 1 देखिए] (लने के लिए आवेदनखाता खो)

सेवा में,		
पोस्टमास्टर/प्रबंधक		
		ावेदकों का चेपकाएं
श्रीमान,		
मैं/हम(खाता धा खाता योजना) के अधीन खाता खोलने के लिए आवेदन		में राष्ट्रीय बचत (मासिक आय
मैं/हम,रुपए/- ड्राफ्ट संख्यांकतारीख विशिष्टियां निम्न प्रकार हैं:-	शब् आरंभिक जमा के रूप में निर्ि	दों में रुपए) नकद/चैक/डिमांड वेदा करता हूं / हैं । मेरी /हमारी
1. प्रथम जमाकर्ता का नाम		
पति/पिता/माता या न्यायालय द्वारा नियुक्त संरक्षक		
	जन्म की तारीख	(दिदि/मम/वववव) शब्दों में
2. दूसरे जमाकर्ता का नाम		
पति/पिता/माता का नाम		
	जन्म की तारीख	(दिदि/मम/वववव) शब्दों में
3. तीसरे जमाकर्ता का नाम	-	
पति/पिता/माता का नाम		
	जन्म की तारीख	(दिदि/मम/वववव) शब्दों में
4. अवयस्क/विकृतचित्त व्यक्ति खाताधारक का नाम		
पिता/माता/संरक्षक का नाम		
	जन्म की तारीख	(दिदि/मम/वववव)
		शब्दों में

5. खाताधारक(कों) का आध	ार संख्यांक					
6. खाताधारक(कों) का स्थाय	ी खाता संख्यांक					
7. वर्तमान पता						
स्थायी पता						
8. संपर्क ब्यौरे	टेलीफोन नं					
	मोबाइल नं					
	ई-मेल आईडी					
9. खाते का प्रकार एकल य दिव्यांगजन किसी प्राधिकृत		माध्यम से या विकृतचित्त व्यक्ति या नेत्रहीन या				
10. (*)अवयस्क के जन्म की	तारीख के ब्यौरे					
(अवयस्क के खाते के मामले	में लागू)					
(क) प्रमाणपत्र सं						
(ख) जारी होने की	तारीख					
(ग) जारी करने वाल	ना प्राधिकारी					
11. (*) संरक्षक(प्राकृतिक/वि	धिक) का नाम					
(अवयस्क/विकृतचित्त व्य	क्ति की ओर से खाता खोले जाने की दशा में)					
12. अन्य संलग्न केवाईसी द	स्तावेजों के ब्यौरे 1. पहचान का सबूत					
	2. पते का सबूत					
1. पासपोर्ट 2. चालन अनुज्ञ		धिमान्य दस्तावेजों के रूप में स्वीकृत किए जाते हैं: जारी, राज्य अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित जॉब कार्ड त्र;				
13. खाते का प्रचालन एक स	गाथ या उत्तरजीवी खाताधारक/खाताधारकों	(क) सभी धारकों द्वारा				
(संयुक्त खाते के मामले में) के	द्वारा किया जाएगा	(ख) या तो खाताधारक या खातधारकों के द्वारा				
उतरजीवी निक्षेपक/निक्षेपकों		या				
14. मेरा /हमारे नमूने हस्ता	क्षर					
1	2	3				
(नाम)						
1	2	3				
(नाम)						
1		2				
3	नाम.					
1		2				
3 नाम.						

मैं, स्कीम पर लागू उपबंधों और स्कीम को लागू सरकारी बचत संवर्धन नियम, 2018, और उसके अधीन समय-समय पर जारी संशोधनों, को पालन करने का वचन देता हूं।

15 मै देश में किसी डाकघर/बैंक में राष्ट्रीय बचत मासिक आय खाता के अधीन आजतक विधमान अपने ब्योरे की घोषणा करता हूँ।

क्रम. सं.	योजना का नाम	खाता खोलने की तारीख	निक्षेप की गई राशि	उपभोक्ता पहचान संख्या	खाता संख्या	डाकघरबैंक / का नाम
1.	राष्ट्रीय बचत मासिक आय					
	खाता					

खाताधारक (कों) /संरक्षक के हस्ताक्षर या अंगूठा छाप
तारीख

नामनिर्देशन

16. मैं/हम नीचे उल्लीखित व्यक्ति(यों) का नाम निर्देशन करता हूं जिनको मेरी मृत्यु की दशा में अन्य व्यक्तियों को अपवर्जित करके राष्ट्रीय बचत सावधि जमा स्कीम 1/2/3/5 वर्ष में मेरी जमा रकम को मेरी मृत्यु के समय संदत्त की जाएगी:

क्र.सं.	नाम	पूरा पता(पते)	नाम निर्देशिती	अवयस्क के	हकदारी का	हकदारी की
	निर्देशिती(यों)		का आधार	मामले में नाम	अंश	प्रकृति, न्यासी
	का नाम (के		संख्यांक नाम	निर्देशिती के		या स्वामी
	नाम) और संबंध		(वैकल्पिक)	जन्म की		
				तारीख		
1						
2						
3						
4						

चूंकि क्रम संख्या (कों) विर्वा		` `	
पुत्र/पुत्री/पत्नी	-निवासी	को नाम निर्देशिती/नाम नि	र्देशितियों की
अवयस्कता के दौरान मेरी मृत्यु की दशा में उ॰	_{ित} खाते के अधीन देय राशि को	। प्राप्त करने के लिए नियुक्त ब	करता हूं ।
1. साक्षी के हस्ताक्षर			
नाम और पता			
2. साक्षी का नाम			
नाम और पता			
	खात	गाधारक (कों) /संरक्षक के हस्त	क्षर या अंगूठा छाप
स्थान			
तारीख			

पोस्ट ऑफि स/ बैं क के प्रयोग हेतु					
यह खाता	के नाम में तारीख	को रु	के आरंभिक जमा के	साथ	
	ोन (स्कीम का नाम) खाता संख्यांक		तारीख	द्वारा	
खोला गया है।					
ग्राहक पहचान संख्यांक					

ग्राहक पहचान संख्यांक-----

नाम निर्देशन संख्यांक -----द्वारा एक्ट्रीकृत किया गया है

सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर और मुद्रा

प्ररूप 2 [पैरा 6 देखिए]

(लेखा कार्यालय को जानने वाले किसी व्यक्ति द्वारा जमाकर्ता के अंगूठा छाप प्रमाणित किए जाने चाहिए)

केवल कार्यालय के प्रयोग हेतु

संदाय के ब्यौरे

खाते में पात्र अतिशेष	
काटी गई शास्ति की रकम	रुपए
संदत्त की जाने वाली कुल रकम	(अंकों में)
(शब्दों में)	
तारीख मुद्रा पोस्ट	मास्टर/प्रबंधक के हस्ताक्षर
	निस्तारण
(खाताधारक	/संदेशवाहक द्वारा भरा जाए)
रुपएको अंत	(शब्दों में) नकद /चैक/डीडी संख्यांकतारीख- रण, द्वारा, प्राप्त किए ।
स्थान:	
तारीखः	
	जमाकर्ता/संरक्षक के हस्ताक्षर/अगूंठा छाप
	प्ररूप 3
[पैरा 7	का उप-पैरा 1 देखिए]
(खाते के व	बंद करने के लिए आवेदन)
पोस्टऑफिस/बैंक का नाम	-
तारीख	
खाता संख्यांक	
1. मैं/हम पासबुक /जमा रसीद प्रस्तुत करता हूं और अ को बंद करने के लिए आवेदन करता हूं ।	पने/हमारे तारीखको परिपक्व उपरोक्त उल्लिखित खाता
 कृपया मेरे परिपक्व खाते में अतिशेष रकम का प्रत्यव (खाता कार्यालय का नाम) करें। 	य मेरे बचत बैंक खाता संख्यांकस्थतस्थित
	या
कृपया डिमांड ड्राफ्ट/पाने वाले नाम चैक जारी करें	
	या
कृपया नकद संदाय करें (अनुज्ञेय सीमा से नीचे रकम हो	ने के मामले में लागू)
*प्रमाणित किया जाता है कि खाते में धृत रकम	जो जीवित है और अवयस्क है के प्रयोग के लिए अपेक्षित है ।
	खानाधारक (कों) /संरथक के टस्ताथर गा थंगरा लाए

खाताधारक (कों) /संरक्षक के हस्ताक्षर या अंगूठा छाप (लेखा कार्यालय को ज्ञात व्यक्ति द्वारा अंगूठा छाप प्रमाणित की जानी चाहिए)

तारीख:

खाताधारक(कों)/संरक्षक(कों) के हस्ताक्षर

संदाय आदेश

	,	_	_	· .
(केवल	कार्यालय	क	प्रयोग	द्रत)
1 11-1 1	191 31 51 3		21 71 71	(5.71)

	तारीख
सं	दाय ब्यौरा
मूल रकम रुपए	
(+) देय ब्याज रुपए	
(-) अधिक संदत्त ब्याज की वसूली रुपए	
कटौती, यदि कोई हो, रुपए	
कुल देय रकम रुपए	
रुपए(अंकों में)	(शब्दों में) का संदाय करें ।
स्थान	
तारीख	
	पोस्टमास्टर/प्रबंधक के हस्ताक्षर
	भुगतान
(जमाकत	िद्वारा भरा जाए)
रुपएक्पएक्षेकों में)को अंतरण को अंतरण	(शब्दों में) नकद /चैक/डीडी संख्यांकतारीख- द्वारा, प्राप्त किए ।
स्थान:	

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th December, 2019

- **G.S.R. 917(E).** In exercise of the powers conferred by section 3A of the Government Savings Promotion Act, 1873 (5 of 1873), the Central Government hereby makes the following Scheme, namely:-
- **1. Short title and commencement.-**(1) This Scheme may be called the National Savings (Monthly Income Account) Scheme, 2019.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- **2. Definitions.-**(1) In this Scheme, unless the context otherwise requires,-
 - (a) "account" means an account opened under this Scheme;
 - (b) "account holder" means an individual in whose name the account is held;
 - (c) "Act" means The Government Savings Promotion Act, 1873 (5 of 1873);
 - (d) "Form" means forms appended to this Scheme;
 - (e) "General Rules" means the Government Savings Promotion General Rules, 2018;
 - (f) "year" means a period of twelve months commencing from the date of deposit in the account.
- (2) Words and expressions used herein but not defined shall have the meanings respectively assigned to them in the Act and in the General Rules.

- **3. Opening of account.-**(1) The account may be opened by making an application in Form-1 by-
 - (i) a single adult;
 - (ii) upto a maximum of three adults in joint names;
 - (iii) a minor who has attained the age of ten years;
 - (iv) a guardian on behalf of a minor or a person of unsound mind.
- (2) An individual may open and operate one or more than one account as a single account or a joint account under this Scheme subject to the ceiling of maximum deposit limit as prescribed in sub-paragraph (2) of paragraph 4.

For the purpose of maximum deposits specified under sub-paragraph (2), the account holder's share in the balance of a joint account shall be taken as one half or one third of such balance as if the account is held by two adults or three adults.

- **4. Deposits and withdrawals.-** (1) The account shall be opened with a minimum deposit of one thousand rupees or any sum in multiple of one thousand rupees and there shall be only one deposit in an account.
- (2) A maximum of rupees four lakh fifty thousand rupees can be deposited in a single account, account opened under clause (iii) and (iv) of paragraph 3 and nine lakhs rupees in a joint account.
- (3) Deposits in all the accounts taken together for an individual shall not exceed four lakh fifty thousand rupees in a single account and nine lakh rupees in a joint account.
- **5. Interest on deposit.-** (1) The deposit made under this Scheme shall bear interest at the rate of 7.6 per cent. per annum.
- (2) Interest shall be payable to the account holder on completion of a month from the date of deposit.
- (3) If the interest payable every month is not claimed by the account holder such interest shall not earn any additional interest.
- (4) Interest shall be rounded off to nearest multiple of one rupee and for this purpose any amount of fifty paisa or more shall be treated as one rupee and any amount less than fifty paisa shall be ignored.
- (5) Where a deposit in excess to the ceiling specified under sub-paragraph (2) of paragraph 4 has been made, the accounts office shall refund the excess deposit to the account holder immediately.
- (6) The excess amount referred to in sub-paragraph (5), shall carry an interest at the rate applicable from time to time to the Post Office Savings Account and shall be payable to such depositor on such amount.
- (7) The interest referred to in sub-paragraph (6) shall be admissible from the date of deposit of the excess amount till the end of the month preceding the month in which the deposit has been refunded.
- (8) If the date of payment of monthly interest falls on Sunday or a holiday, the payment shall be deemed to be due on the business day immediately preceding that Sunday or a holiday.
- (9) If the deposit is made on 29th, 30th and 31st of a month and if these dates do not come in the following month, the payment of monthly interest shall be made on the last date of the following month and if such last day is a holiday, monthly interest shall be paid on the preceding day.
- **6. Premature closure of account.-** The account holder may be permitted to withdraw the deposit and close the account at any time after expiry of a period of one year from the date of opening of such account by making an application in Form-2, subject to the conditions that,-
- (i) if the account is closed on or before the expiry of three years from the date of opening of such account, an amount equal to two per cent. of the deposit shall be deducted and the remainder shall be paid to him; and
- (ii) If the account is closed after the expiry of three years from the date of opening of such account, an amount equal to one per cent. of the deposit shall be deducted and the remainder shall be paid to him.
- **7.** Closure of account.- (1) The deposit made at the time of opening of the account and the interest accrued thereupon, shall be paid by the accounts office after completion of five years from the date of the opening the account to the account holder on an application in Form-3.
- (2) In case the account holder dies before the maturity of the account, the account may be closed and the deposit shall be refunded as per provisions of the General Rules, alongwith interest upto the month preceeding the month in which refund is made.

- **8. Application of General Rules.-** The provisions of the General Rules shall, so far as may be, apply in relation to the matters for which no provision have been made in this Scheme.
- **9. Power to relax.-** Where the Central Government is satisfied that the operation of any of the provisions of this Scheme causes undue hardship to the depositor, it may by order, for reasons to be recorded in writing, relax the requirements of that provision in a manner not inconsistent with the provisions of the Act.

[F. No. 2/2/2018-NS (Pt. I)] RAJAT KUMAR MISHRA, Jt. Secy.

FORM - 1 [See sub-paragraph (1) of paragraph 3] (Application for opening an account)

То			
	ne Postmaster/Manager		Paste photograph of applicant/s
 Sir,			
under l	I/We(account National Savings (Monthly Income Acc		
	tender herewith Rsdate		
1.	Name of First Depositor		
	Husband/Father /mother's name or Gu	nardian appointed by Cour	t
	Date of Birth	(DD / MM /	YYYY)
2.	Name of Second Depositor		
	Husband/Father /mother's name		
	Date of Birth	(DD / MM /	
3.	Name of Third Depositor		
	Husband/Father /mother's name		
	Date of Birth	(DD / MM /	YYYY)
4.	Name of minor account holder	, ,,,,,,	

	Father /moth	ner/guardian's name	
	Date of Birt	h	(DD / MM / YYYY)
5.	. Aadhar Nun	nber of account holder(s)	(In words)
0.			
6.	Permanent A	Account Number (PAN)	
7.	Present Add	ress	
	Permanent A	Address	
	•••••		
8.			
0.	. Contact deta	IIIS	Telephone Number
			Email ID.
9.	Type of Accou	nt	Single or Joint or through Guardian for minor or
			person of unsound mind or blind or differently abled through authorized person.
10	. (*)Details o	f date of birth of minor	
		in accord minor account)	
	(Applicable a)	in case of minor account) Certificate No.	
	a)		
	b)	Date of Issue	
	a)		
	c)	Issuing authority	
11	. (*) Name of	Guardian (Natural/Legal)	
	 (In case the	account is opened on behalf	of a
	-	on of unsound mind)	or a
12	_	ther KYC documents attache	ed 1. Proof of identification
			2. Address proof

The following documents are accepted as valid documents for the purpose of identification and address proof: 1. Passport 2. Driving license 3. Voter's ID card 4. Job card issued by NREGA signed by the State Government officer 5. Letter issued by the National Population Register containing details of name and address;

	The operation of the			(a) By all the holders together or the surviving holder/s.(b) By either of the holder/s, or the surviving depositor/s,			
	In case of joint acc	•	(b) By	either of the hol	der/s, or the s	urviving deposite	or/s,
14. N	My/our specimen S	ignatures					
	ne)				3.,		
	ne)				3		
	ne)				3		
	ne)				3		
2018 app	I hereby undertakelicable on the Sche	eme and amend	dments issued t	hereto from time	to time.		
	reby declare detail in any of the Post of			s on today unde	r National Sa	vings Monthly l	ncome
S.No.	Name of Scheme	Date of opening of account	Amount deposited	Customer Identification Number	Account number	Name of Post office/Bank	
1	National Savings Monthly Income Account						
			Signatu	are or thumb imp			
					D	ate:	•••••
			Nomina				
the exclu	usion of all other p	persons in the	event of my	death the amour	nt standing to		

S.No.	Name(s) of the nominee(s) and relationship	Full address (s)	Aadhaar number of nominee(optional)	Date of birth of nominee in case of minor	Share of entitlement	Nature of entitlement Trustee or owner
1						
2						
3						
4						

appoint			specified above is/are	
		eath during the minority of	to receive	e the sum due
1. Signature of witness	•	-	or the nonlinee(b).	
Name & Address				
2. Signature of witness				
Name & Address				
Transce Transcess				
		Signature or thumb in	npression of account holder(s) or guardian
Place:				
Date:				
	For	r use of Post Office/Bai	nk	
The account has b	peen opened in the na	ame of	on	with
initial	_	deposit	(name	of
			(name	
Customer identification				·
Nomination Namination	has	been	registered	vide
		ed		vide
		FORM - 2		
	(Application	[See paragraph 6] If for premature closure	of account)	
То,	(Аррисации	rior premature closure	or account)	
The Postmaster/Manag	ar.			
	Ci			
Sir,	•••••			
			haviopened under National Savi	
Income Account) Schedetails given below:-	eme and request you	u to pay the amount after	er deduction of applicable p	penalty as per
		my SB Account no (Name of Account offi	o ce).	standing
		or		
Please issue a Demand	Draft/account payee	cheque		
		or		
Please pay in cash (app	olicable if the amoun	t is below permissible lim	nit)	

2.

I/We hereby declare that the conditions under which the account can be closed before maturity under

the National Savings Monthly In	scome Account have been complied with.	
Necessary documents as applica	ble are attached as under:-	
1.		
2.		
	sought to be withdrawn/loan to be availed is 1who is alive and still a Minor.	required for the use of
Date:	Signature or thumb impression of account holder(s)/	guardian
(Thumh impression of the denoe	sitor should be attested by a person known to the acc	
(Thumb impression of the depos	ittor should be attested by a person known to the acc	ounts office)
	For office use only	
	Payment detail	
Eligible balance in Account `		
Less Penalty amount `		
Total Amount to be paid `	(In figures)	
(In words)		
Date Stamp	Signature of Postmaster/Manager	
	Agguittongo	
	Acquittance (to be filled by account holder/ messenger)	
D : 1 D	•	. 1) D 1/
Received Rs	dated/ by	in words) By cash/ transfer to Account
Date	Signature/thumb impression of account holder(s)/s	guardian
	FORM - 3	
	[See sub-paragraph (1) of paragraph 7]	
	(Application for closure of account)	
Name of Post Office/Bank	,	te
Account Number		
	pass book/deposit receipt and apply for closure of	my/our above mentioned
	ount of eligible balance in my matured according	unt to my SB Account
	standing at(Name of A	
	or	
Please issue a Demand Draft/acc	count payee cheque	
	or	
Please pay in cash (applicable if	the amount is below permissible limit).	
	sought to be withdrawn/loan to be availed is awho is alive and still a Minor.	required for the use of
	Signature or thumb impression of a	account holder(s)/guardian

(Thumb impression should be attested by a person known to Accounts office)

Payment Order

(For office use only)

(Por office	use only)	
		Date
Paymer	nt detail	
Rs		_
		_
(in figurers)		(in words)
		Signature of Postmaster/Manager
Acqu	ittance	
(to be filled	by depositor)	
(In figures)	(in we	ords) By cash/cheque/DD bearing
dated	/by transfer to	Account No
Signature/thumb impression of	of account holder(s)/gr	uardian
	Rs(in figurers)(to be filled(In figures)(dated	Payment detail Rs

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2019

सा.का.नि. 918(अ).—केंद्रीय सरकार, सरकार बचत सर्वधन अधिनियम, 1873 (1873 का 5) की धारा 3क द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए।

निम्नलिखित योजना बनाती है अर्थात :-

- 1 सक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1) इस योजना का सक्षिप्त नाम राष्ट्रीय बचत आवर्ति निक्षेप योजना 2019 है।
 - (2) यह राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होनी।
- 2 परिभाषा (1) इस योजना में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षिप्त न हो
 - (क) "खाता" से इस योजना के अधीन खोला गया कोई खाता अभिप्रेत है
 - (ख) "खाता धारक" वह व्यक्ति अभिप्रते है जिसके नाम से खाता धारित है
 - (ग) "अधिनियम" से सरकार बचत संवर्धन अधिनियम 1873 (1873 का 5) अभिप्रेत है

- (घ) "प्रारुप" से इस योजना से सलंग्न प्रारुप अभिप्रते है।
- (ङ) "साधारण नियम" से सरकार बचत संवर्धन साधारण नियम 2018 अभिप्रेत है।
- (च) "वर्ष" से खाते में पहले निक्षेप की तारीख से आरम्भ होने वाली 12 मास की अवधि अभिप्रेत है।
- (2) उन शब्दो और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त है और परिभाषित नही है वही अर्थ होगे जो उस अधिनियम और साधारण नियमों में है।
- 3 खाते का खोला जाना- (1) खाता, खाता कार्यालय में प्ररुप- 1 में आवेदन पर :-
 - (क) किसी एकल व्यस्क द्वारा या
 - (ख) तीन तक संयुक्त व्यस्क : द्वारा या
 - (ग) किसी अवयस्क या विकृतचित व्यक्ति की और से सरंक्षक द्वारा या
 - (घ) कोई अवयस्क जिसने दस वर्ष की आयु पूरी कर ली है स्वयं अपने नाम से खाता खोल सकेगा।
 - (2) कोइ व्यक्ति अपने नाम से या अन्य के साथ संयुक्त रुप से एक से अधिक खाते रख सकेगा।
- **4 परिपक्वता अवधि –** खाते की परिपक्वता अवधि पाँच वर्षों की होगी।
- **5 निक्षेप** (1) उप-पैरा (2) से (4) और पैरा 10 के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई खाता धारक खाते मे मासिक निक्षेप करेगा।
 - (2) अन्य अभिधान के खाते के लिए, रिबेट की धन राशि उप पैरा (1) में विर्निदिष्ट दर के आनुपातिक होगी।
 - (3) छह मासिक या अधिक का अग्रिम निक्षेप वह मास भी शामिल होगा जिसमें निक्षेप किया गया है।
- (4) यदि अग्रिम निक्षेप छह मास से कम की अवधि के लिये किया गया है, कोइ रिबेट अनुज्ञय नहीं होगा और यदि अग्रिम निक्षेप बारह मास से कम की अवधि के लिए किये गये है तो रिबेट केवल छह मासिक अग्रिम निक्षेपों के लिए स्वीकृत विस्तार तक अनुज्ञय होगे।
- (5) अग्रिम तौर पर की गई छह मासिक निक्षेप या उससे अधिक के लिए रिबेट खाताधारक को इस बात पर ध्यान दिए बगैर दी जाएगी कि क्या किसी कैलेंडर मास में राशि एकमुश्त धनराशि निक्षेप की गई थी या किसी कैलेंडर मास में अलग-अलग तारीखों पर निक्षेप की गई थी।
- (6) जहां निक्षेपविभिन्न तारीखों पर किया जाता है, रिबेटनिक्षेप के समय संदत्त की जाएगी जो छह मास या उससे अधिक, जैसा भी मामला हो, के लिए अग्रिम निक्षेप करता है।
- (7) अग्रिम निक्षेप खाता खोलने के समय या तत्पश्चात किसी भी समय किया जा सकता है।
- (8) इस पैरा के अधीन अग्रिम निक्षेप लागू रिबेट के शुद्ध में किया जाएगा।
- (9) अग्रिम निक्षेप पांच वर्षों तक किसी भी अवधि के लिए किया जा सकता है।
- 8. समयपूर्व बंद करना- खाताधारक, प्ररूप 2 में लेखा अधिकारी को आवेदन करके, खाता खोलने की तारीख से तीन वर्ष के पश्चात खाते को समयपूर्व बंद कर सकता है और ऐसे खाते को समयपूर्व बंद करने पर डाकघर बचत खाते को समय-समय लागू दर पर ब्याज देय होगा।

परंतु खाते को समयपूर्व बंद करना अनुज्ञात नहीं होगा जब तक अवधि जिसके लिए अग्रिम निक्षेप पैरा 7 के अधीन किया गया है, बंद है । 9. परिपक्कता पर प्रतिसंदाय- (1) खाता जिसमें इसकी परिपक्कता अवधि या पैरा 6 के उप-पैरा (1) के अंतर्गत बढ़ायी गई परिपक्कता अवधि के दौरान साठ मासिक निक्षेप किए गए हैं, तो खाताधारक नीचे सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्ररूप-3 में आवेदन द्वारा धनराशि प्राप्त करने के लिए ऐसी अवधि के अंत में संदाय करेगा:-

सारणी

अवधि जिसके दौरान खाता खोला गया है	100 रुपए अभिधान के खाते पर प्रतिसंदाय धनराशि	
अधिसूचना की तारीख से	7231.38	
प्रतिसंदाय धनराशि ब्याज सहित अन्य अभिधान के खाते पर सारणी में विनिर्दिष्ट धन के आनुपातिक होगी।		

- (2) जहां खाता बंद हो गया है और परिपक्वता अविध या पैरा 6 के उपपैरा (1) के अंतर्गत विस्तारित परिपक्वता अविध के दौरान पुनरुज्जीवित नहीं किया गया है, खाताधारक ऐसी अविध के बीत जाने पर भी की ब्याज सहित जो उपपैरा (1) में सारणी में विनिर्दिष्ट धनराशि के उसी आनुपात में धनराशि प्राप्त करने का हकदार होगा।
- (3) परिपक्वता पर खाते को अंतिम रूप से बंद करने पर या अन्यथा खाते में देय राशि को निकटतम रुपये में पूर्णांकित किया जाएगा और इस प्रयोजनार्थ पचास पैसे या इससे अधिक की राशि को एक रुपया माना जाएगा तथा पचास पैसे से कम की राशि को छोड़ दिया जाएगा।
- 10. परिपक्वता अविध के पश्चात् खाता जारी रखना- (1) पूर्वगामी पैरा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, खाते में इसकी परिपक्वता अविध या पैरा 6 के उपपैरा (1) के अधीन यथा विस्तारित परिपक्वता अविध के दौरान यदि छह मासिक निक्षेप किए गए हैं, तो खाताधारक, अपने विकल्प पर, प्ररूप-4 में आवेदन करके, अधिकतम पांच वर्षों की आगे की अविध के लिए खाता जारी रख सकता है और इस प्रकार बढ़ाई गई अविध के दौरान मासिक निक्षेप कर सकता है जो पहले निक्षेप के बराबर होगी और ऐसे निक्षेप पर पैरा 6 और 7 के उपबंध लागू होंगे।
- (2) उप-पैरा (1) के अंतर्गत जारी रखे गए खाते को खाताधारक द्वारा किसी भी समय बंद किया जा सकता है और इस प्रकार बंद करने पर वह ब्याज सहित राशि का प्रतिसंदाय निम्नलिखित रूप से प्राप्त करने का हरदार होगा :-
- (क) यदि खाता वर्षों की पूर्ण संख्या के लिए उप-पैरा (1) के अधीन जारी रखने के पश्चात बंद किया जाता है, खाताधारक नीचे दी गई सारणी-1 में यथा विनिर्दिष्ट ब्याज सहित राशि को प्राप्त करने का हरदार होगा ;

सारणी 1 (इस योजना के प्रकाशन के बीच खोले गये खातों पर और परिपक्वता अवधि या पैरा 10 के उप पैरा (1) के अधीन

यथाविस्तारित अवधि के पश्चात मासिक नक्षेप के साथ जारी प्रतिसंदाय पर ब्याज सहित राशि)

पूर्ण वर्षों की संख्या जिसमें खाता जारी है	100 रुपये अभिधान के खाते पर प्रतिसंदाय राशि
एक वर्ष	9013.82
दो वर्ष	10928.10
तीन वर्ष	12983.98
चार वर्ष	15191.92

पाँच वर्ष	17563.19
किसी अन्य अभिधान पर ब्याज सहित प्रतिसंदाय राशि सारणी	में विनिर्दिष्ट राशि के आनुपातिक होगी।

- (ख) यदि खाता एक वर्ष से कम की अवधि के लिए उप-पैरा (1) के अंतर्गत जारी रखने के पश्चात बंद किया जाता है, खाताधारक;
- (i) पूर्ण माह जिस दौरान खाता जारी रहा था, के लिए ऐसी राशि पर ब्याज और (ii) वह अवधि जिस दौरान खाता जारी रहा था, के दौरान उसके द्वारा जमा की गई राशि के साथ पैरा 9 के उप-पैरा (1) के अधीन यथा विनिर्दिष्ट राशि प्राप्त करने का हकदार होगा।
- (ग) यदि खाता चार वर्ष से अनिधक तथा तत्पश्चात वर्ष के एक भाग के लिए संख्या में पूर्ण वर्षों के लिए उप-पैरा (1) के अंतर्गत जारी रखने के पश्चात बंद किया जाता है, खाताधारक;
- (i) उप-पैरा 2(क) के अधीन राशि,
- (ii) आंशिक वर्ष में पूर्ण मासों के लिए उस राशि पर ब्याज तथा,
- (iii) आंशिक वर्ष के दौरान उसके द्वारा की गई जमाराशि प्राप्त करने का हकदार होगा।
- (ঘ) खंड (ख) और (ग) में निर्दिष्ट ब्याज की गणना डाकघर बचत खाते में समय-समय पर लागू दर पर की जाएगी।
- 11. परिपक्वता अविध के पश्चात प्रतिसंदाय की राशि को प्रतिधारित करना- (1) पूर्वगामी पैरा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,खाते में इसकी परिपक्वता अविध या पैरा 6 के उप-पैरा (1) के अधीन यथा विस्तारित परिपक्वता अविध के दौरान यदि छह मासिक निक्षेप किए गए हैं, तो खाताधारक, अपने विकल्प पर,अधिकतम पांच वर्षों तक की अतिरिक्त अविध के लिए, ऐसी अतिरिक्त अविध के दौरान किसी नए निक्षेप को किए बिना पैरा 9 के उप-पैरा (1) के अधीन प्ररुप 3 पर आवेदन करके देय प्रतिसंदाय की राशि प्रतिधारित कर सकता है।
- (2) उप-पैरा (1) में निर्दिष्ट अतिरिक्त अवधि की समाप्ति पर खाता बंद किए जाने पर, खाताधारक नीचे दी गई सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिसंदाय प्राप्त करने का हकदार होगा।

अतिरिक्त अवधि जिसके लिए खाता प्रतिधारित है	देय राशि
(1)	(2)
(i) यदि अतिरिक्त अवधि एक वर्ष से कम है।	अतिरिक्त अवधि में पूर्ण महीनों के लिए उस राशि पर ब्याज के साथ पैरा 9 के उप-पैरा (1) के अंतर्गत देय राशि।
(ii) यदि अतिरिक्त अवधि केवल पूर्ण वर्षों में है।	सारणी-IV में विनिर्दिष्ट राशि।
(iii) यदि अतिरिक्त अवधि पूर्ण वर्षों में चार वर्ष से अनधिक और तत्पश्चात वर्ष का एक भाग है।	आंशिक वर्ष में पूर्ण महीनों के लिए उस राशि पर ब्याज सहित संख्या में पूर्ण वर्षों से संगत मद (ii) में निर्दिष्ट राशि।

सारणी 2 (इस योजना के प्रकाशन के बीच खोले गये खातों पर और परिपक्वता अवधि या पैरा 10 के उप पैरा (1) के अधीन यथाविस्तारित अवधि के पश्चात मासिक नक्षेप के साथ जारी प्रतिसंदाय पर ब्याज सहित राशि)

पूर्ण वर्षों की संख्या जिसमें खाता जारी है	100 रुपये अभिधान के खाते पर प्रतिसंदाय राशि
एक वर्ष	7766.26
दो वर्ष	8340.71
तीन वर्ष	8957.65
चार वर्ष	9620.23
पाँच वर्ष	10331.81

किसी अन्य अभिधान पर ब्याज सहित प्रतिसंदाय राशि सारणी में विनिर्दिष्ट राशि के आनुपातिक होगी।

- (3) उप-पैरा (2) की मद (i) और (iii) में विनिर्दिष्ट ब्याज की गणना डाकघर बचत खाता में समय-समय पर लागू ब्याज पर होगा।
- (4) (क) यदि बंद कर दिए गए खाते की परिपक्वता मुल्य खाताधारक द्वारा प्रतिधारित किया जाता है, तो परिपक्वता की तारीख के पश्चात पूर्ण किए गए वर्षों के लिए इस योजना को लागू दर से ब्याज और पूर्ण किए गए महीने, डाकघर बचत खाता को लागू दर के लिए यदि अवधि एक वर्ष से कम है, तो परिपक्वता मुल्य पर परिपक्वता की तारीख पर देय होगा।
- (ख) इस उप-पैरा के अधीन ब्याज का भुगतान खाते की परिपक्वता की तारीख से अधिकतम पांच वर्षों तक किया जाएगा।
- (5) परिपक्वता मुल्य के भुगतान के लिए अनुमत चूकों वाले खाते को भी जारी न रखे गए खाते के समान माना जाएगा और उन मामलों में जहां खाता जारी नहीं रखा गया है या अनुमत संख्या में चूक हुई हैं, ब्याज परिपक्वता मुल्य पर उप-पैरा (4) के अधीन विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार किया जाएगा।
- 12. खाता धारक की मृत्यु होने पर प्रतिसंदाय— (1) उप-पैरा (2) के अध्याधीन, एकल खाता में खाताधारक की या संयुक्त खाता में सभी खाताधारकों की मृत्यु होने पर, खाता में कोई और निक्षेप नहीं किए जाएंगे और प्रतिसंदाय ऐसी प्रक्रिया के उद्देश्यों के लिए जैसी भी स्थिति हो नामिति यो बिधिक वारिस को किया जाएगा। खाते पर प्रतिसंदाय के लिए देय राशि नीचे दी गई सारणी 1 में विनिर्दिष्ट है:-

सारणी 1

क्रम सं0	निक्षेपों की संख्या	देय राशि
(1)	(2)	(3)
1.	(क) यदि साठ मासिक निक्षेप किए गए हैं और खाता पैरा 10 या पैरा 11 के उप-पैरा (1) के अधीन जारी नहीं रखा गया है।	पैरा 9 के उप-पैरा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट राशि
2.	(ख) यदि साठ से कम मासिक निक्षेप किए गए हैं; और (i) यदि नामिति या विधिक वारिस परिपक्वता अविध या पैरा 6 के उप-पैरा (1) के अधीन बढ़ाई गई परिपक्वता अविध की समाप्ति पर देय राशि प्राप्त करने का इच्छुक है; या (ii) यदि नामिति या विधिक वारिस उपर्युक्त (i) में बताई गई अविध से पूर्व किसी भी समय देय राशि प्राप्त करने का इच्छुक है।	पैरा 13 के उपबंधों के अध्यधीन, पैरा 9 के उप-पैरा (1) के अधिन सारणी में विनिर्दिष्ट राशि। पैरा 13 के उपबंधों के अध्यधीन, सारणी 2 में विनिर्दिष्ट राशि।
3.	(ग) यदि खाता पैरा 10 या पैरा 11 के उप-पैरा (1) के अंतर्गत जारी रखा गया है।	पैरा 10 या पैरा 11, जैसा भी मामला हो, के उप-पैरा (2) में विनिर्दिष्ट राशि।

सारणी 2 इस योजना की अधिसूचना के दिन के बीच खोले गये खातों पर और खाते के बंद होने तक इस योजना के अधीन पाँच वर्ष में निक्षेपक की मृत्यू होने पर विधिक वारिस या नामिति को संदेय राशि

किए गये निक्षेपों की संख्या	100 रुपये के अभिधान लिए राशि (रुपये)	किए गये निक्षेपों की संख्या	100 रुपये के अभिधान लिए राशि (रुपये)
1 से 11	किया गया निक्षेप	36	4026.32
12	1247.55	37	4150.94
13	1355.59	38	4276.29
14	1464.27	39	4402.39
15	1573.60	40	4529.25
16	1683.59	41	4656.86
17	1794.22	42	4785.23
18	1905.52	43	4914.36
19	2017.48	44	5044.27
20	2130.11	45	5174.95
21	2243.41	46	5306.42
22	2357.39	47	5438.66
23	2472.05	48	5571.70
24	2587.39	49	5705.52
25	2703.42	50	5840.15
26	2820.14	51	5975.58
27	2937.55	52	6111.82
28	3055.67	53	6248.87
29	3174.49	54	6386.73
30	3294.02	55	6525.42
31	3414.27	56	6664.94
32	3535.23	57	6805.29
33	3656.91	58	6946.47
34	3779.32	59	7088.50
35	3902.45	60	7231.38

⁽²⁾ उप-पैरा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी यदि तीन उत्तरजीवित नामिति या विधिक वारिस हैं, तो वे निर्धारित प्ररूप में आवेदन प्रस्तुत करते हुए खाता जारी रख सकते हैं और इस योजना के लिए उपबंधित तरीके से ब्याज के साथ राशि का प्रतिसंदाय प्राप्त कर सकते हैं, मानो कि यह खाता उन्होंने स्वयं खोला था और लेखा कार्यालय सुसंगत अभिलेखों में यह टिप्पणियां दर्ज करेगा कि खाता नामिति या विधिक वारिस, जैसा भी मामला हो, के नाम अंतरित किया गया है।

⁽³⁾ संयुक्त खाते में एक या दो खाताधारकों की मृत्यु होने पर उत्तरजीवी खाताधारक या खाताधारकों को खाते का एकमात्र स्वामी या स्वामियों के रुप में माना जाएगा और ऐसे खाताधारक या खाताधारकों को उपबंधित किसी रीति से खाते का

संचालन कर सकते हैं मानो कि यह खाता उसने या उन्होंने स्वयं अपने नाम पर खोला था। यदि खाते में साठ से कम मासिक नक्षेप खाते में किए गए हैं तो उत्तरजीवि खाताधारक या खाताधारकों के पास खाता तुरंत बंद करने का भी विकल्प होगा और उप पैरा (1) में यथा विनिर्दिष्ट राशि प्राप्त करेगा।

- (4) अव्यस्क या विकृतचित व्यक्तियों के संरक्षक की मृत्यु होने पर, नया संरक्षक खाता बंद कर सकता है और पैरा 9 के उप-पैरा
- (1) या (2) या पैरा 10 के उप-पैरा (2) या पैरा 11 के उप-पैरा (2), जैसा भी मामला हो, में विनिर्दिष्ट राशि का दावा कर सकेंगे यदि वही ऐसे खाताधारक को ब्याज में अपेक्षित हो।
- (5) यदि खाता नामिति या विधिक वारिस द्वारा बंद कर दिया जाता है और खाते की अवधि के अंत में परिपक्वता मुल्य का दावा किया जाता है, तो संदेय राशि पैरा 9 के उप-पैरा (3) में विनिर्दिष्ट रीति से गणना की जाएगी।
- 13. कुछ मामलों में खाताधारक की मृत्यु होने पर पूर्ण परिपक्कता मुल्य का प्रतिसंदाय (संरक्षित बचत योजना) (1) जहां एकल खाते में खाताधारक या संयुक्त खाते में सभी खाताधारकों की मृत्यु खाते की परिपक्कता अविध या पैरा 6 के उप-पैरा (1) के अधीन बिस्तारित अविध के दौरान होती है, ऐसे खाताधारक या खाताधारकों के विधिक वारिस या नामिति, जैसा भी मामला हो, पैरा 9 के उप-पैरा (1) में विनिर्दिष्ट राशि प्राप्त करने के हकदार होंगे, मानो कि निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन, खाताधारक ने सभी साठ मासिक निक्षेपों का भगतान कर दिया था, अर्थात:-
- (i) इस पैरा के अधीन पूर्ण परिपक्वता मुल्य का भुगतान एक सौ रुपये के अभिधान के खाते की परिपक्वता मुल्य तक निर्बंधित रखा जाएगा;
- (ii) खाता, बंद खाता नहीं हुआ है;
- (iii) खाता खोलने की तारीख से खाताधारक या उत्तरजीवी खाताधारक, जैसा भी मामला हो, की मृत्यु की तारीख तक अवधि दो वर्ष से कम न हो;
- (iv) खाता खोलते समय खाताधारक अथवा खाताधारकों, जैसा भी मामला हो, की आयु अट्ठारह वर्ष से कम और पचपन वर्ष से अधिक न थी:

परंतु खाता खोलते समय या उसके पश्चात खाताधारक या खाताधारकों ने लेखा कार्यालय में लिखित में घोषणा नहीं की है, जिसमें खाताधारक या खाताधारकों की आयु दर्शायी गई है, दावेदार मृत खाताधारक अथवा खाताधारकों के जन्म प्रमाणपत्र/विद्यालय परित्याग प्रमाणपत्र/पैनकार्ड/मतदाता पहचान पत्र/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करेगा।

(v) पहले चौबीस मासिक निक्षेप को बिना चूक के किया गया है:

परंतु चूक हुई किस्त का भुगतान खाताधारक अथवा उत्तरजीवित खाताधारक, जैसा भी मामला हो, की मृत्यु से पहले पैरा 6 के उप-पैरा (2) के अधीन विनिर्दिष्ट पुनरुज्जीवन सहित किया जा चुका है, तो उसे चूक नहीं माना जाएगा;

- (vi) खाता खोलने की तारीख से चौबीस मास के पश्चात चूक की राशि, यदि कोई है, पैरा 6 के उप-पैरा (3) में विनिर्दिष्ट दर से ऐसी राशि पर पुनरुज्जीवन शुल्क के साथ इस पैरा के अधीन देय राशि में से काट ली जाएगी;
- (vii) पहले चौबीस महीनों के दौरान खाते में से कोई ऋण नहीं दिया गया है;
- (viii) खाता खोलने की तारीख से चौबीस मास के अवसान के पश्चात खाते में से पैरा 14 के अधीन ऋण लिया गया है, तो ऐसे ऋण की कोई बकाया राशि और पैरा 14 के अधीन उस देय ब्याज को इस पैरा के अधीन देय राशि में से वसूल कर लिया जाएगा।
- (2) (क) यदि खाताधारक या उत्तरजीवित खाताधारक के एक सौ रुपये से अनिधक अधिमान के एक से अधिक खाते हैं, तो इस पैरा के अधीन भुगतान का लाभ उन सभी खातों के संबंध में उपलब्ध होगा जिसे एक सौ रुपये के खाते की अधिकतम परिपक्वता मुल्य के अध्यधीन, खाताधारक अथवा उत्तरजीवित खाताधारक, जैसा भी मामला हो, द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया होगा।
- (ख) यदि खाताधारक या उत्तरजीवित खाताधारक के एक सौ रुपये से अधिक अधिमान के एक से अधिक खाते हैं, तो इस पैरा के अधीन भुगतान का लाभ केवल उस खाते के संबंध में उपलब्ध होगा जिसे एक सौ रुपये के मूल्य वर्ग के खाते की अधिकतम परिपक्वता अधिमान के अध्यधीन खाताधारक या उत्तरजीवित खाताधारक, जैसा भी मामला हो, द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया होगा।

परन्तु कि खाताधारक या उत्तरजीवित खाताधारक, लेखा कार्यालय जहां खाताधारित है, में आवेदन करते हुए खंड (क) या खंड (ख) में निर्दिष्ट खाते को परिवर्तित कर सकता है।

- (ग) यदि खंड (क) या खंड (ख), जैसा भी मामला हो, के अंतर्गत खाताधारक या उत्तरजीवित खाताधारक द्वारा कोई खाता विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है, इस पैरा के अधीन संदाय का लाभ पूर्ववर्ती खातों के संबंध में अनुमत होगा जो इस पैरा के अंतर्गत संदाय हेतु अर्हक हैं।
- (घ) खंड (क) से (ग) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि खाताधारक अथवा उत्तरजीवित खाताधारक के एक से अधिक खाते हैं और खातों के संबंध में अलग-अलग नामांकन किया गया है, इस पैरा के अधीन संदाय का लाभ पूर्ववर्ती खातों के संबंध में नामितियों को अनुमत होगा जो संदाय हेतु अर्हक हैं।
- (3) विधिक वारिस या नामिति, जैसा भी मामला हो, खाताधारक या उत्तरजीवित खाताधारक,जैसा भी मामला हो, की मृत्यु होने पर मृत खाताधारक के संबंध में मृत्यु प्रमाणपत्र या उसकी प्रमाणित प्रति के साथ ऐसे खाताधारक की मृत्यु की तारीख से एक वर्ष तक लेखा कार्यालय में आवेदन करेगा और लेखा कार्यालय नामिति/विधिक वारिस से यह घोषणा प्राप्त करेगा कि उसमें मृत खाता धारक के किसी खाते के संबंध में संरक्षित बचत योजना का लाभ इससे पूर्व नहीं लिया है।
- (4) खाताधारक की मृत्यु के पश्चात अग्रिम जमाओं की शेष राशि, यदि कोई है, तो उसको भी संरक्षित बचत स्कीम के अंतर्गत खाते की पूर्ण परिपक्वता राशि के साथ दावेदार को वापस लौटा दिया जाएगा।
- (5) (क) एक सौ रुपये से अधिक के अभिधान के खाते के मामले में, आनुपातिक परिपक्वता राशि, जो खाते में साठ किस्तों की जमाओं की संख्या की पूर्ण परिपक्वता राशि के समानुपात में होगी, का परिकलन किया जाएगा और इस तरह से परिकलित राशि यदि एक सौ रुपये मूल्यवर्ग के खाते की पूर्ण परिपक्वता राशि से अधिक बैठती है, तो इस पैरा के अंतर्गत कोई लाभ अनुमत नहीं होगा।
- (ख) यदि उक्त आनुपातिक परिपक्वता राशि एक सौ रुपये मूल्य वर्ग के खाते की पूर्ण परिपक्वता राशि से कम है, तो एक सौ रुपये के अभिधान की परिपक्वता राशि के बराबर राशि संरक्षित बचत स्कीम के अंतर्गत देय होगी।
- (6) यदि मृत खाताधारक के एक सौ रुपये से कम के अभिधान के एक से अधिक खाते हैं, तो इस स्कीम के अंतर्गत लाभ प्राप्त होगा, परंतु यदि उनके अभिधान का कुल एक सौ रुपये से अधिक होता है, तो स्कीम का लाभ केवल तभी अनुमत होगा जब उप-पैरा (5) में यथाविनिर्दिष्ट ऐसे सभी खातों की संयुक्त आनुपातिक परिपक्वता राशि एक सौ रुपये अभिधान के खाते की परिपक्वता राशि से कम है।
- **14. ऋण-** (1) उप-पैरा (2) से (7) के उपबंधों के अध्यधीन, जहां खाता पैरा 6 के उप-पैरा (2) के अंतर्गत बंद खाता नहीं बना है, खाताधारक प्ररुप 5 में लेखा कार्यालय पर आवेदन करके ऋण की सुविधा प्राप्त कर सकता है जो जमाराशि के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, यदि खाता न्यूनतम एक वर्ष प्रचालन में रहा है और खाते में बारह मासिक जमा किए गए हैं।
- (2) ऐसे ऋण की राशि दस रुपयों के गुणक में होगी जिसका प्रतिसंदाय खाता चालू रहने के दौरान किसी भी समय एकमुश्त अथवा बराबर मासिक किस्तों में किया जा सकता है।
- (3) ऋण के खाते को लागू ब्याज दर से अधिक दो प्रतिशता बिंदुओं की दर पर साधारण ब्याज निम्नलिखित रीति से देय होगा:-
- (क) यदि प्रतिसंदाय एकमुश्त है, आहरण की तारीख से प्रतिसंदाय की तारीख तक ऋण की राशि पर ब्याज उप-पैरा (3) में विनिर्दिष्ट दर से परिकलित किया जाएगा;
- (ख) यदि भुगतान बराबर मासिक किस्तों में है, प्रत्येक किस्त की राशि दस रुपयों के गुणक में होगी और किस्तों की संख्या खाते की परिपक्वता अथवा परिपक्वता पश्चात अविध, जिसके लिए खाता पैरा 10 या पैरा 11 के अंतर्गत जारी रखा गया है, के लिए शेष महीनों की संख्या से अधिक नहीं होगी और ब्याज ऋण आहरित करने के महीने से प्रत्येक महीने के अंत पर भुगतान हेतु शेष राशि पर परिकलित किया जाएगा और ऐसे ब्याज की कुल राशि ऋण की राशि की पुनर्अदायगी की अंतिम किस्त के साथ अथवा जिस महीने ऋण की अंतिम किस्त का प्रतिसंदाय किया गया है, के बाद वाले महीने में देय होगी।
- (4)(क) खाते की परिपक्वता अवधि या पैरा 6 के उप-पैरा (1) या पैरा 10 के उप-पैरा (1) के अंतर्गत इसके विस्तार अवधि के दौरान, ऋण, यदि कोई है, की पुनर्अदायगी की मासिक किस्त मासिक जमाओं के साथ देय होगी।
- (ख) यदि पैरा 11 के उप-पैरा (1) के अंतर्गत बिना किसी नई जमाराशि के परिपक्वता अवधि से आगे खाता जारी रखा जाता है, ऋण, यदि कोई है, की पुनर्अदायगी की मासिक किस्तों का भुगतान इस विस्तार अवधि के दौरान किया जा सकता है।
- (5) जहां, बिना किसी कारण ऋण या उसके भाग की राशि का प्रतिसंदाय नहीं किया गया है अथवा खाते को बंद करने से पहले खाताधारक द्वारा उस ऋण पर ब्याज का भुगतान नहीं किया गया है, इस संबंध में उसकी ओर से देय बकाया राशि खाता बंद किए जाने पर उसको अथवा उसके नामिति अथवा विधिक वारिस, जैसा भी मामला हो, को देय राशि में से वसूल की जाएगी।

- (6) कभी भी एक बार प्रतिसंदाय किए जा चुके ऋण पर वसूलनीय ब्याज की राशि निकटतम रुपये में पूर्णांकित की जाएगी और इस प्रयोजनार्थ पचास पैसे अथवा उससे अधिक की राशि का एक रुपये माना जाएगा और पचास पैसे से कम किसी भी राशि को छोड़ दिया जाएगा।
- (7) आवेदन की तारीख पर ऋण के प्रयोजनार्थ खाते में शेष राशि में अग्रिम जमाओं सहित सभी जमाओं को शामिल किया जाएगा।
- (8) (क) यदि वसूल किया जाने वाला ब्याज जमाओं पर देय ब्याज से अधिक है, खाताधारक को जमाओं की राशि में से आहरित की गई राशि काट के भुगतान किया जाएगा।
- (ख) ऋण पर वसूल किए जाने योग्य ब्याज की राशि घटाई जाएगी जिससे वह जमाओं पर देय ब्याज की राशि के बराबर हो जाए ताकि एक खाताधारक निवल जमाओं को प्राप्त कर सके।
- **15. संव्यवहार का पूर्णांकन-** इस स्कीम के अंतर्गत वसूलियों, आहरणों, पुनर्भुगतानों के सभी संव्यवहारों को निकटतम रुपये में पूर्णांकित किया जाएगा और इस प्रयोजनार्थ पचास पैसे अथवा उससे अधिक की राशि का एक रुपये माना जाएगा और पचास पैसे से कम किसी भी राशि को छोड़ दिया जाएगा।
- **16**. **अव्यस्क के वयस्क हो जाने पर प्रक्रिया-** (1) नाबालिग जिसकी ओर से खाता खोला गया है, वयस्क होने पर –
- (क) पूर्ण परिपक्वता अवधि के लिए अथवा पैराग्राफ 6 के उप-पैरा (1) अथवा पैरा 10या पैरा 11, जैसा भी मामला हो, के अंतर्गत इसके विस्तार अवधि के दौरान के खाता जारी रख सकता है; या
- (ख) यदि वह अब खाता आगे जारी नहीं रखता है, परिपक्वता अवधि की समाप्ति पर पैरा 9 के उप-पैरा (1) में यथा विनिर्दिष्ट आनुपातिक राशि या पैराग्राफ 10 के उप-पैरा (2) या पैरा 11 के उप-पैरा (2), जैसा भी मामला हो, के अंतर्गत देय राशि का दावा कर सकता है।
- (2) अव्यस्क जो उप-पैरा (1) के खंड (क) के अंतर्गत खाते को जारी रखने का विकल्प चुनता है, को यथोचित प्रक्रिया पूरी करनी होगी और निम्नानुसार घोषणा करनी होगी:
- "मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने सामान्य नियम तथा राष्ट्रीय बचत आवर्ती जमा योजना-2019 का अध्ययन कर लिया है और मैं उक्त नियमों और योजना और उसके ऐसे सभी संशोधनों, जिन्हें समय-समय पर जारी किया गया है, स्वयं पर बाध्यकारी स्वीकार करता/करती हूँ।"
- **17.सामान्य नियमो लागू होना -** सामान्य नियमो उपबंध,उन मामलों के संबंध में भी लागू होगें, जिनके लिए इस योजना में कोई उपबंध नहीं किए गए हैं।
- 18. **छूट देने की शक्ति** जहां केंद्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट होती है कि इन नियमों के किसी प्रावधान के प्रचालन से खाताधारक को अनावश्यक कठिनाई का सामना करना पड़ता है, तो ऐसे खाताधारक के संबंध में जो इन नियमों के अन्य उपबंधों के लिए अप्रासंगिक न हो उस तरीके से आदेश द्वारा इसके कारणों को लिखित रूप में रिकार्ड रखते हुए अधिनियम के उपबंध या उपबंधों की आवश्यकता में छुट दे सकती है।

[फा. सं. 2/2/2018-एनएस(भाग-I)] रजत कुमार मिश्रा, संयुक्त सचिव

प्ररुप - 1 [पैरा 3 का उप-पैरा (1) देखें] (खाता खोलने के लिए आवेदन)

सेवा में	
डाकपाल/प्रबंधक	आवंदक का फोटो चिपकाएं
श्रीमान.	

मैं/हम(खाताधारक/सरंक्षक) आपके डाकघर/बैंक में राष्ट्रीय बचत आवर्ती जमा स्कीम के अधीन एक खाता खोलने के लिए आवेदन करता हूं/करते हैं ।

हम आरंभिक जमा के रुप में तारीख द्वारा ि	
पति/पिता/माता या न्यायालय द्वारा ि	नेयुक्त संरक्षक का नाम
जन्म तारीख	
	(तारीख / मास / वर्ष)
	(शब्दों में)
2. दूसरे जमाकर्ता का नाम	
पति/पिता/माता या न्यायालय द्वारा रि	
जन्म तारीख	
	(तारीख / मास / वर्ष)
	(शब्दों में)
पति/पिता/माता या न्यायालय द्वारा रि	नेयुक्त संरक्षक का नाम
जन्म तारीख	
	(तारीख / मास / वर्ष)
	(शब्दों में)
4. अवयस्क या विकृतचित खाताधारक(क	ों) का नाम
<u> </u>	
पिता/माता/संरक्षक का नाम —— ——	
जन्म तारीख	(
	(तारीख / मास / वर्ष)
5. खाताधारक(कों) की आधार संख्या	(शब्दों में)
0. 41.41417 M M 417.41511	
6. खाताधारक(कों) की स्थायी खाता संख्	या (पैन)
7. वर्तमान पता	
स्थायी पता	

8. संपर्क ब्यौरे	दूरभाष संख्या
	मोबाइल नं
	ई-मेल आई डी
 खाते का प्रकार एकल या संयुक्त या अवयस्क के प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा 	या विकृतचित के संरक्षक के माध्यम से या दृष्टिहीन अथवा दिव्यांग जन
10. (*)अवयस्क की जन्म तारीख के ब्यौरे	
. , , , , ,	
12. संलग्न किए गए अन्य केवाईसी दस्तावेजों	के ब्यौरे 1. पहचान का सबूत
पहचान और पते के सबूत के प्रयोजन के लि	ए निम्नलिखित दस्तावेज विधिमान्य दस्तावजों के रुप में स्वीकृत होगें :
	ता पहचान पत्र 4. राज्य सरकार के अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित नरेगा रजिस्टर द्वारा नाम और पते के ब्यौरे अंतर्विष्ट करते हुए, जारी पत्र
	खाते की दशा में) (क) सभी खाताधारक/खाताधारकों या उत्तरजीवी खाताधारक/खाताधारकों या उत्तरजीवी जमाकर्ता/जमाकर्ताओं में से
14. मेरे/हमारे नमूना हस्ताक्षर	
1 (नाम)	2 3.,
1 (नाम)	23
1 (नाम)	2 3

	 ताम)			3		
•				नेयम–2018 तथा	उसमें समय-स	मय पर किए
गए सं	मैं, स्कीम के उपबंधों और स्कीम पर लागू सरकारी बचत संवर्द्धन नियम–2018 तथा उसमें समय-समय पर किए गए संशोधनों के पालन करने का वचन देता हूं ।					
तारीख	I'		खाताधारक(कों)/संरक्षक के हस्त	गक्षर या अंगूठे	का निशान
		नार	गां कन			
16. ‡	Î /हम			न (त्यक्तियों) को	नामांकित कर	ਗ ਵਂ/ਕਰਰੇ ਵੈਂ
जिन्हें	गरुन मेरी/हमारी मृत्यु की दशा में सभी ह समय जमा की गई रकम संदेय हो	अन्य व्यक्तियों को				
क्रम		पूरा पता	नामनिर्देशिती	अवयस्क की	हिस्सा	हकदारी की
सं.	नामनिर्देशिती(नामनिर्देशितियों)		का आधार	दशा में	जिसके	प्रकृति
	का(के) नाम और संबंध		संख्या	नामनिर्देशिती	लिए	न्यासी या
			(वैकल्पिक)	की जन्म तारीख	हकदार होगा	स्वामी
1						
2						
3						
4						
क्योंवि मैं/द्रम	ज्यपरोक्त विनिर्दिष्ट क्रम सं.	शी/श्रीमति/कमारी		का (के) नामि	नेर्देशिती अवय पत्र/प	ग्रस्क हैं अत: ह्यी/पत्नी/
						,
	को नामनिर्देशिती (न के अधीन बकाया राशि प्राप्त करने वे	ामनिर्देशितियों) के	अवयस्क रहने के		मृत्यु होने की	दशा में उक्त
		G	•			
	1. साक्षी के हस्ताक्षर नाम और पता					
	क्षी के हस्ताक्षर					
	और पता					
सारा	-u × (M)		••••			
			खाताधारव	क(कों)/संरक्षक के ह	स्ताक्षर या अंगृ	्ठे का निशान
स्थान						
तारीख	Γ·					

डाकघर/बैंक के प्रयोग के लिए	
रपये आरंभिक जमा के साथ	
का नाम) के अधीन खाता संख्यातारीखतारीखदारा ख उपभोक्ता पहचान संख्या	बाता खोला गया है
नामांकन, संख्या द्वारा रजिस्ट्रीकृत किया गय	ग है ।
सक्षम प्राधिकार	ी के हस्ताक्षर और मुद्र
प्ररुप - 2	
[पैरा 8 देखें]	
(समयपूर्व खाता बंद करने के लिए आवेदन)	
सेवा में	
डाकपाल/प्रबंधक	
श्रीमान जी.	
1. मैं/हम राष्ट्रीय बचत आवर्ती जमा स्कीम के अधीन खोले गए मेरे/हमारे खाता संख्या जिसका अतिशेष	
बंद करना चाहते हैं और नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार लागू शास्ति को घटाने के पश्चात् रकम का संद करते हैं :-	_नात) हु या समयपूर ाय करने का अनुरोध
कृपया(कार्यालय का नाम जहां खाता स्थित है) पर मेरे में रकम जमा करें ।	एसबी खाता संख्या
या	
कृपया मांगदेय ड्राफ्ट/ पाने वाले खाते में देय चेक जारी करें ।	
या	
कृपया नगद संदाय करें (लागू होगा यदि रकम अनुज्ञेय सीमा से कम है)	
3. मैं/हम यह घोषणा करते हैं कि वह शर्त जिसके अधीन खाता राष्ट्रीय बचत आवर्ती जमा स्कीम के अ खाता बंद किया जा सकता है, का अनुपालन कर लिया गया है।	धीन परिपक्वता से पूर्व
*यह प्रमाणित किया जाता है कि खाते की रकम जीवित और विद्यमान अवयस्कअपेक्षित है।	के उपयोग के लिए
तारीख खाताधारक (कों)/संरक्षक के हस्ताक्षर या अंगूठे का ि	नेशान
	 ा जाना चाहिए)
केवल कार्यालय प्रयोग के लिए	
संदाय के ब्यौरे	
खाते में उपयुक्त अतिशेष	
घटाई गई शास्ति की रकम	

संदत्त किए जाने वाली कुल रकम `	(अंकों में)
(शब्दों में)	
तारीख मुद्रा	डाकपाल/प्रबंधक के हस्ताक्षर
/11111011111	निस्तारण पत्र
	संदेशवाहक द्वारा भरा जाए)
(अका म) संख्या तारीख में अंतरित किए गए .	(शब्दों में) रुपये नकद द्वारा प्राप्त हुए/ चैक/डीडी . द्वारा खाता संख्या
तारीख: खाताधारक (कों)/संरक्षक वे	हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान
	प्ररुप – 3
[पैरा 9	का उप-पैरा (1) देखें]
(खाते को	बंद करने के लिए आवेदन)
डाकघर/बैंक का नाम	तारीख
खाता संख्या	
1. मैं/हम पास बुक/जमा रसीद प्रस्तुत तारीखपर परिपक्व होने पर बं	कर रहे हैं और मेरे/हमारे उपरोक्त उल्लिखित खाते को द करने के लिए आवेदन करते हैं।
 कृपया मेरे परिपक्व खाते में से उपयुक्त अतिशे 	ोष(कार्यालय का
	में रकम जमा करें ।
	या
कृपया मांगदेय ड्राफ्ट/ पाने वाले खाते में देय चेक जारी	करें ।
	या
कृपया नगद संदाय करें (लागू होगा यदि रकम अनुज्ञेय स	गिमा से कम है)
*यह प्रमाणित किया जाता है कि खाते की रकम र्ज अपेक्षित है।	वित और विद्यमान अवयस्कके उपयोग के लिए
	खाताधारक (कों)/संरक्षक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान
	ाता है, परिचित व्यक्ति द्वारा अनुप्रमाणित किया जाना चाहिए)
••	ाता ह, पाराचत व्याक्त द्वारा अनुप्रमााणत किया जाना चाहिए <i>)</i> संदाय का आदेश
	तथाय का जावरा नार्यालय प्रयोग के लिए)
(भवरा अ	तारीख

	संदाय के ब्यौरे	
मूल रकम रुपयों में		
(+) ब्याज रुपयों में		
(-) अति संदत्त व्याज की वसूली रूपयों में		
कटौती यदि कोई रुपयों में		
कुल बकाया रकम रुपयों में		
(अंकों में)		_(शब्दों में) रुपये अदा करें
तारीख		
		डाकपाल/प्रबंधक के हस्ताक्षर
	निस्तारण पत्र	
	(जमाकर्ता द्वारा भरा जाए)	
(अंको में) संख्यातारीख		ये नकद द्वारा प्राप्त हुए/चैक/डीडी
में अंतरित किए गए		
	खाताधारक (कों),	/संरक्षक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान
	प्ररुप- 4	
	[पैरा 10 का उपपैरा (1) देखें]	
	(खाते के विस्तार के लिए आवेदन)	
सेवा में,		
डाकपाल/प्रबंधक		
श्रीमान जी,		
1. मैं/हमआपके कार के जमाकर्ता हूं/हैं । उक्त के को परिपक्व हो चुका है/ह वर्ष (वर्षों) की और अ अनुरोध करते हैं ।	खाता तारीखको खोला ो जाएगा । हम उपरोक्त कथित	खाते की परिपक्वता की तारीख से

2. मैंने/हमने समय-समय पर यथासंशोधित उक्त स्कीम के अधीन अवधि के विस्तार के दौरान खाते पर लागू निबंधनों और शर्तों को समझ लिया है और उसका पालन करुंगा/करेंगे।

स्थान:	
तारीख:	खाताधारक (कों)/संरक्षक के हस्ताक्षर
	(नाम और पता)
केवल उ	 इस कार्यालय जिसमें खाता है के प्रयोग के लिए
खाता संजो	(स्कीम का नाम) के अधीन तारीखको
रपयों के साथ खोला ग	।या था और तारीखको परिपक्व हुआ था, का
	के अधीन तारीखसेसे तकतकवर्षों की
अवधि के लिए विस्तार किया गया है।	
Ç	रसीद/खाते के विवरण में आवश्यक प्रविष्िटयां की जा चुकी है ।
तारीख:	डाकपाल/प्रबंधक के हस्ताक्षर
	मुद्रा
	प्ररुप - 5
	[पैरा 14 का उप-पैरा (1) देखें]
	(ऋण के लिए आवेदन)
सेवा में	· · · · ·
डाकपालप्रबंधक/	
श्रीमान जी.	
•	(खाताधारक/सरंक्षक), मेरे/हमारे खाते से नीचे दिए गए ब्यौरों के अनुसार
म/हम ऋण के लिए आवेदन करता हूं/करते हैं।	(खाताधारक/सरक्षक), मर/हमार खात स नाच ।दए गए ब्यारा क अनुसार
खाता संख्या	
ऋण की रकम जिसके लिए आवेदन किया ग	
*यह प्रमाणित किया जाता है कि खात के अपेक्षित है।	ो रकम जीवित और विद्यमान अवयस्कके उपयोग के लिए
. कृपया ऋण की रकम	(कार्यालय का नाम जहां खाता स्थित
है) पर मेरे एसबी खाता संख्या	में रकम जमा करें ।
	या
कृपया मांगदेय ड्राफ्ट/ पाने वाले खाते में देय	चेक जारी करें ।
	या
कृपया नगद संदाय करें (लागू होगा यदि रक	म अनुज्ञेय सीमा से कम है)
. ,,,	्र म के अधीन ऋण प्रदान करने के लिए लागू सभी शर्तों का पालन कर लिया गया है
	2
तारीख:	खाताधारक (कों)/संरक्षक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान
	द्वारा अनुप्रमाणित
(अनुप्रमाणन अंगूठे की निशानी की दशा में रू	

केवल कार्यालय उपयोग के लिए संदाय के ब्यौरे

खाते में उपलब्ध रकम (रुपयों में)	
आरंभिक अभिदान की तारीख	
तारीख जिसको पिछला ऋण अनुज्ञात किया गया थ	т
ऋण के लिए प्रदान की गई कुल रकम	(अंकों में)(शब्दों में
	डाकपाल या प्रबंधक के हस्ताक्षर
तारीख	मुद्रा
	निस्तारण पत्र
(5	नमाकर्ता द्वारा भरा जाए)
(अंको में) संख्यातारीख	(शब्दों में) रुपये नकद द्वारा प्राप्त हुए/चैक/डीडी द्वारा खाता संख्या में अंतरित किए गए .
तारीख: खाताधारक (कों)/स	ांरक्षक के हस्ताक्षर या अंगुठे का निशान

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th December, 2019

- **G.S.R. 918(E).** In exercise of the powers conferred by section 3A of the Government Savings Promotion Act,1873 (5 of 1873), the Central Government hereby makes the following Scheme, namely:-
- **1. Short title and commencement.-** (1) This Scheme may be called the National Savings Recurring Deposit Scheme, 2019.
- (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
- 2. **Definitions.-** (1) In this Scheme, unless the context otherwise requires,-
 - (a) "account" means an account opened under this Scheme;
 - (b) "account holder" means an individual in whose name the account is held;
 - (c) "Act" means The Government Savings Promotion Act, 1873 (5 of 1873);
 - (d) "Form" means forms appended to this Scheme;
 - (e) "General Rules" means the Government Savings Promotion General Rules, 2018;
 - (f) "year" means a period of twelve months commencing from the date of first deposit in the account.
- (2) Words and expressions used herein but not defined shall have the meanings respectively assigned to them in the Act and the General Rules.
- **3. Opening of account.-** (1) On an application in Form-1 to the accounts office, an account may be opened by-
- (a) a single adult; or
- (b) upto three adults jointly;
- (c) a guardian on behalf of a minor or a person of unsound mind; or
- (d) a minor who has attained the age of ten years, in his own name.
- (2) An individual may have more than one account in his name or jointly with another.

- **4. Maturity period.-** The maturity period of the account shall be five years.
- **5. Deposits.-** (1) Subject to the provisions of sub-paragraphs (2) to (4) and paragraph 10, an account holder shall make sixty monthly deposits in an account.
- (2) The minimum amount of monthly deposit in an account shall be one hundred rupees or any sum in multiples of ten rupees.
- (3) The first monthly deposit shall be made at the time of opening of the account and the amount of such deposit shall be the denomination of the account.
- (4) Subsequent deposits equal to the first deposit shall be made upto the fifteenth day of each month, if account is opened before the sixteenth day of a calendar month; and upto the last working day of each month, if the account is opened between the sixteenth day and the last working day of a calendar month.
- **6. Defaults in deposits.-** (1) If there are not more than four defaults in monthly deposits, the account holder may, at his option, extend the maturity period of the account by as many months as the number of defaults and deposit the defaulted instalments during the extended period.
- (2) If there are more than four defaults, the account shall be treated as discontinued and revival of the account shall be permitted only within a period of two months from the month of fourth default.
- (3) Revival fee at the rate of one rupee for every hundred rupees of a defaulted instalment for each month of default (proportionate amount for other denominations) shall also be paid alongwith such deposit in lump-sum.
- (4) An account in which defaulted instalments are so deposited, shall not be treated as discontinued.
- **7.** Advance deposits.- (1) In an account which has not become a discontinued account under paragraph 6, deposits for not less than six monthly instalments may be made in advance in any month at the option of the account holder and rebate on such deposits shall be admissible as follows:-

S.No.	Number of advance deposits	Rebate for an account of one hundred rupees denomination
(1)	(2)	(3)
1.	Six or more deposits but not exceeding eleven deposits made in any calendar month.	Ten rupees.
2	Twelve or more deposits made in any calendar month.	Forty rupees for every twelve deposits and ten rupees for the balance, if any, of not less than six deposits.

- (2) For accounts of other denominations, the amount of rebate shall be proportionate to the rates specified in sub-paragraph (1).
- (3) The advance deposit of six months or more will be inclusive of the month in which the deposit is made.
- (4) If advance deposits are made for a period less than six months, no rebate shall be allowed and if the advance deposits are made for a period less than twelve months, the rebate shall be allowed to the extent admissible for six monthly advance deposits only.
- (5) The rebate for six monthly deposits or more made in advance may be given to the account holder irrespective of whether the amount was deposited in one lump sum in any calendar month or on different dates in any calendar month.
- (6) Where deposits are made on different dates, the rebate shall be paid at the time of deposit which makes advance deposit for six or more months, as the case may be.
- (7) The advance deposit may be made at the time of opening of the account or any time thereafter.
- (8) The advance deposit under this paragraph may be made net of the applicable rebate.
- (9) Advance deposits may be made for any period upto five years.

8. Premature closure.- The account holder may, by making an application to the accounts office in Form-2, close the account prematurely after three years from the date of opening of the account and interest at the rate applicable from time to time to the Post Office Savings Account shall be payable on such premature closure of account:

Provided that no premature closure of account shall be permissible until the period for which the advance deposits have been made under paragraph 7 is over.

9. Repayment on maturity.- (1) An account in which sixty monthly deposits have been made during its maturity period or maturity period as extended under sub-paragraph (1) of paragraph 6, the account holder shall be paid, at the end of such period, to receive an amount, by making an application in Form-3, as specified in the table below:-

TABLE

Period during which account is opened	Amount (Rupees) repayable on an account of 100 rupees denomination
From the date of notification	7231.38

Amount repayable inclusive of interest on an account of any other denomination shall be proportionate to the amount specified in the table.

- (2) Where an account has become discontinued and which have not been revived during its maturity period or maturity period as extended under sub-paragraph (1) of paragraph 6, the account holder shall be entitled, on the expiry of such period, to receive an amount, inclusive of interest which shall be in the same proportion to the amount specified in Table in sub-paragraph (1).
- (3) The amount payable on final closure on maturity or otherwise in the account shall be rounded off to the nearest rupee and for this purpose the amount of fifty paisa or more shall be treated as one rupee and any amount less than fifty paisa shall be ignored.
- **10.** Accounts continued beyond maturity period.- (1) Notwithstanding anything contained in the foregoing paragraphs, if sixty monthly deposits have been made in an account during its maturity period or maturity period as extended under sub-paragraph (1) of paragraph 6, the account holder may, at his option, continue the account, by making an application in Form-4, for a further period of upto a maximum of five years and make monthly deposits which shall be equal to the first deposit, during such further period and the provisions of paragraphs 6 and 7 shall be applicable to such deposits.
- (2) An account continued under sub-paragraph (1) may at any time be closed by the account holder, and on such closure he shall be entitled to receive repayment of the amount, inclusive of interest, as follows:-
- (a) If the account is closed after being continued under sub-paragraph (1) for a completed number of years, the account holder shall be entitled to receive the amount inclusive of interest as specified in table-1 below:-

TABLE 1

(Amount inclusive of interest repayable on the accounts opened on or after the publication of this scheme and continued with monthly deposits beyond the maturity period or maturity period as extended under sub-paragraph (1) of paragraph 10.)

Number of completed years for which the account continued	Amount (Rupees) repayable on an account of 100 rupees denomination
One year	9013.82
Two years	10928.10
Three years	12983.98
Four years	15191.92
Five years	17563.19

Amount repayable inclusive of interest on an account of any other denomination shall be proportionate to the amount specified in the table.

- (b) If the account is closed after being continued under sub-paragraph(1) for a period of less than one year, the account holder shall be entitled to receive the amount as specified under sub-paragraph (1) of paragraph 9 together with;
- (i) interest on such amount for the complete months for which the account was continued; and (ii) the amount of deposits made by him during the period for which the account was continued;
- (c) If the account is closed after being continued under sub-paragraph (1) for completed number of years not exceeding four and for a part of a year thereafter, the account holder shall be entitled to receive,-
- (i) the amount under clause (a) of sub-paragraph 2;
- (ii) interest on such amount for the complete months in the partial year; and
- (iii) the amount of deposits made by him during the partial year;
- (d) The interest referred in clause (b) and clause (c) shall be calculated at the rate applicable, from time to time, to the Post Office Savings Account.
- 11. Retention of amount of repayment beyond maturity period.- (1) Notwithstanding anything contained in the foregoing paragraphs, if sixty monthly deposits have been made in an account during its maturity period or maturity periods as extended under sub-paragraph (1) of paragraph 6, the account holder may, at his option, retain in it the amount of repayment due, by making an application in Form-3, under sub-paragraph (1) of paragraph9 for a further period upto a maximum of five years without making any fresh deposits during such further period.
- (2) On closure of the account at the expiry of the further period referred to in sub-paragraph (1), the account holder shall be entitled to receive repayment as specified in Table 1 below:-

TABLE 1

Further period for which account is retained	Amount due
(1)	(2)
(i) If the further period is less than one year.	The amount due under sub- paragraph (1) of paragraph9 together with interest on such amount for the complete months in the further period.
(ii) If the further period consists of complete years only.	The amount specified in Table IV.
(iii) If the further period consists of completed years not exceeding four and a part of the year thereafter.	The amount referred to in item (ii), relevant to the number of completed years together with interest on such amount for the complete months in the partial year.

TABLE 2

(Amount inclusive of interest repayable on an account opened on or after day of notification of this gazette and continued without any fresh monthly deposit beyond the maturity period or maturity period as extended under sub-paragraph (1) of paragraph 11.)

Number of completed years for which the account continued	Amount (Rupees) repayable on an account of 100 rupees denomination
One year	7766.26
Two years	8340.71
Three years	8957.65
Four years	9620.23
Five years	10331.81

Amount repayable inclusive of interest on an account of any other denomination shall be proportionate to the amount specified in the table.

- (2) The interest specified in items (i) and (iii) of sub-paragraph (2) shall be calculated at the rate applicable from time to time to the Post Office Savings Account.
- (3) (a) If maturity value of a discontinued account is retained by the account holder after the date of maturity, interest at the rate applicable to this Scheme for completed years, and at the rate applicable to the Post Office Savings Account for completed months, if the period is less than a year, shall be paid on the maturity value on the date of maturity.
- (b) The interest under this sub-paragraph may be paid upto a maximum period of five years from the date of maturity of the account.
- (4) The accounts having permissible defaults shall also be treated at par with discontinued accounts for the payment of maturity value and in cases where the account is discontinued, or is having permissible defaults, interest shall be paid on the maturity value as per the rates specified under sub-paragraph (4).
- 12. Repayment on the death of the account holder.- (1) Subject to sub-paragraph (2), on the death of the account holder in a single account, or of all the account holders in a joint account, no further deposits shall be made in the account and the repayment shall be made to the nominee or legal heirs as the case may be. For the purposes of such procedure, the amount due for repayment on the account shall be specified in the Table -1 below:-

TABLE - 1

Sl. No.	Number of deposits	Admissible amount
(1)	(2)	(3)
1.	(a) If sixty monthly deposits have been made and the account has not been continued under sub- paragraph (1) of paragraph 10 or paragraph 11.	The amount specified in Table under sub-paragraph (1) of paragraph 9.
	(b) If less than sixty monthly deposits have been made in the account: and	
2.	(i) if the nominee or the legal heir desires to receive the amount due on the expiry of maturity period or extended maturity period under sub-paragraph (1) of paragraph 6: or	The amount specified in Table under sub-paragraph (1) of paragraph 9, subject to the provisions of paragraph 13.
	(ii) if the nominee or legal heir desires to receive the amount due at any time earlier than under (i) above.	The amount specified in Table-2 subject to the provisions of paragraph 13.
3.	(c) If the account has been continued under sub-paragraph (1) of paragraph 10 or paragraph 11.	The amount specified in sub- paragraph (2) of paragraph 10 or paragraph 11, as the case may be.

TABLE - 2

(Amount payable to legal heir or nominees on the death of the depositor in five year under this scheme on the accounts opened between the day of notification of this scheme and upto closure of the account)

Number of deposits	Amount (Rupee) for	No. of deposits made	Amount (Rupees) for denomination
made	denomination of 100		of 100 rupees
	rupees		
1 to 11	Deposits made	36	4026.32
12	1247.55	37	4150.94
13	1355.59	38	4276.29
14	1464.27	39	4402.39
15	1573.60	40	4529.25

Number of deposits made	Amount (Rupee) for denomination of 100 rupees	No. of deposits made	Amount (Rupees) for denomination of 100 rupees
16	1683.59	41	4656.86
17	1794.22	42	4785.23
18	1905.52	43	4914.36
19	2017.48	44	5044.27
20	2130.11	45	5174.95
21	2243.41	46	5306.42
22	2357.39	47	5438.66
23	2472.05	48	5571.70
24	2587.39	49	5705.52
25	2703.42	50	5840.15
26	2820.14	51	5975.58
27	2937.55	52	6111.82
28	3055.67	53	6248.87
29	3174.49	54	6386.73
30	3294.02	55	6525.42
31	3414.27	56	6664.94
32	3535.23	57	6805.29
33	3656.91	58	6946.47
34	3779.32	59	7088.50
35	3902.45	60	7231.38

Amount repayable inclusive of interest on an account of any other denomination shall be proportionate to the amount specified in the table.

- (2) Notwithstanding anything contained in sub-paragraph (1), if there are upto three surviving nominees or legal heirs, they may continue the account and receive repayment of the amount inclusive of interest, in the manner provided for in this Scheme, as if the account had been opened themselves, by submitting an application in the prescribed form and the Accounts Office shall make remarks in the relevant records that the account is transferred in the name of the nominee or the legal heir, as the case may be.
- (3) On the death of one or two account holder in a joint account, the surviving account holder or holders shall be treated as the sole owner or owners of the account and such holder or holders may deal with the account in any manner provided for in this Scheme, as if had opened the account in his or their name. If less than sixty monthly deposits have been made into the account, the surviving account holder or holders shall also have the option to close the account immediately and receive the amount as specified in sub-paragraph (1).
- (4) On the death of the guardian of minor or a person of unsound mind, the new guardian may close the account and claim the amount as specified in sub-paragraph (1) of paragraph 9 or sub-paragraph (2) of paragraph 10 or sub-paragraph (2) of paragraph 11, as the case may be, if the same is required in the interest of such account holder.
- (5) If the account is discontinued by the nominee or the legal heir and the maturity value is claimed at the end of the term of the account, the amount payable shall be calculated in the manner specified in subparagraph (3) of paragraph 9.
- 13. Repayment of full maturity value on the death of account holder in certain cases (Protected Savings Scheme).- (1) Where the account holder in a single account or all the account holders in a joint account dies

during the maturity period of an account or its extension under sub-paragraph (1) of paragraph 6, the legal heir or the nominee, as the case may be, of such account holder or holders, shall be entitled to receive the amount specified in sub-paragraph (1) of paragraph 9 as if the account holder had paid all the sixty monthly deposits subject to the following conditions, namely:-

- (i) the payment of full maturity value under this paragraph shall be restricted to the maturity value of an account of the denomination of one hundred rupees;
- (ii) the account has not become a discontinued account:
- (iii) the period from the date of opening the account to the date of death of the account holder or the surviving account holder, as the case may be, is not less than two years;
- (iv) the age of the account holder or the account holders, as the case may be, at the time of opening the account was not less than eighteen years and not more than fifty-five years:

Provided that where at the time of opening the account or thereafter, account holder or holders have not given a declaration in writing to the accounts office indicating the age of such account holder or holders, the claimant shall furnish a certified copy of the birth certificate or School Leaving Certificate or PAN card or voter I card or Passport or Driving License of the deceased account holder or holders;

(v) the first twenty-four monthly deposits have been made without default:

Provided that a defaulted instalment paid with revival fee specified under sub-paragraph (1) of paragraph 6 before the death of the account holder or the surviving account holder, as the case may be, shall not be treated as default;

- (vi) the amount of defaults, if any, after twenty-four months from the date of opening the account, together with revival fee on such amount at the rate specified in sub-paragraph (3) of paragraph 6 shall be deducted from the amount payable under this paragraph;
- (vii) no loan has been made from the account during the first twenty-four months;
- (viii) if a loan under paragraph 14 has been availed from the account after the expiry of twenty-four months from the date of opening of the account, any outstanding amount of such loan and the interest due thereon under paragraph 14 shall be recovered from the amount payable under this paragraph.
- (2) (a) If an account holder or the surviving account holder has more than one account of the denominations not exceeding one hundred rupees, the benefit of payment under this paragraph shall be available in respect of all such accounts which may be specified by the account holder or the surviving account holder, as the case may be, subject to a maximum of the maturity value of an account of one hundred rupees.
- (b) If an account holder or a surviving account holder has more than one account of the denominations exceeding one hundred rupees, the benefit of payment under this paragraph shall be available in respect of only that account which may be specified by the account holder or the surviving account holder, as the case may be, subject to a maximum of the maturity value of an account of denomination of one hundred rupees:

Provided that an account holder or a surviving account holder may, by making an application to the accounts office where the account is held, change the account referred to in clause (a) or clause (b).

- (c) If no account has been specified by an account holder or a surviving account holder under clause (a) or, as the case may be, under clause (b), the benefit of payment under this paragraph shall be admissible in respect of earlier accounts which qualify for payment under this paragraph.
- (d) Notwithstanding anything contained in clauses (a) to (c), if an account holder or the surviving account holder, has more than one account, and different nominations are made in respect of the accounts, the benefit of payment under this paragraph shall be admissible to the nominees in respect of earlier accounts which qualify for payment.
- (3) The legal heir or nominee, as the case may be, shall on the death of the account holder or the surviving account holder, as the case may be, apply to the Accounts Office not later than one year from the date of death of such account holder along with death certificate in respect of the deceased account holder, or a certified copy thereof, and the Accounts Office shall obtain a declaration from the nominee/legal heir that he has not previously availed the benefit of the Protected Savings Scheme in respect of any account of the deceased account holder.

- (4) The amount of advance deposits remaining after the death of the account holder, if any, shall also be refunded back to the claimant alongwith the full maturity value of the account under the Protected Savings Scheme.
- (5) (a) In case of an account of denomination of more than one hundred rupees, the proportionate maturity amount which shall bear the same proportion to the full maturity value as the number of instalments deposited in the account bear to sixty shall be calculated and if the amount so calculated exceeds the full maturity value of an account of the denomination of one hundred rupees, no benefit under this paragraph shall be admissible.
- (b) If the said proportionate maturity value is less than the full maturity value of an account of one hundred rupees denomination, then an amount equal to the maturity value of a one hundred rupees denomination shall be payable under the Protected Savings Scheme.
- (6) If a deceased account holder has more than one account having denominations of less than one hundred rupees eligible for benefit under this Scheme, but the total of their denominations exceeds rupees one hundred, the benefit of this Scheme shall be admissible only if the combined proportionate maturity amount, as specified in sub-paragraph (5), of all such accounts is less than the maturity value of the account of one hundred rupees denomination.
- **14. Loan.** (1) Subject to the provisions of sub-paragraphs (2) to (7), where an account has not become a discontinued account under sub-paragraph (2) of paragraph 6, the account holder by making an application to the accounts office in Form-5, may avail the facility of loan of the amount not exceeding fifty per cent. of the deposits made in the accounts after the account has been in operation for at least one year and twelve monthly deposits have been made in the account.
- (2) The amount of such loan shall be a multiple of ten rupees which may be repaid, at any time during the currency of the account in one lump sum or in equal monthly instalments.
- (3) Simple interest at the rate of two percentage points over and above the interest rate applicable to the account of the loan shall be payable in the following manner:-
- (a) in the case of repayment in one lump sum, interest at the rate specified in sub-paragraph (3), shall be calculated on the amount of loan from the date of withdrawal to the date of repayment;
- (b) in the case of repayment in equal monthly instalments, the amount of each instalment shall be in multiples of ten rupees and the number of instalments shall not exceed the number of months remaining for maturity of the account or the post maturity period for which the account is continued under paragraph 10 or paragraph 11 and the interest at the rate specified in sub-paragraph (3) shall be calculated on the amount remaining unpaid at the end of each month from the month of withdrawal of the loan, and the total amount of such interest shall be payable in lump sum alongwith the last instalment of repayment of the amount of loan or in the month following the month in which the last instalment of the loan is repaid.
- (4) (a) During the maturity period of an account or its extension under sub-paragraph(1) of paragraph 6 or sub-paragraph (1) of paragraph 10, the monthly instalment of repayment of loan, if any, shall be payable alongwith the monthly deposits.
- (b) If an account is retained beyond the maturity period without any fresh deposits under sub-paragraph (1) of paragraph 11, monthly instalments of repayment of loan, if any, may be paid during the period of such retention.
- (5) Where, for any reason, the amount of loan or a part thereof has not been repaid or the interest thereon has not been paid by the account holder before the closure of the account, the outstanding amount due from him in this behalf shall be recovered from the amount payable to him or to his nominee or legal heir, as the case may be, on the closure of the account.
- (6) The amount of interest recoverable on loan repaid on any one occasion shall be rounded off to the nearest rupee and for this purpose the amount of fifty paisa or more shall be treated as one rupee and any amount less than fifty paisa shall be ignored.
- (7) The balance in the account for the purpose of loan on the date of application shall include all deposits including advance deposits.
- (8) (a) In case the interest to be recovered is more than the interest payable on the deposits, the account holder shall be paid the amounts of deposits minus the amount of withdrawal made.

[भाग II-खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 95

- (b) The amount of interest to be recovered on the loan shall be reduced in order to make it equal to the amount of interest payable on the deposits so that the account holder may get back the net deposits.
- **15. Rounding off transactions.** All transactions of recoveries, withdrawals, repayments, etc., under this Scheme shall be rounded off to the nearest rupee and for this purpose any amount of fifty paisa or more shall be treated as one rupee and any amount less than fifty paisa shall be ignored.
- **16. Procedure on the minor attaining majority.** (1) A minor on whose behalf an account has been opened may, on his attaining majority,-
- (a) continue the account for full maturity period, or the maturity period as extended under sub-paragraph (1) of paragraph 6, or for a further period under paragraph 10 or paragraph 11, as the case may be; or
- (b) if he does not continue the account any longer, claim proportionate amount as specified in sub-paragraph (1) of paragraph 9 on expiry of maturity period, or the amount due under sub-paragraph (2) of paragraph 10 or sub-paragraph (2) of paragraph 11, as the case may be.
- (2) The minor who exercises the option to continue the account under clause (a) of sub-paragraph (1) shall complete due diligence process and, give a declaration as follows:
- "I hereby declare that the General Rules and the National Savings Recurring Deposit Scheme, 2019 have been read by/to me and I accept the said rules and the scheme and all such amendments thereto as may be issued from time to time as binding on me".
- **17. Application of General Rules.-** The provisions of the General Rules shall, so far as may be, apply in relation to the matters for which no provision has been made in this Scheme.
- **18. Power to relax.** Where the Central Government is satisfied that the operation of any of the provisions of this Scheme causes undue hardship to the account holder, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax the requirements of that provision or provisions in a manner not inconsistent with the provisions of the Act.

[F. No. 2/2/2018-NS (Pt. I)] RAJAT KUMAR MISHRA, Jt. Secy.

FORM -1

[See sub-paragraph (1) of paragraph 3] (Application for opening an account)

То		
	ne Postmaster/Manager	Paste photograph of applicant/s
Sir,		
under l	I/We(account holder(s)/guardian) hereby ap National Savings Recurring Deposit Scheme in your Post Office/Bank.	oply for opening of an account
I/We (Rs	tender herewith)	
•	date as initial deposit. My/our particulars are as	
1.	Name of First Depositor	
	Husband/Father /mother's name or Guardian appointed by Court	

	Date of Birth	(DD / MM / YYYY)
		(In words)
2.	Name of Second Depositor	
	Husband/Father /mother's name	
	Date of Birth	
		(DD / MM / YYYY)
		(In words)
3.	Name of Third Depositor	
	Date of Birth	
		(DD / MM / YYYY)
		(In words)
4.	Name of minor/person of unsound mind	account holder
	Father /mother/guardian's name	
	Date of Birth	
		(DD / MM / YYYY)
		(In words)
5.	Aadhaar Number of account holder(s)	
6.	Permanent Account Number (PAN) of a	account holder(s)
7.	Present Address	
	Permanent Address	
	Termanent / Radioss	
8.	Contact details	Telephone Number
••	Contact details	Mobile Number
		Email ID
9.	Type of Account	Single or Joint or through Guardian for Minor or
		person of unsound mind or blind or differently
		abled through authorized person.

(Applicable i	n case of minor account)	
d)	Certificate No.	
e)	Date of Issue	
f)	Issuing authority	
	Guardian (Natural/Legal)	
(In case the a	ccount is opened on behalf of a n of unsound mind)	
12. Details of ot	her KYC documents attached	1. Proof of identification
		2. Address proof
The following	loguments are accepted as valid	····
proof: 1. Passpo State Government and address; 13. The operation	ort 2. Driving license 3. Voter's	documents for the purpose of identification and addr ID card 4. Job card issued by NREGA signed by National Population Register containing details of na
proof: 1. Passpo State Government and address; 13. The operation holder/s. (In case of jo	ort 2. Driving license 3. Voter's ent officer 5. Letter issued by the n of the account will be:-	documents for the purpose of identification and addr ID card 4. Job card issued by NREGA signed by National Population Register containing details of na (a) By all the holders together or the survivi
proof: 1. Passports State Government and address; 13. The operation holder/s.	ort 2. Driving license 3. Voter's ent officer 5. Letter issued by the n of the account will be:- int account)	documents for the purpose of identification and addr ID card 4. Job card issued by NREGA signed by National Population Register containing details of na (a) By all the holders together or the survivi
proof: 1. Passponder State Government and address; 13. The operation holder/s. (In case of judgepositor/s, 14. My/our specifications)	ort 2. Driving license 3. Voter's ent officer 5. Letter issued by the n of the account will be:- int account) men Signatures	documents for the purpose of identification and address ID card 4. Job card issued by NREGA signed by National Population Register containing details of national Population Register together or the survivious (b) By either of the holder/s, or the survivious 3.,
proof: 1. Passponder State Government and address; 13. The operation holder/s. (In case of join depositor/s, 14. My/our special form of the control of the	ort 2. Driving license 3. Voter's ent officer 5. Letter issued by the n of the account will be:- int account) men Signatures	documents for the purpose of identification and address ID card 4. Job card issued by NREGA signed by National Population Register containing details of national Population Register together or the survivional (a) By all the holders together or the survivional (b) By either of the holder/s, or the survivional carries and the survivional carries are supplied to the survivional carries and the survivional carries are supplied to the survivional carries and the survivional carries are supplied to the survivional carries and the survivional carries are supplied to the survivional carries are survivional carries are supplied to the survivional carries are survivional carries are supplied to the survivional carries are survivional carries
proof: 1. Passponder State Government and address; 13. The operation holder/s. (In case of join depositor/s, 14. My/our specific (Name)	ort 2. Driving license 3. Voter's ent officer 5. Letter issued by the n of the account will be:- int account) men Signatures	documents for the purpose of identification and address ID card 4. Job card issued by NREGA signed by National Population Register containing details of national Population Register together or the survivionable (a) By all the holders together or the survivionable (b) By either of the holder/s, or the survivionable (b) By either of the holder/s, or the survivionable (c) and (c) are survivionable (c) are survivionable (c) and (c) are survivionable (
proof: 1. Passpondard State Government and address; 13. The operation holder/s. (In case of join depositor/s, 14. My/our specific (Name)	ort 2. Driving license 3. Voter's ent officer 5. Letter issued by the ent of the account will be:- int account) men Signatures	documents for the purpose of identification and addr ID card 4. Job card issued by NREGA signed by National Population Register containing details of na (a) By all the holders together or the surviving (b) By either of the holder/s, or the surviving 3

Date:....

			Nomination			
the exc	clusion of all other	r persons in the ev	hereby nominate ent of my death the se of my death would	amount standing		
S.No.	Name(s) of the nominee(s) and relationship	Full address (s)	Aadhaar number of nominee(optional)	Date of birth of nominee in case of minor	Share of entitlement	Nature of entitlement Trustee or owner
1						
2						
3						
4						
appoint Shri/Sr o receit 1. Sign Name &	t mt/Kumari ve the sum due und ature of witness & Address ature of witness	Addres		o,D/o,W/o		t
Place:			Signature or thur	mb impression o	of account hold	er(s)/guardian
			use of Post Office/B			
initial o	deposit of Rs		ne ofunderdat			(name of
		umber				
Nomin	ation has been regi	stered vide No		dated		

Signature and seal of competent authority.

[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 99

FORM – 2

[See paragraph 8]

(Application for premature closure of account)

To,
The Postmaster/Manager
Sir,
1. I/we wish to prematurely close my/our Account No having balance of (Runes Only) opened under National Sayings Recurring
(RupeesOnly) opened under National Savings Recurring Deposit Scheme and request you to pay the amount after deduction of applicable penalty as per details given below:-
Please Credit the amount to my SB Account no standing at(Name of Account office).
or
Please issue a Demand Draft/account payee cheque
or
Please pay in cash (applicable if the amount is below permissible limit)
3. I/We hereby declare that the conditions under which the account can be closed before maturity under the National Savings Recurring Deposit Scheme have been complied with. *Certified, that the amount held in the account is required for the use of
alive and still a Minor.
Date: Signature or thumb impression of account holder(s)/guardian
(Thumb impression of the depositor should be attested by a person known to the accounts office)
For office use only
Payment detail
Eligible balance in Account `
Less Penalty amount `
Total Amount to be paid `(In figures)
(In words)
Date Stamp Signature of Postmaster/Manager

100	THE GAZE	ETTE OF INDIA :	EXTRAORDINARY	[PAI	RT II—SEC. 3(i)]
		Acquitta	nce		
	(to be fi	lled by account l	nolder/ messenger)		
Received Rs.	(In figures))	(in word	s) By cash/chec	ue/DD bearing
No.)	dated	/by	transfer	to	Account
No			<u>_</u> .		
Date		Signature/	thumb impression of	account holder	(s)/guardian
		FORM -	- 3		
	[See sul	b-paragraph (1)	of paragraph 9]		
	(App	lication for clos	ure of account)		
Name of Post Offi	ce/Bank			Date	
	eco Bunk			<u> </u>	
	ereby submit pass boo		t and annly for closu	re of my/our ah	ove mentioned
	·	iki deposit receip	t and apply for closu	ne of myrour ac	ove mentioned
	dit the amount of standing				
	standing	or	(r tame	of fice out of the	
Please issue a Dema	and Draft/account paye				
		or			
Please pay in cash (applicable if the amou	nt is below perm	issible limit).		
	e amount held in the	•	•	of	
		Signature	e or thumb impression	n of account hol	der(s)/guardian
	(Thumb i	impression shoul	d be attested by a per	rson known to A	accounts office)
		Payment O			
		(For office us	e only)		
				Date	•••••
		Payment d	etail		
Principal amount Rs	s				
(+) Interest due Rs.					
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					

(-) Recovery of overpaid interest Rs._____

Deduction if any Rs_____

Total Ar	mount due Rs	
Pay Rs	(in figurers)	(in words)
Date		
	A agnitton as	Signature of Postmaster/Manager
	Acquittance (to be filled by deposit	on)
Receive		
no	d Rs(In figures)	ransfer to Account No
Date:	Signature/thuml	b impression of account holder(s)/guardian
	FORM – 4	
	[See sub-paragraph (1) of para	
	(Application for extension of	account)
		
To,		
	tmaster/Manager	
•••••		
C:		
Sir,	I/we am/	are depositor of Account
	I/weam/ under National Savings Recurri	
account	was opened onand has/will ma	ture onfor payment. We
	equest for extension of the account for a further period of m the date of maturity of the above said account.	year(s) (as per rule 10/11 of Scheme
,	I/We have understood the terms and conditions applied	cable to the account during the period of
	n under the said scheme as amended from time to time and	• •
Place	Si	gnature of the account holder(s)/guardian
Date		(Name and address)
	For the use of Accounts C	Office
	The account no which was opened	
	on, has been extended for a p	
	toto	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
]	Necessary entries have been made in the records and pass	book/deposit receipt/ statement of account.
Date		Signature of Postmaster/Manager

Date

FORM – 5

[See sub-paragraph (1) of paragraph 14] (Application for Loan)

The Postmaster/Manager	
Sir,	
I/We	iereby
Account Number:	
Amount of Loan applied	
*Certified, that the amount of loan to be availed is required for the usewho is alive and still a Minor.	of
2. Please Credit the amount of loan to my SB Account no sta at(Name of Account office).	ınding
or	
Please issue a Demand Draft/account payee cheque	
or	
Please pay in cash (applicable if the amount is below permissible limit of cash payment).	
3. I/We certify that all the conditions applicable under scheme for grant of loan have been conwith.	nplied
Date: Signature or thumb impression of account holder(s)/guardian	
Attested By	
Attested By	
(Attestation is applicable in case of thumb impression)	
(Attestation is applicable in case of thumb impression) For office use only Payment detail	
(Attestation is applicable in case of thumb impression) For office use only	
(Attestation is applicable in case of thumb impression) For office use only Payment detail Amount available in Account Rs Date of Initial Subscription	
(Attestation is applicable in case of thumb impression) For office use only Payment detail Amount available in Account Rs Date of Initial Subscription Date on which last loan was allowed	
Attested By	
(Attestation is applicable in case of thumb impression) For office use only Payment detail Amount available in Account Rs	
(Attestation is applicable in case of thumb impression) For office use only Payment detail Amount available in Account Rs Date of Initial Subscription Date on which last loan was allowed Total Amount granted for loan Rs(In figures) (In words) Date Stamp Signature of Postmaster/Manager	
(Attestation is applicable in case of thumb impression) For office use only Payment detail Amount available in Account Rs Date of Initial Subscription Date on which last loan was allowed Total Amount granted for loan Rs (In figures) (In words) Date Stamp Signature of Postmaster/Manager	
(Attestation is applicable in case of thumb impression) For office use only Payment detail Amount available in Account Rs Date of Initial Subscription Date on which last loan was allowed Total Amount granted for loan Rs(In figures) (In words) Date Stamp Signature of Postmaster/Manager	

Signature/thumb impression of account holder(s)/guardian

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2019

सा.का.नि. 919(अ).— केन्द्रीय सरकार, सरकारी बचत संवर्धन अधिनियम, 1873 (1873 का 5) की धारा 3 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: (1.) यह स्कीम राष्ट्रीय बचत पत्र (VIII अंक) नियम, 2019 है।
- (2) यह राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाः

- (1) इस स्कीम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,
- (क) "खाता" से इस स्कीम के अंतर्गत खोला गया खाता अभिप्रेत है;
- (ख) "खाता" धारक से वह व्यष्टि अभिप्रेत है जिसके नाम पर खाता धारित है;
- (ग) "अधिनियम" से सरकारी बचत संवर्धन अधिनियम, 1873 (1873 का 5) अभिप्रेत है ;
- (घ) "प्ररूप" से इस स्कीम में संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है;
- (ड़) "सामान्य नियम" से सरकारी बचत संवर्धन सामान्य नियम, 2018 अभिप्रेत है ;
- (च) **"वर्ष"** से खाता में राशि जमा करने की तारीख से शुरू होने वाली 12 माह की अवधि अभिप्रेत है।
- (2) यहां जो शब्द और वाक्यांश प्रयुक्त किए गए हैं परंतु परिभाषित नहीं हैं उनका वही अर्थ होगा जो सरकारी बचत संवर्धन अधिनियम और सामान्य नियमा में दिए गए हैं।
- 3. खातों के प्रकार- (1) लेखा कार्यालय को प्ररूप-1 में एक आवेदन देने पर, निम्नलिखित खाते खोले जा सकते है, अर्थात् :-
- (क) एकल धारक प्रकार का खाता;
- (ख) संयुक्त 'क' प्रकार का खाता; और
- (ग) संयुक्त 'ख' प्रकार का खाता।
- (2) (क) एकल धारक प्रकार का खाता वयस्क द्वारा अपने लिए या किसी अवयस्क या किसी विकृत्त चित्त व्यक्ति के नाम से, जिसका वह अभिभावक है या 10 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके अवयस्क द्वारा खोला जा सकता है।
- (ख) संयुक्त 'क' प्रकार का खाता तीन वयस्कों तक के नाम से संयुक्त रूप से खोला जा सकता है जो संयुक्त रूप से सभी धारकों या उत्तरजीवित/उत्तरजीवितों को भुगतान योग्य होगा।
- (ग) संयुक्त 'ख' प्रकार का खाता तीन वयस्कों तक के नाम से संयुक्त रूप से खोला जा सकता है जो किसी भी एक धारक या उत्तरजीवित/उत्तरजीवितों में से किसी एक को भुगतान योग्य होगा।
- **4. जमा -** (1) न्यूनतम एक हजार रुपये और इसके बाद एक सौ रुपये के गुणकों में कितनी भी राशि खाते में जमा की जा सकती है।
- (2) खाता धारक के खाते या खातों में जमा राशि की कोई अधिकतम सीमा नहीं है।
- (3) कोई व्यष्टि अनेक खाते खोल सकता है।

- **5 परिपक्वता होने पर भुगतान –** (1) जमा राशि जमा करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि पूरी होने पर परिपक्व होगी। खाता धारक को, लेखा कार्यालय को प्ररूप-2 में एक आवेदन देने पर, परिपक्वता राशि का भुगतान किया जा सकता है।
- (2) 1000 रूपऐ से खोले गए खाते का परिपक्वता मूल्य 1462.54 रू0 होगा और पैरा 4 के उप पैरा (1) के अनुसार अन्य जमा राशि का अनुपातिक होगा। परिपक्वता मूल्य की संगणना में रूपए की किसी भी भाग राशि को निकटतम रूपए तक पूर्णांकित किया जाएगा और इस प्रयोजन के लिए, 50 पैसे या उससे अधिक राशि को एक रूपया समझा जाएगा और 50 पैसे से कम किसी भी राशि को छोड़ दिया जाएगा।
- (3) खाता धारक के मॉगने पर लेखा कार्यालय द्वारा ब्याज के वार्षिक प्रोभ्दवन का प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। प्रत्येक वर्ष के अंत में प्रमाण पत्र के धारक/धारकों को नीचे सारणी में विनिर्दिष्ट ब्याज प्रोद्भूत कराया जाएगा और चौथे वर्ष के अंत तक प्रत्येक वर्ष के अंत में जो प्रोद्भूत ब्याज है, धारक की ओर से पुन: विनिहित समझा जाएगा और प्रमाण पत्र के अंकित मूल्य की राशि के साथ संकलित किया जाएगा।

सारणी

ब्याज प्रोद्भूत करने का वर्ष	1000 रू. मूल्य वर्ग के प्रमाण पत्र पर प्रोद्भूत ब्याज
	की राशि (रूपए में)
पहला वर्ष	75.00
दूसरा वर्ष	85.24
तीसरा वर्ष	91.98
चौथा वर्ष	99.24
पाँचवा वर्ष	107.08

टिप्पण:- किसी अन्य मूल्य वर्ग के प्रमाण पत्र पर प्रोद्भूत ब्याज की राशि उक्त सारणी में विनिर्दिष्ट राशि के अनुपातिक होगी।

- **6 खाता गिरवी रखना –** (1) गिरवीदार से प्राप्त स्वीकृति पत्र के साथ प्ररूप-3 में जमाकर्ता द्वारा आवेदन करने पर, किसी खाते को गिरवी या प्रतिभूति के रूप में अंतरित किया जा सकता है।
- (2) इस पैरा के अधीन –
- (क) भारत के राष्ट्रपति या किसी राज्य के गवर्नर, उनकी आधिकारिक क्षमता में ;
- (ख) भारतीय रिजर्व बैंक या कोई अनुसूचित बैंक या कोई कॉंपरेटिव सोसाइटी जिसमें कॉपरेटिव बैंक सम्मिलित है ;
- (ग) कोई पब्लिक या प्राइवेट कम्पनी या कोई सरकारी कम्पनी ;
- (घ) कोई स्थानीय प्राधिकारी ; या
- (ड़) केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित और राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा अनुमोदित आवासन वित्तीय सोसाइटी को किसी खाते का अंतरण किया जा सकता है ।

परन्तु इस नियम के अधीन किसी अवयस्क या किसी विकृत्त चित्त व्यक्ति के नाम से खोले गए खाता का अंतरण तब तक नहीं किया जा सकता, जब तक यथास्थिति उस अवयस्क या विकृत्त चित्त व्यक्ति का संरक्षक लिखितं में यह प्रमाणित नहीं करता कि यथास्थिति वह अवयस्क या विकृत्त चित्त व्यक्ति जीवित है और यह आंतरण उस अवयस्क या विकृत्त चित्त व्यक्ति की प्रसूविधा के लिए है।

(3) उप पैरा (1) के अधीन जब किसी खाते का अंतरण किया जाएगा, तब प्राधिकृत अधिकारी खाते के अभिलेख, जिसमें बचत प्रमाण पत्र सम्मिलित है, में निम्नलिखित पृष्ठांकन करेगा, अर्थात:-

- "------ को प्रतिभूति के रूप में अंतरित किया गया ।"
- (4) इस स्कीम के सिवाय अन्यथा यथा उपबंधित, इस पैरा के अधीन किसी खाते का अंतरिती को, जब तक उप पैरा (5) के अधीन उसे वापस अंतरित नहीं किया जाता जमाकर्ता समझा जाएगा।
- (5) अंतरिती के लिखित प्राधिकार पर, इस पैरा के अधीन अंतरित कोई खाता, प्राधिकृत अधिकारी की पूर्व लिखित मंजूरी के साथ वापस प्रति अंतरित किया जा सकता है और जब ऐसा प्रति अंतरण किया जाएगा तो लेखा कार्यालय का प्राधिकृत अधिकारी खाते के अभिलेख, जिसमें प्रमाण पत्र सम्मिलित है, में निम्नलिखित पृष्ठाकन करेगा, अर्थात् -
- "------ को प्रति- अंतरित किया गया ।"
- (6) कोई दृष्टिहीन या शारीरिक दौर्बल्य का व्यक्ति जो खाता संचालन करने में असमर्थ है, किसी ऐसे साक्षर व्यक्ति, जिसे इस प्रयोजन के लिए उसने प्राधिकृत किया है, के द्वारा अपनी जमा राशि गिरवी रख सकता है।
- 7. समयपूर्व खाता बंद करना- (1) निम्नलिखित मामलों को छोड़कर परिपक्वता के पूर्व खाता बंद नहीं किया जाएगा अर्थात-
- (क) एकल खाते में खाता धारक या संयुक्त खाते में किसी एक या सभी खाता धारकों की मृत्यु होने पर;
- (ख) गिरवीदार द्वारा राजपत्रित अधिकारी होने के नाते समपहरण किए जाने पर, जब गिरवी इन स्कीम के अनुरूप रखी जाती है;
- (ग) न्यायालय के आदेश पर।
- (2) जहां उप- पैरा (1) के अधीन जमा करने की तारीख से एक वर्ष समाप्त होने के पूर्व खाता समयपूर्व बंद किया जाता है, केवल मूल रकम ही भुगतान योग्य होगा ।
- (3) यदि खाता उप- पैरा (1) के अधीन जमा करने की तारीख से एक वर्ष समाप्त होने के पश्चात् पंरतु तीन वर्ष समाप्त होने के पूर्व समयपूर्व बंद किया जाता है, समयपूर्व बंद करने की छूट दी जाएगी और खाते के ऐसे समयपूर्व बंद होने पर ब्याज के साथ मूल रकम के बराबर रकम, पूरे मास के लिए जिसमें खाता धारित हो, समय-समय पर डाकधर बचत खाता के लिए लागू दर संदत्त होगी।
- (4) यदि खाता उप- पैरा (1) के अधीन खाता खोलने की तारीख से तीन वर्ष समाप्त होने के पश्चात् समयपूर्व बंद किया जाता है, एक हजार रूपये के जमा के लिए पैरा 5 के अधीन प्रोद्भूत ब्याज सहित और अन्य जमा रकम के लिए आनुपातिक दर पर, नीचे विनिर्दिष्ट सारणी के रूप में संदत्त होगा-

सारणी 1000 रूपए से अधिसूचना की तारीख को या उसके पश्चात् खोले गए खाते का समयपूर्व बंद मूल्य दर्शित करने वाली सारणी

खाते की तारीख से समयपूर्व बंद होने की तारीख की अवधि	ब्याज सहित देय रकम
	(रूपए)
(1)	(2)
तीन वर्ष या अधिक परंतु तीन वर्ष से कम और छह मास	1221.61
तीन वर्ष और छह मास या अधिक परंतु चार वर्ष से कम	1263.05
चार वर्ष या अधिक परंतु चार वर्ष से कम और छह मास	1305.90
चार वर्ष और छह मास या अधिक, परंतु पॉंच वर्ष से कम	1350.20

8. **एक व्यक्ति से दूसरे को खाता का अंतरण**- एक व्यक्ति से दूसरे को खाता अंतरित इस शर्त के अध्यधीन होगी कि अंतरिती निम्नलिखित मामलों में, इस स्कीम के अधीन खाता खोलने का पात्र हो, अर्थात-

- (i) एकल खाता के मामले में खाताधारक की मृत्यु होने पर या संयुक्त खाता में सभी खाताधारकों की मृत्यु होने पर, यथास्थिती रकम विधिक वारिस या नामनिर्देशिती, को अंतरित की जाएगी।
- (ii) न्यायालय के आदेश पर, खाताधारक से न्यायालय या न्यायालय के आदेश पर किसी अन्य व्यक्ति को खाता अंतरित किया जाएगा ।
- (iii) गिरवी रखने पर, खाता पैरा 6 के अनुसार अंतरित किया जाएगा ।
- (iv) संयुक्त खाते में किसी भी खाताधारक की मृत्यु हो जाने की दशा में, यथास्थिति खाता उत्तरजीवी खाताधारक या खाताधारकों, के नाम पर अंतरित होगा।

9. खाताधारक की मृत्यु होने पर संदाय -

- (1) एकल खाता में निक्षेपकर्ता या संयुक्त खाता सभी निक्षेपकर्ताओं की मृत्यु की दशा में खाते में उपयुक्त अतिशेष पैरा (2) से (6) मे विनिर्दिष्ट के अनुसार संदेय किया जाएगा।
- (2) यदि एकल खाता निक्षेपकर्ता या संयुक्त खाते के सभी निक्षेपकर्ताओं की मृत्यु के समय नामनिर्देशन प्रवृत्त है, तो नामनिर्देशिती संदाय के लिए लेखा कार्यालय में उपयुक्त अतिशेष के लिए प्ररूप-2 में आवेदन करेगा तथा निक्षेपकर्ता की मृत्यु का प्रमाण और जहां किसी नामनिर्देशिती की भी मृत्यु हो गई है, तो ऐसे नामनिर्देशिती के मृत्यु के प्रमाण, के लिए आवेदन का प्रयोजन किया जाएगा।
- (3.) यदि दो या दो से अधिक उत्तरजीवी नामनिर्देशित हो, तो उपयुक्त अतिशेष निक्षेपकर्ता द्वारा नामनिर्देशन के समय विनिर्दिष्ट अनुपात के अनुसार और यदि ऐसा अनुपात या शेयर विनिर्दिष्ट नहीं हो, तो सभी उत्तरजीवी नामनिर्देशितीयों को समान अनुपात में, संदत्त किया जाएगा।
- (4.) यदि किसी नामनिर्देशिती की मृत्यु हो जाए, उपयुक्त अतिशेष में उसका विनिर्दिष्ट शेयर सभी उत्तरजीवी नामनिर्देशितीयों को यथा विनिर्दिष्ट शेयरों के अनुसार समान अनुपात में वितरित किया जाएगा।
- (5.) जहां उत्तरजीवी नामनिर्देशिती एक अव्यस्क हो, तो ऐसा संदाय निक्षेपकर्ता द्वारा नियत किए गए व्यक्ति को प्राप्त होगा और यदि ऐसा कोई व्यक्ति नियत नहीं किया गया हो, अव्यस्क के संरक्षक को संदत्त किया जाएगा।
- (6.) यदि किसी निक्षेपकर्ता की मृत्यु हो जाती है और उसके मृत्यु के समय कोई नामनिर्देशन प्रवृत्त नहीं है और भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 (1925 का 39) में यथा अनुदत्त उसकी विसयत का प्रोबेट या संपदा के प्रशासन का पत्र या उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, लेखा कार्यालय जहां उसका खाता है के प्राधिकृत अधिकारी को निक्षेपकर्ता की मृत्यु के छःमास के भीतर प्रस्तुत नहीं करते हैं, तो ; ----
- (i) यदि खाते मे उपयुक्त रकम पांच लाख रूपए से अनधिक होती है तो संस्था द्वारा विनिर्दिष्ट लेखा कार्यालय या प्राधिकरण के प्राधिकृत अधिकारी जिससे लेखा कार्यालय संबंधित है, उसके समक्ष पेश होने वाला कोई व्यक्ति जो अधिकारयुक्त दावेदार को संदत्त कर सकेगा और उसका समाधान हो जाने पर दावेदार को रकम की प्राप्ति या मृत व्यक्ति की संपदा के प्रशासन की हकदारी प्ररूप-2 में निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ आवेदन कर सकेगा, अर्थात् :--
- (क) मृत्यु प्रमाणपत्र ;
- (ख) पास बुक या मूल में खाते का कथन / जमा रसीद
- (ग) शपथ-पत्र ;
- (घ) दावा त्याग पत्र;

- (ङ) क्षतिपूर्ति का बंधपत्र
- (ii) यदि मृत व्यक्ति के खाते की उपयुक्त रकम पांच लाख से अधिक होती है, तो न्यायालय द्वारा जारी 'उत्तराधिकारी प्रमाणपत्र' के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने पर, दावेदार को लेखा कार्यालय द्वारा रकम संदत्त की जाएगी ; अर्थात्:--
- (क) दावा प्ररूप ;
- (ख) पास बुक या मूल में खाते का कथन या जमा रसीद ;
- (ग) खातेदार का मृत्यु प्रमाण पत्र
- (2) जहां तीन से अनिधक उत्तरजीवी नामनिर्देशिती या विधिक वारिस नहीं हैं, तो वे अपनी इच्छा से, स्कीम में उपबंधित रीति से खाता चालू रख सकते हैं और परिपक्वता पर ब्याज सिहत जमा रकम प्राप्त कर सकते हैं, मानो उन्होनें खाता स्वंय खोला था।
- (3) जहां उप-पैरा (2) के अधीन खाता चालू नहीं है, तो उसे बंद किया जाएगा और ब्याज सहित जमा रकम पैरा 7 के उपबंध के अनुसार संदत्त किया जाएगा।
- (4) संयुक्त खाते में एक या दो खातेदारों की मृत्यु होने पर, उत्तरजीवी खाताधारक या खाताधारकों को यदि कोई हो, खाता का स्वामी माना जाएगा और वे खाताधारक उप-पैरा 3 में विनिर्दिष्ट रीति से खाता जारी रख सकते हैं या खाता बंद कर सकते हैं।
- **10 साधारण नियमावली का लागू होना** :-- साधारण नियमावली के उपबंध, उन मामलों के संबंध में भी लागू होंगे, जिनके लिए इस स्कीम में कोई उपबंध नहीं किए गए।
- 11 शिथिल करने की शक्ति जहां केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट है कि इस स्कीम के किसी उपबंध के प्रचालन से खाताधारक को अनुचित कठिनाई का सामना करना पड़ा है, तो यह आदेश द्वारा कारणों को लेखबद्ध करके उन उपबंध या उपबंधों को ऐसी रीति में जो अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, की अपेक्षा को शिथिल कर सकेगा।

[फा. सं. 2/2/2018 एनएस(भाग-I)] रजत कुमार मिश्रा, संयुक्त सचिव

प्ररूप-1 [पैरा 3 का उप पैरा (1) देखें] (खाता खोलने के लिए आवेदन)

सवा म	
पोस्टमास्टर / प्रबंधक	
	आवेदक/आवेदकों की फोटो चिपकाएँ
महोदय ,	
मैं/हम(खाताधारक (खाताधारकों)/अभिभावक), आपके डाकघर जारी) स्कीम के अधीन एक खाताखोलने के लिए आवेदन करते हैं ।	र / बैंक में राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (VII
मै/हम प्रारंभिक जमा के रूप में तारीख रुपए नकद/चेक/ में(रु) निविदा करते है। मेरी / हमारे विवरण इस प्रकार	

1.	प्रथम जमाकर्ता	
	पति/पिता/माता का नाम या न्यायालय द्वारा नियुक्त अभिभावक का नाम	
	जन्म तिथि	
		(तारीख़ / मास / वर्ष)
0		(शब्दों में)
۷.	दूसरा जमाकर्ता	
	पति / पिता / माता का नामजन्म तिथि	
		(
		(तारीख़ / मास / वर्ष))
		(शब्दों में)
3.	तीसरा जमाकर्ता	
	पति/पिता/ माता का का नाम	
	जन्म तिथि	
		······································
		(तारीख़ / मास / वर्ष)) (शब्दों में)
		(
4.	अवयस्क/विकृत चित्त खाता धारक के व्यक्ति का नाम	
	पिता /माता / अभिभावक का नाम	
	जन्म तिथि	
		(तारीख़ / मास / वर्ष))
		(शब्दों में)
5.	खाताधारक(खाताधारकों) की आधार संख्या	

6.	खाताधारक (खाताधारकों) का स्थायी खाता	संख्या (पै	न)
7.	वर्तमान पता		
	स्थायी पता		
8.	संपर्क विवरण		टेलीफ़ोन का नंबर
			मोबाइल नंबर ईमेल
			आईडी
9.	खाता का प्रकार		व्यक्ति के माध्यम से या विकृत चित्त या नेत्रहीन या निशक्त लिए अभिभावक के माध्यम से या एकल या संयुक्त ।
10	. (*)अवयस्क की जन्मतिथि का विवरण (अवयस्क के खाते के मामले में लागू)		
	क) प्रमाण पत्र नं.		
	ख) जारी करने की तिथि ग) जारी करने वाला प्राधिकरण		
11.	. (*) अभिभावक का नाम (प्राकृतिक/विधिक) (यदि खाता अवयस्क/ विकृत चित्त व्यक्ति की ओर से खोला जाता है)		
12	. केवाईसी के अन्य दस्तावेजों का विवरण संल	ग्न	1. पहचान का प्रमाण
			······
			2. पते का सबूत

पहचान और पते के प्रमाण के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों को आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेजों के रूप में स्वीकार किया जाता है: 1. पासपोर्ट 2. चालक अनुज्ञप्ति 3. मतदाता पहचान पत्र 4. नरेगा द्वारा राज्य सरकार के अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित जारी जाब कार्ड 5. नाम और पते के विवरण को अंतर्विष्ट करते हुए राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर द्वारा जारी किया गया पत्र;

13. खाते का संचालन होगा:-		(5	(क) सभी धारकों द्वारा एक साथ या जीवित धारक/धारकों ।					
(संयुक्त खाते के मामले में)		(₹	(ख) धारक/धारकों, या जीवित जमाकर्ता/ जमाकर्ताओ के द्वारा,					
14. मे	रा/हमारा नमूना हस्ताक्ष	र						
1. 1.	2222	3	3	(नाम) (नाम)				
	य-समय जारी किए गए _{ठरता} हूं।.	संशोधनों और स्कीम प	र लागू सरकारी बच	त संवर्धन नियमों -2	2018 और स्की	म के उपबंधों को		
			खाता नामनिर्देशन	धारक/अभिभावक ^{हे}	-	अंगूठे का निशान 		
16.मैं/इ	हम				नीचे उल्लेगि	बेत व्यक्ति (ओं)		
को नाम	गनिर्देशित करते हैं, जिन्हे							
समय र	ाष्ट्रीयबचत प्रमाण पत्र(\	/।।। जारी) में ऋण देय	होगा।					
क्र.सं.	नामनिर्देशित व्यक्ति का नाम (पते) और संबंध	पूरा पता (पते)	नामनिर्देशिती का आधार नंबर (वैकल्पिक)	अवयस्क के मामले में नामनिर्देशित व्यक्ति की जन्म तिथि	पात्रता का हिस्सा	पात्रता की प्रकृति (न्यास कर्ता या स्वामी)		
1								
2								
3								
4								
वर्णितहै	कम संख्या पर नामनिर्देशिती(ओं)के रूप में ऊपर वर्णितहै/अवयस्कहैं(हैं),मैंश्री/श्रीमती/कुमारी नियुक्त करता हूं							

Is	2', 2 ~~~~~ 2 2~~ 2 ~~ 2 ~
नाता (इ स्थिति में उक्त खाते के तहत राशि प्राप्त करता है।	आ) के अल्पसंख्यक के दारान मरा मृत्यु का
1. गवाह के हस्ताक्षर	
नाम और पता	
2. गवाह के हस्ताक्षर	
नाम और पता	
	। अभिभावक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान
स्थान	
तारीख :	
पोस्ट ऑफिस/बैंक के उपयोग के लिए	
खाते को के नाम पर तारीख	खाता संद्वारा (स्कीम का
नाम)के अधीनरुपये के आरंभीक जमा के साथको खो	
ग्राहक पहचान संख्या	•
नामांकन को तारीख संख्या द्वारा रजिस्ट्रीकृत किया गया है।	
	सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर।
प्ररूप-2	
[पैरा 5 के उप-पैरा (1) देखें]	
(खाता बंद करने के लिए आवेदन)	
डाकघर/बैंक का नाम	
तारीख	
खाता संख्या	
<u></u>	
1. मैं / हम पास बुक / जमा रसीद जमा करते हैं और	पर परिपक्व मेरे / हमारे उपर्युक्त खाते
को बंद करने के लिए आवेदन करते हैं।	
2. कृपया मेरे परिपक्व खाते में पात्र शेष राशि का श्रेय	(खाता कार्यालय का नाम) पर
खड़े मेरे एसबी खाता संख्या को दें।	
या	
कृपया डिमांड ड्राफ्ट / अकाउंट पेयी चेक जारी करें	
या	
कृपया नकद में भुगतान करें (यदि राशि अनुमेय सीमा से कम है तो लागू).	
* प्रमाणित किया जाता है कि खाते में आयोजित राशि	के उपयोग के लिए
आवश्यक है, जो जीवित है और अभी भी अवयस्क है।	
खाता धारक/ अ	मिभावक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान
(अंगूठे के निशान को लेखा कार्यालय में जाने वाले	व्यक्ति द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए)

भुगतान आदेश

√	,	_	$\overline{}$	\sim ,
(कवल	कार्यालय	उपयोग	क	लिए)

		तारीख
	भुगतान का विवरण	
मूल राशि रुपये		
(+)ब्याज देय रुपये		
(-) अधिदत्त ब्याज की वसूली	रुप	ाये
यदि कोई कटौती है		रुपये
देय कुल राशि	হ	पये
भुगतान	रुपये (आंकड़ों में)	(शब्दों में)
स्थान :		
तारीख :		
	पोस्टमास्टर/मैनेजर के हर	. ताक्षर
	निस्तारण पत्र	
	(जमाकर्ता द्वारा भरा जाना है)	
नकद/चेक/डीडीबियरिंग		सं
		। नहीं
तारीख	खाताधारक/अभिभावक का हस्ताक्षर/अंगूठे का	निशान

प्ररूप-3

[पैराि के उप-पैरा (1) देखें] (खाता को गिरवी रखने के लिए आवेदन)

सेवा में,	·	·	
पोस्टमास्टर/प्रबंधक			
महोदय,			
प्राधिकरण)	अनुसूचित बैंक, सहकारी बैंक, रजि के साथ प्रतिभूती के रूप में	रपये की रकम	को जमा करने की अपेक्षा करते है ।
इसलिए मैं/हम	(अधिकारी का क	गर्यालय पदनाम) या शाखा का	नाम आदि जिसमें खाता प्रतिभूति
के रूप में गिरवी रखा ज	ना रहा है।) के पक्ष	न में प्रतिभूति के रूप में राष्ट्रीय	य बचत प्रमाणपत्र (VIII जारी) के
अधीन	. खाता संख्या में जमा को अन्तरित	का अनुरोध करते है	
			
 खाता संख्या	<u>खात</u> तारीख	का विवरण खाता कार्यालय का नाम	राशि
41111111111	417.19		XIII.
हस्ताक्षरित प्रतिज्ञा स्वीवृ	•	लिए सहमति व्यक्त की है। प्रतिइ	ा के रूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा
तारीख∷		खाते के हस्ताक्ष	र धारक /अभिभावक(कों)
		पता	
	केवल कार्याल	ग्य उपयोग के लिए	
खाता संख्या	को पंजीकरण संख्य	ग	दिनांकित
और आवश्यक प्रविष्टियों	को रिकॉर्ड में चिह्नित किया गया	है। पासबुक / जमा रसीद / ख	ाते का विवरण भी प्रतिज्ञा के साथ
चिह्नित किया गया है अं	ौर खाताधारक को वापस कर दिया	गया है.	
			पोस्ट मास्टर/मैनेजर के हस्ताक्षर सील
	NOTI	FICATION	
	New Delhi, the	12th December, 2019	
	E).— In exercise of the powe (5 of 1873), the Central Gover	<u>-</u>	
1. Short title and co Issue) Scheme, 2019.	ommencement(1) This Scher	me may be called the Natio	onal Savings Certificates (VIII
(2) It shall come	e into force on the date of its pu	ablication in the Official Ga	zette.

- (-) r
- **2. Definitions.-** (1) In this Scheme, unless the context otherwise requires,-
 - (a) "account" means an account opened under this Scheme;
 - (b) "account holder" means an individual in whose name the account is held;
 - (c) "Act" means The Government Savings Promotion Act, 1873 (5 of 1873);

- (d) "Form" means forms appended to this Scheme;
- (e) "General Rules" means the Government Savings Promotion General Rules, 2018;
- (f) "year" means a period of twelve months commencing from the date of deposit in the account.
- (2) Words and expressions used herein but not defined shall have the meanings respectively assigned to them in the Act and in the General Rules.
- **3. Type of accounts.-** (1) On an application to the accounts office in Form-1, the following types of accounts can be opened under the Scheme, namely:-
 - (a) Single Holder Type Account;
 - (b) Joint A- Type Account; and
 - (c) Joint B Type Account.
 - (2) (a) A Single Holder Type Account may be opened by an adult for himself, or on behalf of a minor or a person of unsound mind of whom he is the guardian; or by a minor who has attained the age of ten years;
 - (b) Joint A- Type Account may be opened jointly in the names of upto three adults payable to all the holders jointly or to the survivor or survivors;
 - (c) Joint B-Type Account may be opened jointly in the name of upto three adults payable to any of the account holders or to the survivor or survivors.
- **4. Deposits.-**(1) A minimum of one thousand rupees and any sum in multiples of one hundred rupees may be deposited in an account.
- (2) There shall be no maximum limit for deposit in an account or in accounts held by an account holder.
- (3) An individual may open any number of accounts.
- **5. Payment on Maturity.-** (1) The deposit shall mature on completion of five years from the date of the deposit. Amount of maturity may be repaid to the account holder on an application in Form-2 submitted to the accounts office.
- (2) The maturity value of an account opened with one thousand rupees shall be One thousand four hundred sixty two rupees and fifty four paisa and proportionate for deposits made with any other sum as per subparagraph (1) of paragraph 4. In calculation of maturity value, any amount in fraction of a rupee shall be rounded off to the nearest rupee and for this purpose, any amount of fifty paisa or more shall be treated as one rupee and any amount less than fifty paisa shall be ignored.
- (3) A certificate of annual accrual of interest shall be issued by the accounts office, on demand, to the account holder. The interest as specified in the Table below shall accrue to the holder or holders of the certificate at the end of each year and the interest so accrued at the end of each year upto the end of the fourth year shall be deemed to have been reinvested on behalf of the holder and aggregated with the amount of face value of the certificate.

TABLE

The year for which interest accrues	Amount of interest (rupees) accruing on certificate of 1000 rupees denomination
First Year	79.00
Second Year	85.24
Third Year	91.98
Fourth Year	99.24
Fifth Year	107.08

Note: The amount of interest accruing on a certificate of any other denomination shall be proportionate to the amount specified in the said Table.

- **6**. **Pledging of account.-** (1) An Account may be pledged or transferred as security, on an application made by the depositor in Form-3 supported with acceptance letter from the pledgee.
- (2) Transfer of an account under this paragraph may be made to-
 - (a) the President of India or the Governor of a State in his official capacity;
 - (b) the Reserve Bank of India or a Scheduled Bank or a Cooperative Society, including a Co-operative Bank;
 - (c) a public or private corporation or a Government company;
 - (d) a local authority; or
 - (e) a housing finance company approved by the National Housing Bank and notified by the Central Government:

Provided that the transfer of an account opened on behalf of a minor or a person of unsound mind shall not be permitted under this rule unless the guardian of the minor or the person of unsound mind, as the case may be, certifies in writing that the minor or the person of unsound mind, as the case may be, is alive and that the transfer is for the benefit of the minor or the person of unsound mind.

(3) When any account is transferred as security under sub-paragraph (1), the authorised officer shall make the following endorsement in the record of the Account, including the Savings Certificate, namely:-

"Transferred as security to".

- (4) Except as otherwise provided in this scheme, the transferee of an account under this paragraph shall, until it is transferred back under sub-paragraph (5), be deemed to be the depositor.
- (5) An account transferred under this paragraph may, on written authority of the transferree, be re-transferred back with the previous sanction in writing of the authorised officer and when any such retransfer is made, the authorised officer of the accounts office shall make the following endorsement in the record of the account, including Certificate, namely:-

"transferred back to.....".

- (6) A blind or a person with physical infirmity making him incapable of operating the account may pledge his deposit through any literate individual whom he authorises for this purpose.
- **7. Premature closure of account.-**(1) The account shall not be closed before maturity except in the following cases, namely:-
- (a) on the death of the account holder in a single account, or any or all the account holders in a joint account;
- (b) on forfeiture by a pledgee being a Gazetted Officer, when the pledge is in conformity with this Scheme;
- (c) when ordered by a court.
- (2) Where an account is prematurely closed under sub-paragraph (1) before the expiry of one year from the date of deposit, only principal amount shall be payable.
- (3) If the account is prematurely closed under sub-paragraph (1) after the expiry of one year but before the expiry of three years from the date of deposit, the premature closure shall be allowed and on such premature closure of the account interest on principal amount at the rate applicable to the Post Office Savings Account from time to time for the complete months for which the account has been held, shall be payable.
- (4) If an account is prematurely closed under sub-paragraph (1) after the expiry of three years from the date of the opening, the amount payable, inclusive of interest accrued under paragraph 5 for a deposit of one thousand rupees and at a proportionate rate for other amounts of deposits, shall be as specified in the table below:-

TABLE
(Table showing premature closure value of account opened on or after date of notification with 1000 rupees)

Period from the date of the account to the date of its pre-mature closure	Amount payable inclusive of interest (Rupees)
(1)	(2)
Three years or more, but less than three years and six months	1221.61
Three years and six months or more, but less than four years	1263.05
Four years or more, but less than four years and six months	1305.90
Four years and six months or more, but less than five years	1350.20

- **8.** Transfer of account from one individual to another.- An account may be transferred from one individual to another, subject to the condition that the transferee is eligible to open an account under this Scheme, in the following cases, namely:-
 - (i) on the death of account holder in case of a single account or on the death of all the account holders in a joint account, the amount shall be transferred to the legal heirs or the nominees as the case may be.
 - (ii) on the order of the court, the account shall be transferred from the account holder to the court or to any other individual as per the orders of the court;
 - (iii) on pledging, account shall be transferred in accordance with paragraph 6;
 - (iv) in the event of the death of any of the account holders in a joint account, the account shall be transferred in the name of the surviving account holder or account holders, as the case may be.
- **9.** Payment on the death of account holder.-(1) In the event of death of the depositor of a single account or of all the depositors in a joint account, the eligible balance in the account shall be payable as specified in paragraphs (2) to (6).
- (2) If a nomination is in force at the time of death of the depositor of a single account or all the depositors of a joint account, the nominee may make an application in Form-2 to the accounts office for payment of the eligible balance and the application shall be accompanied by the proof of death of the depositor, and where any other nominee has also died, the proof of death of such nominee.
- (3) If there are two or more surviving nominees, the eligible balance shall be paid in the proportion as specified by the depositor while making the nomination, and if no such proportion or share is specified, then in equal proportion to all the surviving nominees.
- (4) If any nominee dies, his specified share in the eligible balance shall be distributed among the surviving nominees in the same proportion as their specified shares.
- (5) Where the surviving nominee is a minor, the payment shall be made to a person appointed by the depositor to receive such payment and, if no such person has been appointed, to the guardian of the minor.
- (6) If a depositor dies and there is no nomination in force at the time of his death, and probate of his will or letters of administration of his estate or a succession certificate as granted in the Indian Succession Act, 1925 (39 of 1925) is not produced within six months from the death of the depositor to the authorised officer of the accounts office where the account stands, then,-
- (i) if the eligible amount in the account does not exceed Rs. 5 lakh, the authorised officer of the accounts office or the authority specified by the institution to which the accounts office belongs, may pay the same to any person appearing to him as the rightful claimant and to his satisfaction to be entitled to receive the amount or to

[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 117

administer the estate of the deceased, on an application in Form-2 accompanied by the following documents; namely:-

- (a) death certificate;
- (b) pass book or deposit receipt/statement of account in original;
- (c) Affidavit;
- (d) letter of disclaimer;
- (e) Bond of Indemnity;
- (ii) if the eligible amount in the account of the deceased is above Rs. 5 lakh, the amount shall be paid by the accounts office to the claimant on submission of 'Succession Certificate' issued by the court along with the following documents; namely:-
 - (a) claim form;
 - (b) pass book or deposit receipt or statement of account in original;
 - (c) death certificate of the account holder.
- (2) Where there are not more than three surviving nominees or legal heirs, they may, at their option, continue the account and receive the amount of deposit along with interest on maturity in the manner provided for in this Scheme, as if they had opened the account themselves.
- (3) Where the account is not continued under sub-paragraph (2), it shall be closed and the amount of deposit along with interest as provided in paragraph 7 shall be paid.
- (4) On the death of one or two of the account holders in a joint account, the surviving account holder or holders, if any, shall be treated as the owner or owners of the account and such account holder or holders may continue the account or close the account in the manner specified under sub-paragraph (3).
- **10. Application of General Rules.-** The provisions of the General Rules shall, so far as may be, apply in relation to the matters for which no provision has been made in this Scheme.
- 11. Power to relax.-Where the Central Government is satisfied that the operation of any of the provisions of this Scheme causes undue hardship to the account holder, it may by order, for reasons to be recorded in writing, relax the requirements of that provision or provisions in a manner not inconsistent with the provisions of the Act.

[F.No.2/2/2018 NS (Pt.I)]

RAJAT KUMAR MISHRA, Jt. Secy.

FORM - 1

[See sub-paragraph (1) of paragraph 3] (Application for opening an account)

Γο	
The Postmaster/Manager	Paste photograph of applicant/s
Sir,	

I/We(account holder(s)/guardian) hereby apply for opening of an account under National Savings Certificates (VIII issue) scheme in your Post Office/Bank.

		herewithtial deposit. My/our particulars are						
		nai deposit. My/our particulars are	as under					
1.	-	Name of First Depositor						
	Husband/Father /mother's name							
	Date of Birth							
		(DD / MM / Y						
		(In words)						
2.	Name of Second Depositor							
	Husband/Father /mother's name							
	Date of Birth	(DD / MM /)						
		•						
		, ,						
3.	Name of Third Depositor							
	Husband/Father /mother's name							
	Date of Birth							
		(DD / MM / '	YYYY)					
		(In words)						
4.	Name of minor/person of unsoun	Name of minor/person of unsound mind account holder						
	Father /mother/guardian's name							
	Date of Birth							
		(DD / MM / 1	•					
		(In words)						
5.	Aadhaar Number of account holder(s)							
6.	Permanent Account Number							
7.	Present Address							
	Permanent Address							

8.	Contact details		Telephone Number
			Mobile Number
			Email ID
9.	Type of Account		Single or Joint or through Guardian for Minor or person of unsound mind or blind or differently abled through authorised person.
10.	. (*) Details of date of birth of minor (Applicable in case of minor account)		
	a) Certi	ficate No.	
	b) Date	of Issue	
	c) Issui	ng authority	
11.	(*) Name of Guardia (In case the account i Minor/person of unso	n (Natural/Legal) s opened on behalf of a	
12.	Details of other KYO	C documents attached	1. Proof of identification
			2. Address proof
13.	address proof: 1. Pas	ssport 2. Driving license in the same of t	valid documents for the purpose of identification and 3. Voter's ID card 4. Job card issued by NREGA signed issued by the National Population Register containing (a) By all the holders together or the surviving (b) By either of the holder/s, or the surviving
14	My/our specimen Sig	natures	
			3.,
1			3
1			3
1			3

I hereby undertake to abide by the scheme provisions and Government Savings Promotion rules-2018 applicable on the Scheme and amendments issued thereto from time to time.

Signature or thumb impression of account holder(s)/guardian				rdian			
Date:							
			Nomination				
the exc	clusion of all other	persons in the eve	hereby nominate ent of my death the f my death would be	amount standing			
S.No.	Name(s) of the nominee(s) and relationship	Full address (s)	Aadhaar number of nominee(optional)	Date of birth of nominee in case of minor	Share of entitlement	Natur entitle Truste owr	ement ee or
1							
2							
3							
4							
appoin Shri/Sı	t nt/Kumari	Addres	S/o,	D/o,W/o			
		•	h during the minority	of the nomineed	(s).		
•							
•							
			Cianatana anthum	h :		. w(a) / a.v.a	
Place:			Signature or thum	io impression or	account noide	r(s)/gua	Tuian
Date:							
		For u	se of Post Office/Ba	ank			
T	he account has been		e of		on		with
initial		-	deposit				of
			dated		(name	of	the

Nomination	has	been	registered	vide
No	dat	ed	C	
Signature and seal of	competent authority			
		TODA 4		
	[See sul	FORM - 2 o-paragraph (1) of para	graph 51	
		ication for closure of ac		
	(P F-			
Name of Post Office	e/Bank		Date	
Account Number				
1. I/we here account matured on	•	k/deposit receipt and app	oly for closure of my/our above	e mentioned
		at	matured account to my S(Name of Account office).	
Please issue a Demand	d Draft/account nave	Or ocheque		
riease issue a Demand	d Diaivaccount paye	or		
Please pay in cash (ap	plicable if the amou	nt is below permissible li	mit).	
*Certified, that		neld in the account is alive and still a Minor.	is required for the	use of
(Thumb impression sh	nould be attested by a	Signature or thum a person known to Accou	b impression of account holder	(s)/guardian
		Payment Order		
		(For office use only)		
			Date	•••••
	_	Payment detail		
Principal amoun	t Rs			
(+) Interest due	Rs			
(-) Recovery of o	overpaid interest Rs	S		

Deduction if an	y Rs	
Total Amount of	lue Rs	
Pay Rs	(in figurers)	(in words)
Date		
		Signature of Postmaster/Manager
	Acquittan	ce
	(to be filled by de	epositor)
Received Rs	(In figures)dated	(in words) By cash/cheque/DD bearing ./by transfer to Account No
Date:	Signature/thumb impression	n of account holder(s)/guardian
	FORM - 3	
	[See sub-paragraph (1) o	
	(Application for pledging	ng of account)
То		
The Postmaster/Mana	ager	
Sir,		
Rs	as security with	as security in favour of (Official Designation of the Officer or name of curity.)
	nat the account(s) can be encashed by gistration numberin the	the pledgee when the security has been forfeited account stands cancelled.

[भाग II-खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 123

Particulars of Account

Account number	Date	Name of Account office	Amount

The authority mentioned above has agreed to accept the pledge. A pledge acceptance duly signed by the competent authority as pledgee is attached.

Dated :				Sign	nature of acco	unt holder	(s)/guar	dian
				Ado	dress			
		For o	office use o	nly				
	numberdatedposit receipt/statement of accour	and	necessary	entries		marked	in the	record.
					Signatu	re of Post N	Master/I	Manager

Seal

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2019

सा.का.नि. 920(अ).— केन्द्रीय सरकार, सरकारी बचत संवर्धन अधिनियम, 1873 (1873 का 5) की धारा 3क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: (1.) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम किसान विकास पत्र स्कीम, 2019 है।
- (2.) यह राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।
- 2. परिभाषा:
- (1) इस स्कीम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,
- (क) "खाता" से इस स्कीम के अधीन खोला गया खाता अभिप्रेत है;
- (ख) "खाता धारक" से जिसके नाम खाता धारित हो वह व्यष्टि अभिप्रेत है;
- (ग) **''अधिनियम''** से सरकारी बचत संवर्धन अधिनियम 1873 (1873 का 5) अभिप्रेत है;
- (घ) "प्ररूप" से इस स्कीम से संग्लन प्ररूप अभिप्रेत है;
- (ङ) **"साधारण नियम"** से सरकारी बचत संवधन साधारण नियम, 2018 अभिप्रेत है।
- (च) **"वर्ष"**से खाता में राशि जमा करने की तारीख से शुरू होने वाली बारह माह की अवधि अभिप्रेत है।

- (2) यहां जो शब्द और अभिव्यक्ति प्रयुक्त किए गए हैं किंतु परिभाषित नहीं हैं, उनका क्रमसह वही अर्थ होगा जो अधिनियम और सामान्य नियम में दिए गए हैं।
- 3. खातों के प्रकार-(1) प्ररूप-1 में खाते कार्यालय के लिए किसी आवेदन पर स्कीम के अधीन निम्नलिखित प्रकार के खातो को खोला जा सकेगा; अर्थात्
- (क) एकल धारक प्रकार का खाता;
- (ख) संयुक्त 'क' प्रकार का खाता; और
- (ग) संयुक्त 'ख' प्रकार का खाता।
- (2) (क) एकल प्रकार का खाता किसी वयस्क द्वारा अपने लिए या अवयस्क या विकृत चित्त व्यक्ति के नाम से, जिसका वह अभिभावक है या दस वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके अवयस्क द्वारा खोला जा सकता है।
- (ख) संयुक्त 'क' प्रकार का खाता तीन वयस्कों के नाम से संयुक्त रूप से खोला जा सकता है जो संयुक्त रूप से सभी धारकों या उत्तरजीवितों को संदेय होगा।
- (ग) संयुक्त 'ख' प्रकार का खाता तीन वयस्कों के नाम से संयुक्त रूप से खोला जा सकता है जो किसी भी एकधारक या उत्तरजीवितों में से किसी एक को संदेय होगा।
- **4. जमा -**(1) न्यूनतम एक हजार रुपये और इसके बाद एक सौ रुपये के गुणकों में राशि खाते में जमा की जा सकती है।
- (2) खाताधारक के खाते या खातों में जमा के लिए कोई अधिकतम सीमा नहीं है।
- (3) व्यष्टि अनेक खाते खोल सकता है।
- **5. परिपक्वता की अवधि** (1) खाते में जमा की गई राशि परिपक्वता पर दोगुनी हो जाएगी किसी खाते की परिपक्वता की अवधि नौ वर्ष और जमा करने की तारीख के आरम्भ से पांच माह होगी। परिपक्वता की राशि कार्यालय खाते में प्रस्तुत किए जाने वाली प्ररूप-2 में किसी आवेदन पर खाते धारक को पुर्नसंदाय की जा सकेगी।
- (2) इस स्कीम के अधीन जमा की परिपक्वता अवधि का निर्धारण खाता खोलने के समय लागू ब्याज दर के आधार पर लगाया जाएगा।
- **6. परिपक्वतापूर्व खाता बंद करना-** (1) निम्नलिखित परिस्थितियों को छोड़कर परिपक्वता से पूर्व किसी भी समय खाता कार्यालय के प्ररूप-3 में किसी आवेदन को करके खाता धारक द्वारा परिपक्वता पूर्व खाता बंद किया जा सकता है, अर्थात्:
 - (क) एकल खाते में खाता धारक या संयुक्त खाते में किसी एक अथवा सभी खाता धारकों की मृत्यु होने पर;
 - (ख) गिरवीकार द्वारा राजपत्रित सरकारी अधिकारी होने के नाते समपहरण किए जाने पर;
 - (ग) न्यायालय के आदेश पर।
- (2) उप-पैरा (1) के अधीन खाता बंद होने पर पूरे महीनों के लिए समय-समय पर डाकघर बचत खाता के लिए लागू दर पर की गई गणना को साधारण ब्याज के साथ मूलधन को, जिसमें खाता धारित हो,संदाय किया जाएगा।
- (3) उप-पैरा (2) अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए, यदि खाता खोलने की तारीख से दो वर्ष छह मास के अवसान के पश्चातखाता बंद किया जाता है, ब्याज सहित रकम को नीचे दि गई सारणी में यथा निर्दिष्ट रूप से संदेय की जाएगी।

1,000 रुपये के साथ अधिसूचना की तारीख को या उसके पश्चात परिपवक्तापूर्व खाते की मूल्य को दर्शित करने वाली सारणी सारणी

वह अवधि जिस तारीख को खाते की परिपवक्तापूर्व बन्द करने की तारीख	ब्याज सहित देय राशि (रुपये)
(1)	(2)
दो वर्ष और छह मास किंतु तीन वर्ष से कम	1173
तीन वर्ष किंतु तीन वर्ष और छह मास से कम	1211
तीन वर्ष और छह मास किंतु चार वर्ष से कम	1251
चार वर्ष किंतु चार वर्ष और छह मास से कम	1291
चार वर्ष और छह मास किंतु पांच वर्ष से कम	1333
पांच वर्ष किंतु पांच वर्ष और छह मास से कम	1377
पांच वर्ष और छह मास किंतु छह वर्ष से कम	1421
छह वर्ष किंतु छह वर्ष और छह मास से कम	1467
छह वर्ष और छह मास किंतु सात वर्ष से कम	1515
सात वर्ष किंतु सात वर्ष और छह मास से कम	1564
सात वर्ष और छह मास किंतु आठ वर्ष से कम	1615
आठ वर्ष किंतु आठ वर्ष और छह मास से कम	1667
आठ वर्ष और छह मास किंतु नौ वर्ष से कम	1722
नौ वर्ष किंतु प्रमाणपत्र की परिपक्वता से पूर्व	1778
प्रमाणपत्र की परिपक्वता पर	2000

- 7. **खाता गिरवी रखना** गिरवी रखने वाले के स्वीकृति पत्र के समर्थन में प्ररूप-4 में जमाकर्ता द्वारा किए गए आवेदन पर किसी खाते को गिरवी रखा जा सकता है या प्रतिभूति के रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है।
 - (2). इस स्कीम के अधीन खाते का अंतरण निम्न अनुसार किया जाएगा –
 - (क) भारत के राष्ट्रपति या अपनी शासकीय हैसियत में राज्य के राज्यपाल;
 - (ख) भारतीय रिज़र्व बैंक या एक सहकारी बैंक सहित एक अनुसूचित बैंक या एक सहकारी सिमति;
 - (ग) एक सार्वजनिक या निजी निगम या एक सरकारी कंपनी;
 - (घ) एक स्थानीय प्राधिकरण; या
 - (ड) राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा अनुमोदित और केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी:

परंतु यह कि अवयस्क या विकृत चित्त व्यक्ति की ओर से खोले गए खाते के स्थानांतरण को इस स्कीम के अधीन तब तक नहीं अनुज्ञात की जाएगी, जब तक कि अवयस्क का अभिभावक या विकृत चित्त व्यक्ति, यथास्थिति, लिखित रूप में प्रमाणित करता है कि अवयस्क या विकृत चित्त व्यक्ति जीवित है और यह कि स्थानांतरण अवयस्क या विकृत चित्त व्यक्ति के लाभ के लिए है।

- (3) जब किसी भी खाते को उप-पैरा (1) के अधीन प्रतिभूति के रूप में स्थानांतरित किया जाता है, तो प्राधिकृत अधिकारी, बचत प्रमाणपत्र सहित खाते के अभिलेख में निम्नलिखित पृष्ठांकित करेगा, : -
- "...... प्रतिभृति के रूप में स्थानांतरण"।
- (4) इस स्कीम में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय इस पैरा के अधीन किसी खाते का अंतरण कर्ता तब तक किया जाएगा, जब तक कि इसे उप-पैरा (5) के अधीन वापस स्थानांतरित नहीं किया जाता है, जमाकर्ता माना जाता है।
- (5) इस स्कीम के अधीन अंतरण किया गया एक खाता, अंतरण कर्ता के लिखित प्राधिकार पर, प्राधिकृत अधिकारी के लिखित पूर्व अनुमोदन के साथ वापस पुन:स्थानांतरित किया जा सकता है और जब कोई भी कोई इस प्रकार का स्थानांतरण किया जाता है, तो लेखा कार्यालय का प्राधिकृत अधिकारी प्रमाण पत्र सहित, खाते के अभिलेख में निम्नलिखित पृष्ठाकित करेगा: -
- " ... में पुन:स्थानांतरित कर दिया"।
- (6) एक नेत्रहीन व्यक्ति या शारीरिक अंग-शैथिल्य वाला व्यक्ति जो खाता संचालित करने में असमर्थ है, वह किसी भी साक्षर व्यक्ति के माध्यम से अपनी जमा राशि को गिरवी रख सकता है जिसे वह इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत करता है।
- 8. खाता का अंतरण :-एक व्यष्टि से अन्य दूसरे को खाता का अंतरण इस शर्त के अध्यधीन होगा कि अंतरण कर्ता निम्नलिखित मामलों में, इस स्कीम के अधीन खाता खोलने का पात्र हो, अर्थात्:
 - (i) एकल खाता के मामले में खाताधारक की मृत्यु होने पर अथवा संयुक्त खाता में सभी खाताधारकों की मृत्यु होने पर, राशि विधिक उत्तराधिकारियों या नामनिर्देशितों, यथास्थिति को स्थानांतरित की जाएगी।
 - (ii) न्यायालय के आदेश पर, खाताधारक से न्यायालय अथवा न्यायालय के आदेश के अनुसार किसी अन्य व्यष्टि को स्थानांतरित किया जाएगा;
 - (iii) गिरवी रखने पर, खाता पैरा-7 के अनुसार स्थानांतरित किया जाएगा;
 - (iv) संयुक्त खाते में किसी भी खाताधारक की मृत्यु हो जाने की दशा में, उत्तरजीवित खाताधारक या खाताधारकों, यथास्थिति, के नाम पर स्थानांतरित होगा।
- 9. खाता धारक की मृत्यु होने पर संदाय-(1) एकल खाता में खाताधारक की या संयुक्त खाता में सभी खाताधारकों की मृत्यु होने पर नामनिर्देशिती को यदि नामनिर्देशन विद्यमान है या उसके विधिक वारिस (वारिसों) को जमा किया जाएगा।
- (2) जहां तीन से अधिक उत्तरजीवित नामनिर्देशिती या विधिक वारिस नहीं है, तो वे, अपनी विकल्प से खाता जारी रख सकते हैं और इस स्कीम में उपबंध की गई रीति में परिपक्वता पर ब्याज सहित जमा राशि को प्राप्त कर सकते हैं, जैसे की यदि वे खाता उन्होंने स्वयं खोला था।
- (3) जहां उप-पैरा (2) के अधीन खाता जारी नहीं रखा जाता है, तो उसे बंद कर दिया जाएगा और पैरा 6 में उपबंध के अनुसार खाते में बकाया जमाराशि का ब्याज सहित पुनर्भुगतान किया जाएगा।
- (4) संयुक्त खाते में एक अथवा दो खाताधारकों की मृत्यु होने पर, उत्तरजीवित खाताधारक(कों) को खाता का स्वामी माना जाएगा और वे खाताधारक उप-पैरा (2) के अधीन खाता जारी रख सकते हैं या उप-पैरा (3) के तहत इसको बंद कर सकते हैं।

[भाग II-खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 127

- 10. साधारण नियम का लागू होना साधारण नियम के उपबंध,उन मामलों के संबंध में भी लागू होगें, जिनके लिए इस स्कीम में कोई उपबंध नहीं किए गए हैं।
- 11. **छूट देने की शक्ति -** जहां केंद्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट होती है कि इस स्कीम के किसी उपबंध के प्रचालन से खाताधारक को अनावश्यक कठिनाई का सामना करना पड़ता है, लिखित रूप में अभिलेख करते हुए इसके कारणों के लिए आदेश द्वारा अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के लिए जो असंगत न हो उस रीति मे उस उपबंध से छूट दे सकती है।

[फा. सं. 2/2/2018 एनएस(भाग-I)] रजत कुमार मिश्रा, संयुक्त सचिव

प्ररूप-1 [पैरा 1 का उप पैरा (1) देखें) (खाता खोलने के लिए आवेदन

(खाता खोलने के लिए आवेदन)	
सेवा में	
पोस्टमास्टर / प्रबंधक	
	आवेदक/आवेदकों की फोटो चिपकाएँ
महोदय ,	
मै/हम(खाताधारक (खाताधारकों)/अभिभावक), आपके डाकघर / बैंक खाताखोलने के लिए आवेदन करते हैं।	
मै/हम प्रारंभिक जमा के रूप में तारीख रुपए नकद/चेक/डीडी.में में(रु) निविदा करते है। मेरी / हमारे विवरण इस प्रकार हैं	ताराख़ क रूप
1. प्रथम जमाकर्ता	
पति/पिता/माता का नाम या न्यायालय द्वारा नियुक्त अभिभावक का नाम	
जन्म तिथि	
	(तारीख़ / मास / वर्ष)
	(शब्दों में)
2. दूसरा जमाकर्ता	
पति / पिता / माता का नामजन्म तिथि	
	(तारीख़ / मास / वर्ष))
	(शब्दों में)

3.	तीसरा जमाकर्ता	
	पति/पिता/ माता का का नाम	
	जन्म तिथि	
		(तारीख़ / मास / वर्ष))
		(शब्दों में)
4.	अवयस्क / विकृत चित्त खाता धारक के व्यक्ति का ना	ाम
	पिता /माता / अभिभावक का नाम	
	जन्म तिथि	
		(तारीख़ / मास / वर्ष))
		(शब्दों में)
5.	खाताधारक(खाताधारकों) की आधार संख्या	
6.	खाताधारक (खाताधारकों) का स्थायी खाता संख्या	(पैन)
7.	वर्तमान पता	
	स्थायी पता	
8.₹	नंपर्क विवरण टेलीफ़ोन का	नंबर
		मोबाइलनंबर
		ईमेल
		ગા ર્ટ ક ી

9. खाता का प्रकार	प्राधिकृत व्यक्ति के माध्यम से या विकृत चित्त या नेत्रहीन या	
निशक्त व्यक्ति के लिए अभिभावक के माध्यम से	ग एकल या संयुक्त ।	
10.(*)अवयस्क की जन्मतिथि का विवरण		
(अवयस्क के खाते के मामले में लागू)		
क) प्रमाण पत्र नं.		
ख) जारी करने की तिथि		
ग) जारी करने वाला प्राधिकरण		
11.(*) अभिभावक का नाम(प्राकृतिक/विधिक)		
(यदि खाता अवयस्क/ विकृत चित्त व्यक्ति		
की ओर से खोला जाता है)		
12. केवाईसी के अन्य दस्तावेजों का विवरण संल	ग्न 1. पहचान का प्रमाण	
		• • •
	2. पते का सबूत	
किया जाता है: 1. पासपोर्ट 2. चालक अनु	खित दस्तावेजों को आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेजों के रूप में स्वी ज्ञप्ति 3. मतदाता पहचान पत्र 4. नरेगा द्वारा राज्य सरकार के अधिव । और पते के विवरण को अंतर्विष्ट करते हुए राष्ट्रीय जनसंख्या रजि	कारी
द्वारा जारी किया गया पत्र;		
 खाते का संचालन होगा:- या जीवित धारक/धारकों। 	(a) सभी धारकों द्वारा एक साथ	
(संयुक्त खाते के मामले में) जमाकर्ता/ जमाकर्ताओं के द्वारा,	(b) धारक/धारकों, या जीवित	
14. मेरा/हमारा नमूना हस्ताक्षर		
12	3.,,	
(नाम)		
12		
(नाम)		
1 2		
(नाम)		

1		2		3		
(=	пम)					
मैं	समय-समय जारी किए	ए गए संशोधनों और स्क	ोम पर लागू सरव	जरी बचत संवर्धन	नियमों -2018	और स्कीम के
	ों को जारी करता हूं।.	,				
			खाता	धारक/अभिभावक वे	के हस्ताक्षर या अ	ांगुठे का निशान
					 तारीख :	
			नामनिर्देशन			
16.	मै/हम				नीचे उ	ल्लेखित व्यक्ति
(व्यक्ति	यों) को नामनिर्देशित क	रते हैं, जिन्हें मेरी मृत्यु की	ो स्थिति में अन्य स	गभी व्यक्तियों को बा	हर करने की रा	शि मेरे पास है
		नास पत्र स्कीम में ऋण देय '	_		1	
क्र.सं.	नामनिर्देशित व्यक्ति	पूरा पता (पते)	नामनिर्देशिती	अवयस्क के	पात्रता का	पात्रता की
	का नाम (पते) और संबंध		का आधार नंबर	मामले में नामनिर्देशित	हिस्सा	प्रकृति (न्यास कर्ता या
	स्वव		्रावर (वैकल्पिक)	याकागदाशत व्यक्ति की जन्म		कता या स्वामी)
			(93/1/13/)	तिथि		(9191)
1						
2						
3						
4						
क्रम	संख्या	पर नामनिर्देशिती(ओं)	के रूप में			ऊपर
		ोमती/कुमारीर्ा				
			-			-
	नाता (ओं) के अल्पसंख्यक के दौरान मेरी					
	मृत्यु की स्थिति में उक्त खाते के तहत राशि प्राप्त करता है।					
1. गवाह के हस्ताक्षर						
नाम और पता						
2. गवाह के हस्ताक्षर						
नाम और पता						
खाता धारक/अभिभावक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान						
ता रीख	•					

[भाग II—खण्ड 3(i)]	भारत का राजपत्र : असाधारप	П	131
	पोस्ट ऑफिस/बैंक के उपयोग ^ह	के लिए	
खाते को	के नाम पर तारीख		कीम का
	हपये के आरंभीक जमा के साथ	•	
ग्राहक पहचान संख्या			
नामांकन को तारीख	संख्या द्वारा रजिस्ट्रीकृत किया गया है।		
		सक्षम प्राधिकारी	के हस्ताक्षर और मुहर
	प्ररू प-2		
	[पैरा 5 के उप-पैरा (1) देव	बें]	
	(खाता बंद करने के लिए आवे	वेदन)	
डाकघर/बैंक का नाम			
तारीख	<u> </u>		
खाता संख्या			
1. मैं / हम इसके बाद पास बुक / ज	ामा रसीद जमा करते हैं और	पर परिपक्व में	रे / हमारे उपर्युक्त खाते
को बंद करने के लिए आवेदन करते			•
0 2)		/ 	
=	ेशेष राशि का श्रेय	(खाता कायालय	. का नाम) पर खड़ मर
एसबी खाता संख्या	क। द।		
	या		
कृपया डिमांड ड्राफ्ट / अकाउंट पेयी	। चेक जारी करें		
	या		
कृपया नकद में भुगतान करें (यदि र	ाशि अनुमेय सीमा से कम है तो लागू).		
* प्रमाणित किया जाता है कि ख	बाते में आयोजित राशि		के उपयोग के लिए

आवश्यक है, जो जीवित है और अभी भी अवयस्क है।

खाता धारक/ अभिभावक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान (अंगूठे के निशान को लेखा कार्यालय में जाने वाले व्यक्ति द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए)

भुगतान आदेश (केवल कार्यालय उपयोग के लिए)

मूल राशि रुपये	भुगतान का विवरण	
(+)ब्याज देय रुपये		_
(-)ओवरपेड ब्याज की वसूली	रुप	ये
यदि कोई कटौती है		_ रुपये
देय कुल राशि		रुपये
भुगतान	रुपये (आंकड़ों में)	(शब्दों में)
स्थान : तारीख :		
वाराखः.	पोस्टमास	टर/मैनेजर के हस्ताक्षर
	निस्तारण (जमाकर्ता द्वारा भरा जाना है)	
नकद/चेक/डीडीबियरिंग	(i ii ear aist ast ain eg	सं
 नहीं तारीख	खाताधारक/अभिभावक का हस्ताक्षर/अंगूठे का ि	। नेशान

प्ररूप-3

[पैरा 6 के उप-पैरा (1) देखें] (खाता परिपवक्ता पूर्व बंद करने के लिए आवेदन)

सेवा में,
पोस्टमास्टर/प्रबंधक
महोदय,
 मैं / हम नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार लागू जुर्माने की कौटती के पश्चात रकम को देने के लिए
और किसान विकास पत्र स्कीम के अधीन खोले गए ((केवल रुपए)
का संतुलन को परिपवक्ता पूर्व मेरे / हमारे खाता संख्या (
बंद करने की आशा करते है :-
कृपया मेरे एसबी खाता संख्या को को
(खाता कार्यालय का नाम) पर राशि का श्रेय दें।
या
कृपया डिमांड ड्राफ्ट / आदाता खाता चेक जारी करें
या
कृपया नकद में भुगतान करें (लागू है यदि राशि अनुमेय सीमा से कम है)
3. मैं / हम इसके माध्यम से घोषणा करते हैं कि किसानविकास योजना योजना के तहत जिन शर्तों के
तहत खाते को परिपक्वता से पहले बंद किया जा सकता है, उनका अनुपालन किया गया है।
* प्रमाणित है, कि खाते में रखी गई राशि का उपयोगपल उस
पल झुलसने के लिए आवश्यक है.
तारीख :- खाताधारक का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान / अभिभावक

(जमाकर्ता के अंगूठे का निशान लेखा कार्यालय में जाने वाले व्यक्ति द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए)

केवल कार्यालय उपयोग के लिए भुगतान का विवरण

खाते में पात्र शेष े	
कम जुर्माना राशि `	-
कुल राशि का भुगतान किया जाना है `	(आंकड़ों में)
(शब्दों में)	
तारीख स्टाम्प पोस्टमास्टर/मैनेजर के हस्ताक्षर	
निस्तारण (जमाकर्ता द्वारा भरा जाना है)	
नकद/चेक/डीडीबियरिंग सं नहीं तारीख	
खाताधारक/अभिभावक का हर	त्ताक्षर/अंगूठे का निशान
प्ररूप-4	
[पैरा 7 देखें]	
(खाता को गिरवी रखने के लिए आवेदन)	
सेवा में,	
पोस्टमास्टर/प्रबंधक	
महोदय,	
1. मैं / हम(सरकार के	राजपत्रित अधिकारी का कार्यालय
पदनाम या भारतीय रिजर्व बैंक या अनुसूचित बैंक, सहकारी बैंक, रजिस्ट्रकृत सहकारी सिम्स्थानीय प्राधिकरण)रुपये	

करते है । इसलिए मैं/हम	(अधिक	ारी का कार्यालय पदनाम) या	शाखा का नाम आदि जिसमें खाता
			में राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (VIII
जारी) के अधीन	खाता संख्या में जमा को	अन्तरित का अनुरोध करते है	
,		9	
	खाते :	का विवरण	
खाता संख्या	तारीख	खाता कार्यालय का नाम	राशि
ऊपर उल्लिखित प्राधिकरण ने	प्रतिज्ञा को स्वीकार करने के ि	लेए सहमति व्यक्त की है। प्रतिइ	ा के रूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा
हस्ताक्षरित प्रतिज्ञा स्वीकृति स	नंलग्न है।		
तारीख∷		खाते के हस्ताक्ष	र धारक
(एस) /अभिभावक			
		पता	
	केवल कार्याल	य उपयोग के लिए	
खाता संख्या	को पंजीकरण संख्य	Т	दिनांकित
और आवश्यक प्रविष्टियों को वि	रिकॉर्ड में चिह्नित किया गया	है। पासबुक / जमा रसीद / खा	ते का विवरण भी प्रतिज्ञा के साथ
चिह्नित किया गया है और ख	ाताधारक को वापस कर दिया	गया है.	
			पोस्ट मास्टर/मैनेजर के हस्ताक्षर सील

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th December, 2019

- **G.S.R. 920(E).**—In exercise of the powers conferred by section 3A of the Government Savings Promotion Act, 1873 (5 of 1873), the Central Government hereby makes the following Scheme, namely:-
- **1. Short title and commencement.-** (1) This Scheme may be called the Kisan Vikas Patra Scheme, 2019.
- (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
- **2. Definitions.-**(1) In this Scheme, unless the context otherwise requires,-
 - (a) "account" means an account opened under this Scheme;
 - (b) "account holder" means an individual in whose name the account is held;
 - (c) "Act" means The Government Savings Promotion Act, 1873 (5 of 1873);
 - (d) "Form" means forms appended to this Scheme;
 - (e) "General Rules" means the Government Savings Promotion General Rules, 2018;
 - (f) "year" means a period of twelve months commencing from the date of deposit in the account.
- (2) Words and expressions used herein but not defined shall have the meanings respectively assigned to them in the Act and the General Rules.
- **Type of accounts.-** (1) On an application to the accounts office in Form-1, the following types of accounts can be opened under the Scheme, namely:-
 - (a) Single Holder Type Account;
 - (b) Joint A- Type Account; and
 - (c) Joint B- Type Account.

- (2) (a) A Single Holder Type Account may be opened by an adult for himself, or on behalf of a minor or a person of unsound mind of whom he is the guardian, or by a minor who has attained the age of ten years;
 - (b) Joint A-Type Account may be opened jointly in the names of upto three adults payable to all the account holders jointly or to the survivors;
 - (c) Joint B-Type Account may be opened jointly in the name of upto three adults payable to any of the account holders or to the survivor or survivors.
- **4. Deposits.** (1) A minimum of one thousand rupees and any sum in multiples of one hundred rupees may be deposited in an account.
- (2) There shall be no maximum limit for deposit in an account or in accounts held by an account holder.
- (3) An individual may open any number of accounts.
- **5. Payment on maturity.-** (1) Deposits made in the account shall double on maturity. Maturity period of an account shall be nine years and five months commencing on the date of deposit. Amount of maturity may be repaid to the account holder on an application in Form-2 submitted to the accounts office.
- (2) The maturity period of the deposit under this Scheme shall be determined on the rate of interest applicable at the time of opening the account.
- **6. Premature closure of account.-** (1) The account may be prematurely closed by the account holder by making an application in Form-3 to the accounts office, at any time before maturity under the following circumstances, namely:-
- (a) on the death of the account holder in a single account, or any or all the account holders in a joint account;
- (b) on forfeiture by a pledgee, being a Gazetted Officer;
- (c) when ordered by a court.
- (2) On the closure of the account under sub-paragraph (1), principal amount alongwith simple interest calculated at the rate applicable from time to time to Post Office Savings Account for the complete months for which the account has been held, shall be payable.
- (3) Notwithstanding anything contained in sub-paragraph (2), if an account is closed any time after the expiry of two years and six months from the date of opening of the account, the amount, inclusive of interest shall be payable as specified in the table below:-

(Table showing premature closure value of account opened on or after date of notification with 1,000 rupees)

TABLE

Period from the date of the account to the date of its pre-mature closure	Amount payable inclusive of interest (Rupees)
(1)	(2)
Two and half years but less than three years	1173
Three years but less than three and half years	1211
Three and half years but less than four years	1251
Four years but less than four and half years	1291
Four and half years but less than five years	1333
Five years but less than five and half years	1377
Five and half years but less than six years	1421
Six years but less than six and half years	1467
Six and half years but less than seven years	1515

Seven years but less than seven and half years	1564
Seven and half years but less than eight years	1615
Eight years but less than eight and half years	1667
Eight and half years but less than nine years	1722
Nine years but before Maturity of Certificate	1778
On maturity of certificate	2000

- **7. Pledging of account.-** (1) An account may be pledged or transferred as security, on an application made by the depositor in Form-4 supported with acceptance letter from the pledgee.
- (2) Transfer of an account under this Scheme may be made to-
 - (a) the President of India or the Governor of a State in his official capacity;
 - (b) the Reserve Bank of India or a Scheduled Bank or a Cooperative Society, including a Co-operative Bank;
 - (c) a public or private corporation or a Government company;
 - (d) a local authority; or
 - (e) a housing finance company approved by the National Housing Bank and notified by the Central Government:

Provided that the transfer of an account opened on behalf of a minor or a person of unsound mind shall not be permitted under this Scheme unless the guardian of the minor or the person of unsound mind, as the case may be, certifies in writing that the minor or the person of unsound mind, as the case may be, is alive and that the transfer is for the benefit of the minor or the person of unsound mind.

(3) When any account is transferred as security under sub-paragraph (1), the authorised officer shall make the following endorsement in the record of the Account, including the Savings Certificate, namely:-

"Transferred as security to".

- (4) Except as otherwise provided in this Scheme, the transferee of an account under this paragraph shall, until it is re-transferred back under sub-paragraph (5), be deemed to be the depositor.
- (5) An account transferred under this Scheme may, on written authority of the transferree, be retransferred back with the previous sanction in writing of the authorised officer and when any such retransfer is made, the authorised officer of the accounts office shall make the following endorsement in the record of the account, including certificate, namely:-

"Re-transferred to.....".

- (6) A blind person or a person with physical infirmity making him incapable of operating the account may pledge his deposit through any literate individual whom he authorises for this purpose.
- **8. Transfer of account.-** An account may be transferred from one individual to another, subject to the condition that the transferee is eligible to open an account under this Scheme, in the following cases, namely:-
- (i) on the death of the account holder in case of a single account or on the death of all the account holders in a joint account, the amount shall be transferred to the legal heirs or the nominees, as the case may be;
- (ii) on the order of the court, the account shall be transferred from the account holder to the court or to any other individual as per the orders of the court;
 - (i) on pledging, account shall be transferred in accordance with paragraph 7;
 - (ii) in the event of the death of any of the account holders in a joint account, the account shall be transferred in the name of the surviving account holder or account holders, as the case may be.

- **9. Payment on the death of account holder.-** (1) In the event of death of the depositor of a single account or of all the depositors in a joint account, the deposit shall be payable to the nominee if a nomination exists or to the legal heir(s).
- (2) Where there are not more than three surviving nominees or legal heirs, they may, at their option continue the account and receive the amount of deposit along with interest on maturity in the manner provided for in this scheme, as if they had opened the account themselves.
- (3) Where the account is not continued under sub-paragraph (2), it shall be closed and the amount of deposit along with interest as provided in paragraph 6 shall be repaid.
- (4) On the death of one or two of the account holders in a joint account, the surviving account holder or holders, if any, shall be treated as the owner or owners of the account and such account holder or holders may continue the account under sub-paragraph (2) or close the account under sub-paragraph (3).
- **10. Application of General Rules.-** The provisions of the General Rules shall, so far as may be, apply to this Scheme in relation to the matters for which no provisions have been made herein.
- 11. Power to relax.- Where the Central Government is satisfied that the operation of any of the provisions of this Scheme causes undue hardship to the amount holder, it may be by order, for reasons to be recorded in writing, relax the requirements of that provision in a manner not inconsistent with the provisions of the Act or the rules made thereunder.

[F.No.2/2/2018 NS (Pt.I)]

RAJAT KUMAR MISHRA, Jt. Secy.

FORM - 1 [See sub-paragraph (1) of paragraph 3] (Application for opening an account)

То			Paste
	naster/Manager		photograph of applicant/s
			аррпсаниз
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		•••	
Sir,			
	(accour ikas Patra Scheme in your Post	nt holder(s)/guardian) hereby apply for opening t Office/Bank.	g of an accoun
I/We tender h	nerewith Rs	/-(Rs	
		e as initial deposit. My/our particulars a	
1. Name	of First Depositor		
Husba	.nd/Father /mother's name or gu	uardian appointed by Court	
Date o	of Birth		
		(DD / MM / YYYY)	
•		(In words)	
2. Name	of Second Depositor		
Husba	and/Father /mother's name		
Date o	of Birth		
		(DD / MM / YYYY)	
		(In words)	

3.	Name of Third Depositor								
	Husband/Fath	ner/mother's name							
	Date of Birth		(DD / MM / YYYY) (In words)						
4.		Name of minor/person of unsound mind account holder							
	Father /mothe	er/guardian's name							
	Date of Birth		(DD / MM / YYYY) (In words)						
5.		nber of account holder(s)							
6.		ccount Number (PAN) of							
7.	Present Addre	ess							
	Permanent Address								
8.	Contact detai	ls	Telephone Number						
9.	Type of Acco	ount	Single or Joint or through Guardian for Minor or person of unsound mind or blind or differently abled through authorized person.						
10.		date of birth of minor n case of minor account)							
	a)	Certificate No.							
	b) Date of Issue								
	c)	Issuing authority							
11.	(In case the a	guardian (natural/legal) ccount is opened on behalf of of unsound mind)	a						

	2. Address proof					
	and address proof	f: 1. Passport 2. Dri	ed as officially valid oving license 3. Votes officer 5. Letter issues;	r's ID card 4. J	ob card issued	by NREGA
13.	The operation of the holder/s.	he account will be:-	(a)	By all the holde	ers together or	the surviving
	(In case of joint addepositor/s,	ccount)	(b) By either of th	e holder/s, or	the surviving
14.	My/our specimen	signatures				
	ame)		2	3.,	•••••	
	ame)		2	3		
			2	3		
	ame)		2	3		
2018 a			scheme provisions a nts issued thereto from		Savings Pron	notion rules-
			Signature or thum	b impression of	account holde	r(s)/guardian
					Date:	
			Nomination			
the exc	clusion of all other		hereby nominate t of my death the ame payable.			
S.No.	Name(s) of the nominee(s) and	Full address (s)	Aadhaar number of	Date of birth of nominee	Share of entitlement	Nature of entitlement

S.No.	Name(s) of the nominee(s) and relationship	Full address (s)	Aadhaar number of nominee(optional)	Date of birth of nominee in case of minor	Share of entitlement	Nature of entitlement (Trustee or owner)
1						
2						
3						
4						

appoint	specified above is/are minor(s), I
under the said account in the event of my death during	the minority of the nominee(s).
1. Signature of witness	
Name and Address	
2. Signature of witness	
Name and Address	
Sign	ature or thumb impression of account holder(s)/guardian
Place:	
Date:	
For use of P	ost Office/Bank
	onwith
the scheme) vide Account No	under(name of dated
Customer identification Number	
Nomination has been registered vide No	dated
	Signature and seal of competent authority.
FOI	RM - 2
[See sub-paragrap	h (1) of paragraph 5]
(Application for	closure of account)
Name of Post Office/Bank	Date
Account Number	
I/we hereby submit pass book/deposit re account matured on	ceipt and apply for closure of my/our above mentioned
2. Please credit the amount of eligible bal no standing at	ance in my matured account to my SB Account (Name of account office).
	or
Please issue a Demand Draft/account payee cheque	
	or
Please pay in cash (applicable if the amount is below I	permissible limit).

Date:

*Certified, that the amount held in the account is required for the use ofwho is alive and still a minor.

Signature or thumb impression of account holder(s)/guardian (Thumb impression should be attested by a person known to accounts office)

Signature/thumb impression of account holder(s)/guardian

Payment Order (For office use only) Date Payment detail Principal amount Rs._____ (+) Interest due Rs. (-) Recovery of overpaid interest Rs. Deduction if any Rs_____ Total amount due Rs_____ Pay Rs.______(in figurers)______(in words) Place: Date: Signature of Postmaster/Manager **Acquittance** (to be filled by depositor) Received Rs ._____ (In figures)_____ (in words) By cash/cheque/DD bearing no......dated....../by transfer to Account No......

[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 143

FORM - 3

[See sub-paragraph (1) of paragraph 6]

(Application for premature closure of account)

To, The Po	ostmaster	/Manager										
	• • • • • • • • • • • •			•••••	•••							
Sir,												
		(I	Rupees			(Only) (opened	under K	Kisan Vika	ving balance of series Patra Schem	of ne
and re	quest you	to pay the	amount aft	er dedu	ction of a	applicabl	e pena	alty as p	er detail	s given be	low:-	
at			e amount								standir	ıg
Dlanca	icena a I	Demand Dr	aft/account	navee c		or						
ricasc	issue a L	Jeniana Dia	arvaccount	payee c	•	or						
Please	pay in ca	ash (applica	ble if the a	mount i	s below p	permissil	ble lim	nit)				
the Ki *Certi	san Vikas	s Patra Schot t the amou	eme have be	en con	nplied wi	th.					e maturity und	
Date:-					Signa	ature or tl	humb	impress	ion of a	ccount hol	der(s)/guardia	1
(Thun	nb impres	sion of the	depositor s	nould b	e attested	d by a per	rson kı	nown to	the acc	ounts offic	ce)	
						ce use or ent detail						
Eligib	le balance	e in accoun	t `									
Less p	enalty an	nount`										
Total a	amount to	be paid`.					(Ir	n figure	es)			
(In wo	ords)											
Date S	Stamp								Signatur 	re of Postn	naster/Manage	ſ
						•44						
					Acqu	iittance						
Receiv	ved Rs					unt holde				cash/cheq	ue/DD bearing	
No.)_			_dated		/by tr	ansfer to	Acco	unt				
No						·						
Place	•											
Date :					Signa	ture/thur	mb imj	pression	of acco	ount holder	r(s)/guardian	

FORM - 4

[See paragraph 7]

(Application for pledging of account)

То			
The Postmaster/Mana			
Sir,			
Rsthe gazetted officer Cooperative Bank, Authority). I/We then under Kisan Vikas Pa	of the Governme Registered Coope refore request you atra Scheme as second	am/are reductive with	(official designation of of India or a Scheduled Bank, overnment company or Local umber
		an be encashed by the pledgee whein the account stands	
		Particulars of Account	
Account number	Date	Name of Account office	Amount
The authority mentio competent authority as	s pledgee is attache	Signature of account h	
		For office use only	
dated ar	nd necessary entrie	has been pledged vide regists have been marked in the record. Pedge and returned to the account hold	assbook/deposit receipt/statement
			Signature of Post Master/Manager Seal

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2019

सा.का.नि. 921(अ).— केन्द्रीय सरकार, सरकारी बचत संवर्धन अधिनियम, 1873 (1873 का 5) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम डाकघर बचत खाता स्कीम, 2019 है।

- (2.) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।
- 2. परिभाषा: (1) इस स्कीम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो;
- (क) ''खाता'' से इस स्कीम के अधीन खोला गया खाता अभिप्रेत है;
- (ख) ''खाता धारक" से वह व्यष्टि अभिप्रेत है जिसके नाम खाता धारित हो;
- (ग) ''अधिनियम'' से सरकारी बचत संवर्धन अधिनियम, 1873 (1873 का 5) अभिप्रेत है;
- (घ) ''प्ररूप'' से इस स्कीम से उपाबद्ध प्ररूप अभिप्रेत है;
- (ङ) ''साधारण नियम'' से सरकारी बचत संवर्धन सामान्य नियम, 2018;
- (च) "वर्ष" से 1 अप्रैल से प्रारंभ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है।
- (2) उन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगे जो उनके उस अधिनियम और साधारण नियमों में हैं।
- 3. खातों के प्रकार:- (1) कोई खाता प्ररूप-1 में आवेदन करके निम्नलिखित द्वारा खोला जा सकेगा:-
- (क) एकल वयस्क;
- (ख) दो वयस्क संयुक्त रूप से;
- (ग) अवयस्क की ओर से संरक्षक;
- (घ) विकृत चित्त व्यक्ति की ओर से संरक्षक
- (ङ) अवयस्क जिसने 10 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, स्वयं अपने नाम पर

परंतु किसी व्यष्टि द्वारा एकल खाते के रूप में केवल एक ही खाता खोला जा सकता है।

परंतु यह और कि खंड (ड.) के अधीन खाता तभी खोला जा सकता है जब खंड (ग) के अधीन खाता अवयस्क या विलोमता, के नाम पर विद्यमान नहीं है।

- (2) संयुक्त खाते में अतिशेष में व्यष्टि का भाग समानुपात होगा। किसी संयुक्त खाते में खाताधारकों में से किसी एक खाता धारक की मृत्यु होने पर, उत्तरजीवी खाताधारक को खाते के एकमात्र धारक के रूप में माना जाएगा और वह इस स्कीम के उपबंधों के अनुसार खाते का संचालन जारी रख सकेगा परंतु यदि उसके नाम पर अन्य कोई एकल खाता धारित न हो। यदि उत्तरजीवी खाताधारक के नाम पर एकल खाता विद्यमान है, तो उस खाते को बंद करना होगा।
- 4. जमा और आहरण:- (1) न्यूनतम पांच सौ रुपये की जमा के साथ खाता खोला जा सकेगा और तत्पश्चात् दस रुपये से कम की रकम के लिए कोई जमा स्वीकृत नहीं की जाएगी।
- (2) किसी खाते में अधिकतम जमा की कोई सीमा नहीं है।
- (3) खाते से आहरण, जो पचास रुपये से कम का नहीं होगा, सम्यक् रूप से भरे व हस्ताक्षरित प्रपत्र 2 के साथ पासबुक प्रस्तुत करके किया जा सकेगा । खाते में से आहरण चैक अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के जरिए न्यूनतम निर्धारित सीमा से अधिक अतिशेष रकम की उपलब्धता के अध्यधीन किया जा सकेगा ।
- (4) जिस आहरण से अतिशेष पांच सौ रुपये से कम होता हो, का कोई आहरण अनुज्ञेय नहीं होगा।
- (5) इस स्कीम के लागू होने के तुरंत पहले यदि खाते में अतिशेष पांच सौ रुपये से कम है, खाता धारक इन नियमों के लागू होने से एक वर्ष की अवधि के भीतर इतनी रकम जमा करेगा जिससे कि खाते में न्यूनतम अतिशेष पांच सौ रुपये हो जाए और

विनिर्दिष्ट तारीख के भीतर अपेक्षित रकम जमा करने के लिए उपयुक्त विधि के जरिए खाताधारक को सलाह देने हेतु लेखा कार्यालय जिम्मेदार होगा।

- (6) खाते में न्यूनतम पांच सौ रुपये अतिशेष रखने के लिए यदि खाताधारक विनिर्दिष्ट अविध के भीतर उतनी रकम जमा करने में असमर्थ होता है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंतिम कार्यदिवस को खाते में से एक सौ रुपये का खाता रखरखाव शुल्क काट लिया जाएगा और खाता रखरखाव शुल्क की कटौती करने के बाद पश्चात् खाते में अतिशेष शून्य हो जाता है, तो खाता स्वतः ही बंद हो जाएगा और जब खाता बंद हो जाता है तब खाताधारक को अधिसूचित किया जाएगा। यह उपबंध सभी खातों, जिसके अंतर्गत निष्क्रिय खाते भी हैं, को लागू होगा।
- (7) सभी जमा और आहरण केवल पूर्ण रुपये में किया जाएगा।
- **5. खाते में जमा पर ब्याज:-** (1) समय-समय पर सरकार द्वारा अधिसूचित दर पर कैलेंडर मास के लिए बंद होने के दसवें दिन और मास के अंत के बीच खाते में न्यूनतम जमा अतिशेष पर ब्याज अनुज्ञात होगा और यह ब्याज प्रत्येक वर्ष के अंत में परिकलित होगा और खाते में जमा होगा।
- (2) केवल संपूर्ण रुपये की रकम पर ब्याज अनुज्ञात होगा और इसे निकटतम रुपये में पूर्णांकित किया जाएगा और इस प्रयोजन के लिए पचास पैसे या अधिक की रकम एक रुपये मानी जाएगी और पचास पैसे से कम की रकम छोड़ दी जाएगी।
- (3) किसी मास के लिए खाते में कोई ब्याज अनुज्ञय नहीं होगा जिसमें किसी भी समय मास के दसवें और अंतिम दिन के बीच जमा पांच सौ रुपये से कम हो।
- (4) यदि किसी वर्ष के दौरान खाता बंद किया जाता है, तो खाता बंद होने के पहले के मास के अंत तक ब्याज अनुज्ञात होगा।
- (5) खाता धारक की मृत्यु हो जाने पर उसके खाते में ब्याज, जिस मास खाता बंद किया जाता है, उसके पूर्व के मास के अंत तक अनुज्ञात होगा।
- **6. अतिशेष की पृष्टि:-** लेखा कार्यालय द्वारा खाताधारक की पासबुक या खाते का विवरण लेखा कार्यालय द्वारा जारी किया जाएगा। खाताधारक किसी भी समय अपनी पासबुक प्रस्तुत करते हुए अपने खाते में अतिशेष की पृष्टि कर सकेगा।
- 7. चैक बुक जारी करना:- आवेदन करने पर खाता धारक को दस पर्चियों वाली एक चैक बुक एक वर्ष में नि:शुल्क जारी की जा सकेगी । तत्पश्चात् जारी चैकबुक दो रुपए प्रति चैक प्रभारित होगी।
- **8. निष्क्रिय खाता: -** (1) किसी खाते में जिसमें पूरे तीन वर्षों के लिए जमा या आहरण नहीं हुआ हो, वह निष्क्रिय खाता माना जाएगा और निष्क्रिय खाते में ब्याज का प्रत्यय संव्यवहार नहीं माना जाएगा।
- (2) निष्क्रिय खाते में कोई संव्यवहार खाताधारक द्वारा खाता की बहाली हेतु आवेदन तथा लेखा कार्यालय द्वारा सम्यक् प्रक्रिया पूरी करने पर खाता पुनरुज्जीवित होने के पश्चात ही अनुज्ञात होगा।
- 9. बंद करने पर अंतिम आहरण:- खाताधारक, खाता बंद करने हेतु प्ररूप-2 में आवेदन के साथ पासबुक, अप्रयुक्त अथवा आंशिक रूप से प्रयुक्त चैकबुक आदि, यदि कोई हो, खाता कार्यालय को अभ्यर्पित करके, किसी भी समय खाता बंद कर सकेगा
- 10. साधारण नियमों का लागू होना:- साधारण नियम के उपबंध, उन मामलों के संबंध में भी लागू होगें, जिनके लिए इस स्कीम में कोई उपबंध नहीं किए गए हैं।
- 11. शिथिल करने की शक्ति जहां केंद्रीय सरकार, का यह समाधान हो गया है कि इस स्कीम के किसी उपबंध के प्रचालन से खाता धारक को असम्यक् कष्ट होता है, यह ऐसे कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, आदेश द्वारा उस उपबंध की अपेक्षा को ऐसी रीति में जो अधिनियम के उपबंधों के साथ असंगत न हों, शिथिल कर सकेगी।

[फा.सं.2/2/2018-एनएस (भाग-I)] रजत कुमार मिश्रा, संयुक्त सचिव

प्ररूप 1

(खाता खोलने के लिए आवेदन)

सेवा में,			
श्रीमान, पोस्टमास्टर/प्रबंधक			
	_		
			आवेदक/आवेदकों का फोटो चिपकाएं
श्रीमान,			
मैं/हमअधीन खाता खोलने के लिए आवेदन कर		:)/संरक्षक) आपके डाव्	कघर/बैंक में डाकघर बचत खाता स्कीम के
मैं/हम ,	-रुपए/	(शब्दों में रुपए) नकद/चैक/डिमांड
ड्राफ्ट संख्यांक विशिष्टियां निम्न प्रकार हैं:-	तारीख	आरंभिक जमा के	रूप में निविदा करता हूं/हैं । मेरी/हमारी
1. प्रथम जमाकर्ता का नाम			
पति/पिता/माता या न्यायालय द्वारा नि	युक्त संरक्षक का ना	म	
जन्म की तारीख	-(दिदि/मम/वववव)	शब्दों में	
2. दूसरे जमाकर्ता का नाम			
पति/पिता/माता का नाम			
जन्म की तारीख	-(दिदि/मम/वववव)		
3. तीसरे जमाकर्ता का नाम			
पति/पिता/माता का नाम			
जन्म की तारीख	(दिदि/मम/वववव)		
4. अवयस्क/विकृतचित्त व्यक्ति खाताधा	रक का नाम		
पिता/माता/संरक्षक का नाम			
जन्म की तारीख	(दिदि/मम/वववव)		
5. खाताधारक(कों) का आधार संख्यांक			
6. खाताधारक(कों) का स्थायी खाता संख	य़ांक (पैन)		
7. वर्तमान पता			
स्थायी पता			

8. संपर्क ब्यौरे		
टेलीफोन नं		
मोबाइल नं		
ई-मेल आईडी		
9. खाते का प्रकारएव नेत्रहीन या दिव्यांगजन, किसी प्राधिवृ	कल या संयुक्त या अवयस्क के मामले में संरक्ष कत व्यक्ति के माध्यम से।	क के माध्यम से या विकृतचित्त व्यक्ति या
10. (*)अवयस्क के जन्म की तारीख वे	_ज ब्यौरे	
(अवयस्क के खाते के मामले में लागू)		
(क) प्रमाणपत्र सं.		
(ख) जारी होने की तारीख		
(ग) जारी करने वाला प्राधिव	<mark>जारी</mark>	
11. (*) संरक्षक(प्राकृतिक/विधिक) का	नाम	
(अवयस्क/विकृतचित्त व्यक्ति की अ	भोर से खाता खोले जाने की दशा में)	
12. अन्य संलग्न केवाईसी दस्तावेजों	के ब्यौरे 1. पहचान का सबूत	
	2. पते का सबूत	
· ·	ाते के सबूत के प्रयोजन के लिए विधिमान्य दस् पता पहचान पत्र 4. नरेगा द्वारा जारी, राज्य जनसंख्या रजिस्टर द्वारा जारी पत्र ;	-
13. खाते का संचालन निम्न प्रकार से	किया जाएगा:	
(क) सभी धारकों द्वारा एक साथ या उ	इत्तरजीवी धारक द्वारा	
(संयुक्त खाते के मामले में)		
(ख) या तो धारक(कों) द्वारा या उत्तरः	जीवी जमाकर्ता/जमाकर्ताओं द्वारा	
14. मेरे/हमारे नमूने हस्ताक्षर		
1.	2	3
(नाम)		
2.	2	3
(नाम)		
3.	(नाम)	2
4.	(नाम)	2
(नाम)		

मैं, स्कीम पर लागू उपबंधों और स्कीम को लागू सरकारी बचत संवर्धन नियम, 2018, और उसके अधीन समय-समय पर जारी संशोधनों, को पालन करने का वचन देता हूं।

खाताधारक(कों)/संरक्षक के हस्ताक्षर या अंगूठा छाप

त	₹	ख	-											
		· •										•	•	٠

नाम निर्देशन

16. मैं/हम नीचे उल्लिखित व्यक्ति(यों) का नाम निर्देशन करता हूं/करते हैं जिनको मेरी मृत्यु की दशा में अन्य व्यक्तियों को अपवर्जित करके डाकघर बचत खाता स्कीम में मेरी जमा रकम को मेरी मृत्यु के समय संदत्त की जाएगी:

क्र.सं.	नाम निर्देशिती(यों) का नाम (के नाम) और संबंध	पूरा पता(पते)	नाम निर्देशिती का आधार संख्यांक नाम (वैकल्पिक)	अवयस्क के मामले में नाम निर्देशिती के जन्म की तारीख	हकदारी का अंश	हकदारी की प्रकृति, न्यासी या स्वामी
1						
2						
3						
4						

चूंकि, उपरोक्त विनिर्दिष्ट क्रम संख्या (कों)	निर्देशिती (यां) अवयस	क है/हैं, श्री/श्रीमर्त	ो/कुमारी
अवयस्कता के दौरान मेरी मृत्यु की दशा में उक्त खाते के अधी	न दय रकम का प्राप्त क	रन कालए नियुक्त	करता हू ।
1. साक्षी के हस्ताक्षर			
नाम और पता			
2. साक्षी का नाम			
नाम और पता			
	खाताधारक (कों) /संरक्षक के हस्त	ताक्षर या अंगूठा छाप
स्थान			•
तारीख			
_		त	ारीख
	क के प्रयोग हेतु		
यह खाताके नाम में तारीख			
स्कीम के अधीन (स्कीम का नाम) खाता संख्यांक- खोला गया है।		तारीख	द्वारा
ग्राहक पहचान संख्यांक			
नाम निर्देशन संख्यांकतारीख	द्वारा रजिस्ट्री	कृत किया गया है	
सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर और मुद्रा			

प्ररूप 2 [पैरा 9 देखिए] (खाता बंद करने के लिए आवेदन)

डाक घर /बैंक का नाम	
तारीख खाता संख्यांक 1. मैं/हम पासबुक/जमा रसीद प्रस्तुत करता हूं/करते हैं खाता को बंद करने के लिए आवेदन करता हूं/ करते हैं।	और अपने/हमारे तारीखको परिपक्व उपरोक्त उल्लिखित
2. कृपया मेरे परिपक्व खाते में अतिशेष रकम का मेरे ब (खाता कार्यालय का नाम) में प्रत्यय करें।	ाचत बैंक खाता संख्यांकस्थितस्थित
	या
कृपया डिमांड ड्राफ्ट/पाने वाले के नाम चैक जारी करें	
कृपया नकद संदाय करें (लागू, यदि रकम अनुज्ञेय सीमा	या मे तीने हो)
-	के प्रयोग के लिए है जो जीवित है और अवयस्क है, अपेक्षित है ।
(लेखा कार्यालय को ज्ञात व्यक्ति द्वारा अंगूठा छाप प्रमा	खाताधारक (कों)/संरक्षक के हस्ताक्षर या अंगूठा छाप णित की जानी चाहिए)
(केवल [ा]	संदाय आदेश कार्यालय के प्रयोग हेतु) तारीख
मूल रकम रुपए	ताराख संदाय ब्यौरा
(+) देय ब्याज रुपए	·
(-) अधिक संदत्त ब्याज की वसूली रुपए	
कटौती, यदि कोई हो, रुपए	
कुल देय रकम रुपए	
रुपए(अंको में)	(शब्दों में) का संदाय करें ।
तारीख	
	पोस्टमास्टर/प्रबंधक के हस्ताक्षर
	भुगतान कर्ता द्वारा भरा जाए)
रुपएका संख्यांकको अंत	(शब्दों में) नकद /चैक/डीडी संख्यांकतारीख- रण द्वारा, प्राप्त किए ।

स्थानः

तारीख:

खाताधारक(कों)/संरक्षक के हस्ताक्षर या अंगूठा छाप

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th December, 2019

- **G.S.R. 921(E).**—In exercise of the powers conferred by section 3A of the Government Savings Promotion Act, 1873 (5 of 1873), the Central Government hereby makes the following Scheme, namely:-
- **1. Short title and commencement.**-(1) This Scheme may be called the Post Office Savings Account Scheme, 2019.
- (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
- 2. Definitions.- (1) In this Scheme, unless the context otherwise requires,-
 - (a) "account" means an account opened under this Scheme;
 - (b) "account holder" means an individual in whose name the Account is held;
 - (c) "Act" means the Government Savings Promotion Act, 1873 (5 of 1873);
 - (d) "Form" means forms appended to this Scheme;
 - (e) "General Rules" means the Government Savings Promotion General Rules, 2018;
 - (f) "year" means a period of twelve months commencing on the 1st day of April.
- (2) Words and expressions used herein but not defined shall have the meanings assigned to them in the Act and in the General Rules.
- 3. Type of Account.- (1) An account may be opened by making an application in Form-1 by the following:-
- (a) a single adult;
- (b) two adults jointly;
- (c) a guardian on behalf of a minor;
- (d) a guardian on behalf of a person of unsound mind;
- (e) a minor who has attained the age of ten years, in his own name:

Provided that only one account can be opened by an individual as a single account:

Provided further that an account under clause (e) can only be opened if an account under clause (c) does not exist in the name of the minor or *vice versa*.

- (2) The share of an individual in the balance in a joint account shall be in equal proportion. On the death of one of the account holder in a joint account, the surviving account holder shall be treated as the sole owner of the account and he may continue the account in accordance with the provisions of this Scheme provided another single account is not held in his name. In case a single account exists in the name of the surviving holder, the account shall have to be closed.
- **4. Deposits and withdrawals.-** (1) The account may be opened with a minimum deposit of five hundred rupees and no subsequent deposit shall be accepted for an amount less than ten rupees.
- (2) There shall be no maximum limit of deposit in an account.

- (3) Withdrawals from the account for not less than fifty rupees may be made by presenting pass book alongwith Form-2 duly filled in and signed. Withdrawals from the account may also be made subject to the availability of balance above minimum prescribed limit by way of cheque or electronic means.
- (4) No withdrawal shall be permitted which has the effect of reducing the balance to less than five hundred rupees.
- (5) In case of an account having a balance of less than five hundred rupees immediately before the commencement of this Scheme, the account holder shall deposit the difference amount within a period of one year from the date of commencement of this Scheme, so as to bring the balance in the account to a minimum of five hundred rupees and the accounts office shall be responsible for advising the account holder through appropriate mode to make the required deposits within the specified date.
- (6) If the account holder fails to make such deposit within the specified period, an account maintenance fee of one hundred rupees shall be deducted from the account on the last working day of each financial year and after deduction of the account maintenance fee, if the balance in the account becomes nil, the account shall stand automatically closed and the account holder shall be notified accordingly. This provision shall be applicable to all accounts including Silent Account.
- (7) All deposits and withdrawals shall be made in whole rupees only.
- **5. Interest on deposits in an account.-** (1) The interest at the rate of four per cent per annum shall be allowed for a calendar month on the lowest balance at the credit of an account between the close of the tenth day and the end of the month, and such interest shall be calculated and credited in the account at the end of each year.
- (2) The interest shall be allowed only on sums of whole rupees and shall be rounded off to the nearest rupee and for this purpose any amount of fifty paisa or more shall be treated as one rupee and any amount less than fifty paisa shall be ignored.
- (3) No interest shall be allowed on an account for any month in which the balance at credit is below five hundred rupees at any time between the tenth and the last day of the month.
- (4) If an account is closed during a year, interest shall be allowed upto the end of the month preceding the month in which the account is closed.
- (5) In the event of death of an account holder, the interest in his account shall be paid only in the end of the month preceding the month in which the account is closed.
- **6. Confirmation of balance.-** A pass book or statement of account of the account holder shall be issued by the accounts office. The account holder may confirm balance in his account by presenting his pass book during office hours.
- **7. Issue of cheque book.-** A cheque book containing ten leaves may be issued to the account holder on an application, free of charge in a year. Subsequent issue of cheque book shall be charged at two rupees per cheque.
- **8. Silent Account.-** (1) An account in which a deposit or a withdrawal has not taken place for three complete years, shall be treated as a Silent Account and credit of interest in a Silent Account shall not be treated as a transaction.
- (2) Transaction in a Silent Account shall be allowed only after revival of account. The account can be revived through an application by the account holder and after completion of the due process by the accounts office.
- **9. Final withdrawal on closure.-** The account may be closed at any time by the account holder by surrendering the pass book, unused or partially used cheque book, if any, etc. to the accounts office, along with the application in Form-2 for closure of the account.
- **10. Application of General Rules.-** The provisions of the General Rules shall, so far as may be, apply in relation to the matters for which no provision has been made in this Scheme.
- 11. Power to relax.- Where the Central Government is satisfied that the operation of any of the provision of this Scheme causes undue hardship to an account holder, it may, by order for reasons to be recorded in writing, relax the requirements of that provision in a manner not inconsistent with the provisions of the Act.

[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 153

[F.No.2/2/2018 NS (Pt.I)] RAJAT KUMAR MISHRA, Jt. Secy.

FORM - 1 [See sub-paragraph (1) of paragraph 3] (Application for opening an account)

To					ъ.	1 , 1	7
Tl	ne Postmaster/Manager					photograph blicant/s	
		•••					
Sir,							
	I/We(accour				oply for opening	ng of an a	ccount
	Post Office Savings Account Scheme in	•	ost Office	e/Bank.			
(Rs	ender herewith Rs					e/DD.	
No	date as initial d	leposit. N	1y/our pa	articulars are as	under:-		
1.	Name of First Depositor		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				
	Husband/Father /Mother's				appointed	by	Court
	Date of Birth				 YYY)		
		(In wo	rds)				
2.	Name of Second Depositor Husband/Father /mother's name Date of Birth	•••••	(DD /		YYY		
2	Name of Third Days item						
3.	Name of Third Depositor		•••••			•	
	Husband/Father /mother's name		• • • • • • • • • •			•	
	Date of Birth		(DD /		YYY)		
		(In wo	ords)				
4.	Name of minor/person of unsound mi	ind accou	ınt holde	r			
	Father /mother/guardian's name						
	Date of Birth				······································		

				(In words)
5.	Aadhaar Numb	per of account ho	lder(s)	
6.	Permanent Acc	count Number	(PAN)	of account holder(s)
7.	Present Address	ss		
	Permanent Ado	dress	•••••	
8.	Contact details			
	Telephone Nu	ımber		
		oer		
	Email ID			
9.	Type of Acco	ount		Single or Joint or through Guardian for Minor or person of unsound mind or blind or differently abled through authorised person.
10.	(*) Details of d	late of birth of m	inor	
	(Applicable in	case of minor acc	count)	
	a)	Certificate No.		
	b)	Date of Issue		
	c)	Issuing authorit	y	
11.	(*) Name of G	uardian (Natural/	Legal)	
	(In case the acc	count is opened o	n behalf	f of a Minor/person of unsound mind)
12.	Details of other	er KYC documen	ts attacl	ned 1. Proof of identification
				2. Address proof
	address proof: by the State	1. Passport 2. D	riving li	ed as valid documents for the purpose of identification and cense 3. Voter's ID card 4. Job card issued by NREGA signed Letter issued by the National Population Register containing
13.	The operation	of the account wi	ll be:-	
	(a) By all the	holders together	or the su	urviving holder/s.
	(In case of join	at account)		

भारत का राजपत्र : असाधारण 155 [भाग II – खण्ड 3(i)]

(b) By either of the holder/s, or the surviving depositor/s, 14. My/our specimen Signatures 2...... 3.,.... 1..... (Name)..... 2......3...... 1..... (Name)..... 2...... 3...... 1..... (Name)..... 2...... 3..... 1..... (Name)..... I hereby undertake to abide by the scheme provisions and Government Savings Promotion rules-2018 applicable on the Scheme and amendments issued thereto from time to time. Signature or thumb impression of account holder(s)/guardian Date:.... Nomination 16. I/we....hereby nominate the person(s) mentioned below to whom to the exclusion of all other persons in the event of my death the amount standing to my credit in Post Office Savings Account Scheme at the time of my death would be payable. S.No. Name(s) of the Full address (s) Aadhaar number Date of birth Share of Nature of nominee(s) and of nominee entitlement entitlement αf relationship nominee(optional) in case of Trustee or minor owner As the nominee(s) at Serial No.(s).....specified above is/are minor(s), I appoint under the said account in the event of my death during the minority of the nominee(s). 1. Signature of witness.....

1 2

3

4

Name & Address..... 2. Signature of witness..... Name & Address.....

		Signature or thumb	impression of account holder	(s)/gua	ardian
Place:					
Date:					
	For	use of Post Office/Ban	k		
	been opened in the na		on		
initial Rs	unc	deposit ler	(name	of	of the
Customer identificati	on Number				
Nomination No	hasdated	been d	registered		vide
1,0					
			Signature and seal of comp	etent	authority.
		FORM - 2			
		[See paragraph 9]			
	(Applio	cation for closure of acco	ount)		
Name of Post Offic	e/Bank		Date		
Account Number_					
1. I/we her account matured on_	•	deposit receipt and apply	for closure of my/our above	ment	tioned
			matured account to my S(Name of Account office).	В Ас	count
		or			
Please issue a Deman	nd Draft/account payee	cheque			
		or			
Please pay in cash (a)	pplicable if the amount	is below permissible limi	it).		
*Certified, that		ld in the account is alive and still a minor.	s required for the	use	of
		Signature or thumb	impression of account holder	(s)/gua	ardian
(Thumb impression s	hould be attested by a	person known to Account	s office)		
		Payment Order			
		(For office use only)			
			Date		
		Payment detail			
Principal amoun	nt Rs				

(+) Interest due	Rs	
(-) Recovery of overp	aid interest Rs	
Deduction if any	y Rs	
Total Amount d	ue Rs	
Pay Rs	(in figurers)	(in words)
Date		
		Signature of Postmaster/Manager
	Acq	uittance
	(to be fille	ed by depositor)
Received Rs	(In figures)dated	(in words) By cash/cheque/DD bearing/by transfer to Account No
Place:		
Date:	Signature/thumb im	apression of account holder(s)/guardian

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2019

सा.का.नि. **922(अ)**.— केन्द्रीय सरकार, सरकारी बचत संवर्धन अधिनियम, 1873 (1873 का 5) की धारा 3क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: (1.) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय बचत सावधि जमा स्कीम, 2019 है।
- (2.) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।
- 2. परिभाषा: (1) इस स्कीम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,
- (क) ''खाता" से इस स्कीम के अधीन खोला गया खाता अभिप्रेत है;
- (ख) ''खाता धारक'' से वह व्यष्टि अभिप्रेत है जिसके नाम खाता धारित हो;
- (ग) ''अधिनियम'' से सरकारी बचत संवर्धन अधिनियम, 1873 (1873 का 5) अभिप्रेत है;
- (घ) ''प्ररूप'' से इस स्कीम से उपाबद्ध प्ररूप अभिप्रेत है;

- (ङ) ''साधारण नियम'' से सरकारी बचत संवर्धन साधारण नियम, 2018 अभिप्रेत है;
- (च) "वर्ष" से 1 अप्रैल से प्रारंभ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है।
- (2) उन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगे जो उनके उस अधिनियम और साधारण नियमों में हैं।
- 3. खातों के प्रकार:- (1) सावधि जमा खातों के चार प्रकार होंगे, अर्थात् एक वर्षीय खाता, दो वर्षीय खाता, तीन वर्षीय खाता तथा पांच वर्षीय खाता जिसमें क्रमश:, एक वर्ष, दो वर्ष, तीन वर्ष तथा पांच वर्ष की अवधि के लिए निक्षेप किया जा सकेगा।
- 4. खातों के प्रकार:- (1) कोई खाता प्ररूप-1 में आवेदन करके निम्नलिखित द्वारा खोला जा सकेगा,-
- (i) एकल वयस्कः
- (ii) संयुक्त नामों में अधिकतम तीन वयस्कों द्वारा;
- (iii) ऐसा अवयस्क जिसने दस वर्ष की आयु पूरी कर ली है;
- (iv) अवयस्क या विकृतचित्त व्यक्ति की ओर से संरक्षक ।
- (2) एक व्यष्टि का अपने नाम पर या किसी अन्य के साथ संयुक्त रूप से एक से अधिक खाता हो सकेगा ।
- 5. जमा और प्रतिसंदाय :- (1) खाते में केवल एक बार एक हजार रुपये से अनिधिक और एक सौ रुपये के गुणक में कोई जमा होगी।
- (2) जमा यथास्थिति, एक वर्ष, दो वर्ष, तीन वर्ष या पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति पर प्रतिदाय होगी । खाते में जमा लेखा कार्यालय को प्रस्तुत प्ररूप-2 में आवेदन पर खाता धारक को पुन:संदत्त की जा सकेगी ।
- **6. खाते का विस्तार:-** (1) जहां खाते में जमा प्रतिसंदाय हेतु देय हो गई है, खाताधारक अपने विकल्प से एक अन्य समयावधि के लिए उस खाते का विस्तार कर सकता है जिसके लिए खाता आरंभ में खोला गया था।
- (2) जहां यह विस्तार उप-पैरा (1) के अधीन किया गया है, विस्तार के लिए विकल्प का प्रयोग नीचे दी गई सारणी में यथाविनिर्दिष्ट रूप में किया जाएगा:

सारणी

क्र.सं	खाते का प्रकार	प्रतिसंदाय की तारीख से अवधि जिससे विस्तार के लिए विकल्प का प्रयोग किया जा सकेगा।
(1)	(2)	(3)
1.	एक वर्ष	छह मास
2.	दो वर्ष	बारह मास
3.	तीन वर्ष	अट्ठारह मास
4.	पांच वर्ष	अट्ठारह मास

- (3) जहां उप-पैरा 2 में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर जमा के विस्तार के विकल्प का प्रयोग किया जाता है, प्रतिदाय की तारीख पर स्कीम के अधीन खाते के प्रकार पर लागू ब्याज देय होगा।
- (4) खाताधारक को उप-पैरा 2 के अनुसार खाते का विस्तार आरंभिक प्रतिसंदाय की तारीख के पश्चात केवल दो बार ही अनुज्ञात होगा।
- (5) उप-पैरा (1) के अनुसार खाते के विस्तार का विकल्प का प्रयोग खाताधारक द्वारा खाता खोलते समय भी किया जा सकेगा। तथापि, खाताधारक प्रतिसंदाय की तारीख से पहले कभी भी खाते के विस्तार के विकल्प का प्रतिसंहरण कर सकेगा।

7 . ब्याज की दर (1) इस स्कीम के ३	गधीन जमा को व	व्याज की दर नीचे	सारणी में विनिर्दिष्ट	रूप में होगी:
---------------------------	-----------------	---------------	------------------	-----------------------	---------------

क्र.सं	खाते का प्रकार	ब्याज की दर (प्रतिशत/वार्षिक)
(1)	(2)	(3)
1.	एक वर्ष	6.9
2.	दो वर्ष	6.9
3.	तीन वर्ष	6.9
4.	पांच वर्ष	7.9

- (2) जहां ब्याज रुपये के अंश रूप में हो और ऐसा अंश पचास पैसे या इससे अधिक का हो तो इसे निकटतम रुपये में पूर्णांकित किया जाएगा और यदि ऐसा अंश पचास पैसे से कम हो, तो उसे छोड़ दिया जाएगा।
- (3) खाता खोलने की तारीख पर लागू दर परिपक्वता तक लागू रहेगी।
- (4) ब्याज वार्षिक रूप से देय होगा और वर्ष की गणना उस तारीख से की जाएगी जब खाता खोला गया है।
- (5) यदि ब्याज के संदाय की तारीख गैर कार्यदिवस पर पड़ती है, तो संदाय ठीक इसके पूर्ववर्ती कार्यदिवस पर देय हुआ माना जाएगा।
- (6) कोई अतिरिक्त ब्याज उस ब्याज रकम पर देय नहीं होगा जो संदाय के लिए देय से गई है परंतु खाताधारक द्वारा आहरित नहीं की गई है।
- (7) वार्षिक ब्याज खाताधारक के बचत खाते में उसके विकल्प पर प्रत्यय किया जाएगा।
- 8. परिपक्वतापूर्व खाता बंद करना:- निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन प्ररूप-4 में खाता धारक द्वारा आवेदन पर खाता किसी भी समय बंद किया जाना अनुज्ञात होगा, अर्थात्:--
- (क) जमा करने की तारीख से छह मास समाप्त होने से पहले कोई जमा आहरित नहीं की जाएगी;
- (ख) जहां एक वर्षीय, दो वर्षीय, तीन वर्षीय अथवा पांच वर्षीय खाते में जमा परिपक्वतापूर्व छह मास के पश्चात किंतु जमा करने की तारीख से एक वर्ष समाप्त होने से पहले आहरित की जाती है, तो खाताधारक को पूरे किए गए मासों के लिए डाकघर बचत खाता पर लागू दर से ब्याज देय होगा।
- (ग) जहां दो वर्षीय, तीन वर्षीय अथवा पांच वर्षीय खाते में जमा परिपक्वतापूर्व जमा करने की तारीख से एक वर्ष समाप्त होने के पश्चात आहरित की जाती है, तो खाताधारक को ब्याज जमा करने की तारीख पर आरंभ करके आहरण की तारीख के साथ समाप्त होकर पूरे किए गए वर्षों तथा मासों के लिए देय होगा और इस पर ब्याज उस दर पर परिकलित होगा जो एक वर्ष, दो वर्ष अथवा तीन वर्षों, यथास्थिति हो, से जमा के लिए विनिर्दिष्ट दर की तुलना में दो प्रतिशतांक बिंदु कम होगा तथा पूरा किए गए वर्ष के लिए ब्याज पैरा 7 के उपबंधों के अनुसार तिमाही रूप से चक्रवृद्धि आधार पर परिकलित होगा तथा वर्ष के किसी एक भाग के लिए उप-पैरा (ख) के उपबंधों के आधार पर ब्याज देय होगा।

परंतु कि यदि पांच वर्षीय सावधि जमा खाता जमा की तारीख से चार वर्ष के पश्चात बंद कर दिया जाता है, तो इस पैरा के अधीन ब्याज के परिकलन हेतु तीन वर्षीय सावधि जमा खाता के लिए अनुज्ञेय दर लागू होगी।

- (घ) पैरा 7 के अधीन जमा पर पहले ही संदत्त कोई ब्याज इस पैरा के अधीन प्रतिदेय जमा ब्याज की प्रतिसंदाय और जमा में से वसूल किया जाएगा।
- 9. खाता गिरवी रखना-(1) किसी खाते को, जमाकर्ता द्वारा, गिरवीदार से स्वीकृति पत्र के साथ समर्थित, प्ररूप-5 में आवेदन पर प्रतिभृति के रूप में गिरवी या स्थानातरित किया जा सकेगा।

- (2) इस नियम के अधीन किसी खाते का स्थानांतरण निम्नलिखित को किया जा सकेगा:--
- (क) भारत के राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल को उसकी पदीय हैसियत में;
- (ख) भारतीय रिजर्व बैंक या किसी अनुसूचित बैंक या सहकारी सोसायटी जिसके अंतर्गत कोई सहकारी बैंक भी है;
- (ग) कोई पब्लिक या प्राईवेट सहकारी या सरकारी कंपनी;
- (घ) कोई स्थानीय प्राधिकरण; या
- (ड़) राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा अनुमोदित और केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित कोई आवास वित्त कंपनी:

परंतु यह कि किसी ऐसे खाते का अंतरण जो किसी अव्यस्क या विकृत चित्त व्यक्ति की ओर से खोला गया है, का इस नियम के अधीन तब तक अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जब तक यथास्थिति ऐसे अव्यस्क या ऐसे विकृत्त चित्त व्यक्ति का संरक्षक, यथास्थिति, लिखित रूप में प्रमाणित न कर दे कि ऐसा अव्यस्क और विकृत्त चित्त व्यक्ति, यथास्थिति, जीवित है और अंतरण और ऐसे अव्यस्क विकृत चित्त व्यक्ति के फायदे के लिए है।

- (3) जब कोई खाता उपनियम (1) के अधीन प्रतिभूति के रूप में स्थानांतरित किया जाता है, प्राधिकृत अधिकारी खाते जिसके अंतर्गत बचत प्रमाणपत्र भी है, के अभिलेख में निम्नलिखित पृष्ठांकन करेगा, अर्थात्:--
- ''.....को प्रतिभूति के रूप में स्थानांतरित किया है'।
- (4) इस स्कीम में अन्यथा यथाउपबंधित के सिवाय, इस पैरा के अधीन किसी खाते का अंतरिती जब तक यह उप-पैरा (5) के अधीन पुन:अंतरित नहीं कर दिया जाता है, जमाकर्ता समझा जाएगा।
- (5) इस नियम के अधीन स्थानांतरित किया गया कोई खाता, अंतरीती के लिखित प्राधिकार पर प्राधिकृत अधिकारी की लिखित में पूर्व मंजूरी के साथ वापस स्थानांतरित की जाए और जब कोई ऐसा पुन:अंतरण किया जाता है तो लेखा कार्यालय का प्राधिकृत अधिकारी खाते, जिसके अंतर्गत बचत प्रमाणपत्र भी है, के अभिलेख में निम्नलिखित पृष्ठांकन करेगा, अर्थात्:--
- ''.....को पुन∶अंतरित किया गया है"।
- (6) कोई नेत्रहीन या शरीरिक अक्षमता वाला व्यक्ति जो खाते के संचालन में उसे अक्षम बनाती है, अपनी जमा की गिरवी किसी साक्षर व्यक्ति जिसे वह इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत करे, कर सकेगा।
- **10. खाता धारक की मृत्यु पर संदाय –** (1) किसी एकल खाते में जमाकर्ता या किसी संयुक्त खाते में सभी जमाकर्ताओं की मृत्यु की दशा में खाते में जमा, यथास्थिति, नामनिर्देशिती या विधिक वारिस(सों) को संदेय होगा।
- (2) यदि दो या दो से अधिक नामनिर्देशिती हैं, खाते में जमा, नामनिर्देशन करते समय जमाकर्ता द्वारा विनिर्दिष्ट अनुपात में संदत्त किया जाएगा और यदि ऐसा अनुपात या अंश विनिर्दिष्ट नहीं है तो सभी उत्तरजीवी नामनिर्देशितियों को समान अनुपात में संदत्त किया जाएगा।
- (3) यदि किसी नामनिर्देशिती की मृत्यु होती है तो जमा की रकम में उसका विनिर्दिष्ट अंश उत्तरजीवी नामनिर्देशितियों के बीच समान अनुपात में उनके विनिर्दिष्ट अंशों के अनुसार वितरित किया जाएगा।
- (4) यदि उत्तरजीवी नामनिर्देशिती अव्यस्क है तो संदाय, जमाकर्ता द्वारा ऐसा संदाय प्राप्त करने के लिए नियुक्त ऐसे व्यक्ति को किया जाएगा और यदि ऐसा कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया गया है तो अव्यस्क के संरक्षक को किया जाएगा।
- (5) जहां तीन या तीन से अधिक उत्तरजीवी नामनिर्देशिती या विधिक वारिस हैं, वे अपने विकल्प पर खाते को जारी रख सकेंगे और इस स्कीम में उपबंधित रीति में ब्याज के साथ जमा की रकम प्राप्त कर सकेंगे, जैसे उन्होंने खाता खोला हो यदि वे इस स्कीम के अधीन अन्यथा पात्र हैं।

- (6) जहां उप-पैरा (5) के अधीन खाता जारी नहीं रहता है तो वह बंद कर दिया जाएगा वहां खाते में जमा की रकम ब्याज सहित संदत्त की जाएगी और ऐसा ब्याज ऐसी अवधि के लिए अनुज्ञात किया जाएगा जिसके लिए जमा लेखा कार्यालय में रही है और ऐसे ब्याज की दर निम्न प्रकार संदत्त की जाएगी:-
- (i) पैरा 7 में विनिर्दिष्ट रूप में ऐसे पूर्ण वर्षों के लिए जो जमा की अवधि से अधिक न हो; और
- (ii) उसके पश्चात् किसी ऐसी अवधि के लिए जो समय-समय पर डाकघर बचत खातों को लागू दर पर पूर्ण किए हुए मासों के
- (7) किसी संयुक्त खाते में एक या दो खाता धारकों की मृत्यु पर उत्तरजीवी खाताधारक(कों) को, यदि कोई है खाते का स्वामी या खाते के स्वामी के रूप में माना जाएगा और ऐसा खाताधाराक या ऐसे खाताधारक उप-पैरा (5) और उप-पैरा (6) के अधीन विनिर्दिष्ट रीति में खाते को जारी रख सकेंगे या बंद कर सकेंगे।
- 11. साधारण नियमों का लागू होना:- साधारण नियम के उपबंध, उन मामलों के संबंध में भी लागू होगें, जिनके लिए इस स्कीम में कोई उपबंध नहीं किए गए हैं।
- 12. शिथिल करने की शक्ति जहां केंद्रीय सरकार, का यह समाधान हो गया है कि इस स्कीम के किसी उपबंध के प्रचालन से खाता धारक को असम्यक् कष्ट होता है, यह ऐसे कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं आदेश द्वारा उस उपबंध की अपेक्षा को ऐसी रीति में जो अधिनियम के उपबंधों के साथ असंगत न हों, शिथिल कर सकेगी।

[फा. सं. 2/2/2018-एनएस (भाग-I)]

रजत कुमार मिश्रा, संयक्त सचिव

प्ररूप 1

[पैरा 4 का उप - पैरा 1 देखिए]

		(खाता खोलने के	लिए आवेदन)		
सेवा में,					
पोस्ट	टमास्टर/प्रबंधक				
				आवेदक/आवेदकों का फोटो चिपकाएं	
श्रीमान,					_
_	म जमा स्कीम के अधीन खाता	, , ,	,	डाक घर /बैंक में 1/2/3/5 व	र्ष के लिए राष्ट्रीय
				शब्दों में रुपए)	
	ह नेम्न प्रकार हैं:-	तारीखअ	ारंभिक जमा	के रूप में निविदा करता हूं <i>।</i>	′ हैं । मेरी /हमारी
1. प्रथम जमा	ाकर्ता का नाम				
पति/पिता/म	नाता या न्यायालय द्वारा नि	युक्त संरक्षक का नाम			
			_		

		शब्दों में
2. दूसरे जमाकर्ता का नाम		
पति/पिता/माता का नाम		
	जन्म की तारीख	(दिदि/मम/वववव)
		शब्दों में
3. तीसरे जमाकर्ता का नाम		
पति/पिता/माता का नाम		
	जन्म की तारीख	(दिदि/मम/वववव)
		शब्दों में
4. अवयस्क/विकृतचित्त व्यक्ति खाताधारक का नाम		
4. अवयस्क/।वकृताचत्त व्याक्त खाताबारक का नाम पिता/माता/संरक्षक का नाम		
।पता/माता/सरक्षक का नाम		(66 /
	जन्म का ताराख	(दिदि/मम/वववव) शब्दों में
5		शब्दा म
5. खाताधारक(कों) का आधार संख्यांक		
6. खाताधारक(कों) का स्थायी खाता संख्यांक		
7. वर्तमान पता		
स्थायी पता		
8. संपर्क ब्यौरे टेलीफोन नं		
मोबाइल नं		
ई-मेल आईडी		
9. खाते का प्रकार एकल या संयुक्त या अव्यस्क नेत्रहीन या दिव्यांगजन किसी प्राधिकृत व्यक्ति के माध्यम से	के मामले में संरक्षक के माध्य	म से या विकृतचित्त व्यक्ति या
10. (*)अवयस्क के जन्म की तारीख के ब्यौरे		
(अवयस्क के खाते के मामले में लागू)		
(क) प्रमाणपत्र सं		
(ख) जारी होने की तारीख		
(ग) जारी करने वाला प्राधिकारी		
11. (*) संरक्षक(प्राकृतिक/विधिक) का नाम		
(अवयस्क/विकृतचित्त व्यक्ति की ओर से खाता खोले जाने की	दशा में)	
12. अन्य संलग्न केवाईसी दस्तावेजों के ब्यौरे 1. पहचान का सबूत	Т	

· Z : 역시 역사 업액시	2.	पते	का	सबत																
-----------------	----	-----	----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

निम्नलिखित दस्तावेज पहचान और पते के सबूत के प्रयोजन के लिए विधिमान्य दस्तावेजों के रूप में स्वीकृत किए जाते हैं: 1. पासपोर्ट 2. चालन अनुज्ञप्ति 3. मतदाता पहचान पत्र 4. नरेगा द्वारा जारी, राज्य अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित जॉब कार्ड 5. नाम और पते के ब्यौरे सहित राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर द्वारा जारी पत्र;

13. खाते का संचालन धारक(व	कों)	(क) सभी धारकों या उत्तरजीवी द्वारा				
(संयुक्त खाते के मामले में)		(ख) धारक/कों द्वारा या उत्तरजीवी द्वारा				
जमाकर्ता/कों						
14. मेरा /हमारे नमूने हस्ताक्ष	₹					
1	2	3				
(नाम)						
2	2	3				
(नाम)						
3	2	3				
(नाम)						
4	2	3				
(नाम)						

मैं, स्कीम पर लागू उपबंधों और स्कीम को लागू सरकारी बचत संवर्धन नियम, 2018, और उसके अधीन समय-समय पर जारी संशोधनों, को पालन करने का वचन देता हूं।

बाताधारक (कों) /संरक्षक के हस्ताक्षर या अंगूठा छाप	-
तारीख	

नाम निर्देशन

16. मैं/हम नीचे उल्लीखित व्यक्ति(यों) का नाम निर्देशन करता हूं जिनको मेरी मृत्यु की दशा में अन्य व्यक्तियों को अपवर्जित करके राष्ट्रीय बचत सावधि जमा स्कीम 1/2/3/5 वर्ष में मेरी जमा रकम को मेरी मृत्यु के समय संदत्त की जाएगी:

क्र.सं.	नाम	पूरा	नाम	अवयस्क के	हकदारी का	हकदारी की
	निर्देशिती(यों)	पता(पते)	निर्देशिती	मामले में	अंश	प्रकृति,
	का नाम (के		का आधार	नाम		न्यासी या
	नाम) और		संख्यांक	निर्देशिती के		

	संबंध	नाम (वैकल्पिक)	जन्म की तारीख	स्वामी
1				
2				
3				_
4				_

पुत्र/पुत्री/पत्नी		क <u>ो</u>	है/हैं, में श्री/श्रीमती/कुमारी नाम निर्देशिती/नाम निर्देशितियों की करने के लिए नियक्त करता हूं ।
1. साक्षी के हस्ताक्षर	-		,
- नाम और पता			
2. साक्षी का नाम			
नाम और पता			
		खाताधार	क (कों) /संरक्षक के हस्ताक्षर या अंगूठा छाप
स्थान			
तारीख			
	पोस्ट ऑफि स/ बैंव	के प्रयोग हेतु	
			के आरंभिक जमा के साथ तारीखद्वारा
ग्राहक पहचान संख्यांक			
नाम निर्देशन संख्यांक	तारीख	द्वारा रजि	स्ट्रीकृत किया गया है
			सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर और मुद्र

प्ररूप 2
[पैरा 5 का उप पैरा 2 देखें]
(खाता बंद करने के लिए आवेदन)

पोस्ट ऑफिस/बैंक का नाम-----

तारीख	
खाता संख्यांक	
1. मैं/हम पासबुक /जमा रसीद प्रस्तुत करता हूं और अपने/हमारे को बंद करने के लिए आवेदन करता हूं।	तारीखको परिपक्व उपरोक्त उल्लिखित खाता
2. कृपया मेरे परिपक्व खाते में अतिशेष रकम का प्रत्यय मेरे बच (खाता कार्यालय का नाम) करें।	त बैंक खाता संख्यांकस्थतस्थित
या	
कृपया डिमांड ड्राफ्ट/पाने वाले नाम चैक जारी करें	
या	
कृपया नकद संदाय करें (अनुज्ञेय सीमा से नीचे रकम होने के माम	ले में लागू)
*प्रमाणित किया जाता है कि खाते में धृत रकमजो	जीवित है और अवयस्क है के प्रयोग के लिए अपेक्षित है ।
	खाताधारक (कों) /संरक्षक के हस्ताक्षर या अंगूठा छाप
(लेखा कार्यालय को ज्ञात व्यक्ति द्वारा अंगूठा छाप प्रमाणित की	जानी चाहिए)
संदाय ३	ग्रदेश
(केवल कार्यालय	के प्रयोग हेतु)
	तारीख
संदाय ब	यौरा
मूल रकम रुपए	
(+) देय ब्याज रुपए	
(-) अधिक संदत्त ब्याज की वसूली रुपए	
कटौती, यदि कोई हो, रुपए	
कुल देय रकम रुपए(अंको में)	
रुपए(अका म)	(शब्दा म) का सदाय कर ।
स्थान	
तारीख	
	पोस्टमास्टर/प्रबंधक के हस्ताक्षर
भुगत /	
(जमाकर्ता द्वार	
रुपएको अंतरण द्वारा	
रजाता राजनामःमा असर्ग क्वारा	ALALIES L

स्थ	Ţ	Н	:

तारीख:

खाताधारक(कों)/संरक्षक(कों) के हस्ताक्षर

प्ररूप 3 [पैरा 6 का उप पैरा 1 देखिए] (खाते की अवधि को बढ़ाने के लिए आवेदन)

(खाते की अवधि को बढ़ाने के लिए आवेदन)
सेवा में,
श्रीमान, पोस्टमास्टर/प्रबंधक
श्रीमान,
1. मैं/हमआपके कार्यालय में 1/2/3/5 वर्ष के लिए राष्ट्रीय बचत सावधि जमा स्कीम के अधीन खाता
संख्यांकको ,खोला गया था और संदाय के लिए
तारीखको परिपक्व हो गया है /होगा । हम उपरोक्त खाते के परिपक्वता की तारीख से (स्कीम के
नियम 10/11 के अनुसारवर्ष(वर्षों) की अवधि के लिए खाते का विस्तार करने के लिए अनुरोध करते हैं।
2. मैंने/हमने उक्त स्कीम के अधीन समय-समय पर यथा संशोधित, विस्तार की अवधि के दौरान खाते को लागू निबंधनों और
शर्तों को समझ लिया है और उनका पालन करूंगा/करेंगे ।
स्थान:
तारीख:
खाताधारक(कों)/संरक्षक के हस्ताक्षर
(नाम और पता)
लेखा कार्यालय के प्रयोग हेतु
खाता संख्याजोजो
के नियमके नियम के अधीन खोला गया था , का स्कीमके नियमके
के अधीन तारीखसेसेवर्ष की अवधि के लिए विस्तार कर दिया गया है ।
अभिलेखों और पासबुक/जमा रसीद/खाता विवरण में आवश्यक प्रविष्टियां कर दी गई हैं ।
स्थान:
तारीख:
पोस्टमास्टर/प्रबंधक के हस्ताक्षर
मद्रा

प्ररूप 4

[पैरा 8 देखिए]

(परिपक्वता पूर्व खाता बंद करने के लिए आवेदन)

सेवा में,

श्रीमान, पोस्टमास्टर/प्रबंधक

1. मैं/हम अपने /हमारे खाता संख्यांककेवल) अतिशेष हैं जो 1/2/3/5 वर्ष के लिए राष्ट्रीय बचत सावधि जमा स्कीम के अधीन खोला गया था को परिवक्वता पूर्व बंद करना चाहत हूं/है और आपसे नीचे दिए गए ब्यौरों के अनुसार लागू शास्ति की कटौती के पश्चात् रकम के संदेय का अनुरोध करता हूं/हैं।
कृपया मेरे बचत खाता संख्यांक(खाता कार्यालय का नाम) को रकम का प्रत्यय करें ।
या
कृपया डिमांड ड्राफ्ट/पाने वाले के नाम चैक जारी करें
या
कृपया नकद संदाय करें (लागू, यदि रकम अनुज्ञेय सीमा से निम्न हो)
3.मैं/हम घोषणा करते हैं कि 1/2/3/5 वर्ष के लिए राष्ट्रीय बचत सावधि जमा स्कीम के अधीन ऐसी शर्तों की अनुपालना र्क गई है जिसके अधीन परिपक्वता से पूर्ण खाता बंद किया जा सकता है ।
*प्रमाणित किया जाता है कि खाते में धृत रकमजो जीवित है और अवयस्क है के प्रयोग के लिए अपेक्षित है ।
तारीख:
खाताधारक (कों) /संरक्षक के हस्ताक्षर या अंगूठा छाप
(लेखा कार्यालय को जानने वाले किसी व्यक्ति द्वारा जमाकर्ता के अंगूछा छाप प्रमाणित किए जाने चाहिए)
केवल कार्यालय के प्रयोग हेतु
संदाय के ब्यौरे
खाते में अतिशेष
काटी गई शास्ति की रकमरपए
संदत्त की जाने वाली कुल रकम(अंकों में)
(शब्दों में)
तारीख मुद्रा पोस्टमास्टर/प्रबंधक के हस्ताक्षर
भुगतान
(खाताधारक/संदेशवाहक द्वारा भरा जाए)
रुपए(अंको में)तारीख
को अंतरण, द्वारा, प्राप्त किए ।

स्थान:			
तारीख:			
			खाताधारक(कों)/संरक्षक(कों) के हस्ताक्षर
		प्ररूप 5	
		[पैरा 9 के उप-पैरा (1) देखें]	
		(खाते को गिरवी के लिए आवेदन)	
सेवा में,			
श्रीमान, पो	स्टमास्टर/प्रबंधक		
श्रीमान,			
1 ਸੈਂ/ਵਸ	रुपा र्व	ो रकम का निक्षेप पतिभति के रू	प में (सरकार के किसी राजपत्रित
-		**	, ज (सरकार के किस्ट्रीकृत सहकारी इचित बैंक, सहकारी बैंक, रजिस्ट्रीकृत सहकारी
			ै है । अत: मैं/हम आपसे 1/2/3/5 वर्ष के लिए
		•	्र ⁻ (अधिकारी का शासकीय पदनाम
या ब्रांच का नाम आर्	दे जिसे प्रतिभूति के रू	रूप में खाता गिरवी रखा जा रहा है)	अंतरण अनुरोध करता हूं/करते हैं ।
			कता है जब प्रतिभूति उन्मोचित कर दी गई है ।
खाते में पंजीकरण सं	ख्यांक द्वारा न	नाम निर्देशन निरस्त किया जाता है।	
		खाते की विशिष्टियां	
खाता संख्यांक	तारीख	लेखा कार्यालय का नाम	रकम
			ा है । सक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से
हस्ताक्षरित गिरवी स	वीकृति गिरवीदार के	रूप में संलग्न है।	
तारीख:			खाताधारक(कों)/संरक्षक के हस्ताक्षर
			पता
		केवल कार्यालय के प्रयोग हेतु	
	आभलख म ा चान्हत ाता धारक को वापस		खाते का विवरण भी गिरवी के साथ चिन्हित

	पोस्टमास्टर/	प्रबंधक	के	हस्ताक्षर
मुद्रा				

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th December, 2019

- **G.S.R. 922(E).** In exercise of the powers conferred by section 3A of the Government Savings Promotion Act, 1873 (5 of 1873), the Central Government hereby makes the following Scheme, namely:-
- **1. Short title and commencement.**-(1) This Scheme may be called the National Savings Time Deposit Scheme, 2019.
- (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
- **2. Definitions.-**(1) In this Scheme, unless the context otherwise requires,-
- (a) "account" means an account opened under this Scheme;
- (b) "account holder" means an individual in whose name the account is held;
- (c) "Act" means The Government Savings Promotion Act, 1873 (5 of 1873);
- (d) "Form" means forms appended to this Scheme;
- (e) "General Rules" means the Government Savings Promotion General Rules, 2018;
- (f) "year" means a period of twelve months commencing on the date of deposit in an account.
- (2) Words and expressions used herein but not defined shall have the meaning respectively assigned to them in the Act and in the General Rules.
- **3. Categories of accounts.-** There shall be four categories of time deposit accounts, namely, One-year account, Two-year account, Three-year account and Five-year account in which a deposit may be made for a period of one year, two years, three years and five years respectively.
- **4. Type of Accounts.-** (1) On an application to the accounts office in Form-1, an account can be opened by the following-
 - (i) a single adult;
 - (ii) upto a maximum of three adults in joint names;
 - (iii) a minor who has attained the age of ten years;
 - (iv) a guardian on behalf of a minor or a person of unsound mind.
- (2) An individual may have more than one account in his name or jointly with another.
- **5. Deposit and repayment.-** (1) There shall be only one deposit of not less than one thousand rupees and any sum in multiples of one hundred rupees in an account.
- (2) The deposit shall be repayable after the expiry of a period of one year, two years, three years or five years, as the case may be. Deposit in the account may be repaid to the account holder on an application in Form-2 submitted to the accounts office.
- **6. Extension of Account.-**(1) Where a deposit in an account has become due for repayment, the account holder may at his option by making an application to the accounts office in Form-3, may further extend the account for another tenure for which the account was initially opened.
- (2) Where an extension is made under sub-paragraph (1), the option for extension shall be exercised as specified in the table below:

TABLE

S. No.	Category of the account	Period from date of repayment by which option for
		extension may be exercised.

(1)	(2)	3		
1.	One-year	Six months		
2.	Two-year	Twelve months		
3.	Three-year	Eighteen months		
4.	Five-year	Eighteen months		

- (3) Where option of extension of deposit is exercised within the period specified in sub- paragraph (2), interest applicable to the category of account under the Scheme on the date of repayment shall be payable.
- (4) The account holder shall be allowed to extend the account as per sub-paragraph (2) only twice after the initial repayment date.
- (5) Option to extend the account as per sub-paragraph (1), may be exercised by the account holder at the time of opening of the account also. However, the account holder may revoke the option to extend the account any time before the date of repayment.
- **7. Rate of Interest.-** (1) The rate of interest as specified in the table below shall be applicable to the deposits under the Scheme.

S.No.	Category of account	Rate of interest (per cent. per annum)
(1)	(2)	(3)
1.	One-year	6.9
2.	Two-year	6.9
3.	Three-year	6.9
4.	Five-year	7.7

- (2) Interest shall be compounded on quarterly basis and payable to the account holder at the end of each year during the period of deposit.
- (3) Where the interest contains part of a rupee and if such part is fifty paisa or more, it shall be rounded off to one complete rupee and if such part is less than fifty paisa, it shall be ignored.
- (4) The rate applicable on the date of opening of the account shall apply till maturity.
- (5) The interest shall be payable annually and the year shall be reckoned from the date on which the account is opened.
- (6) If the date of payment of interest falls on a non-working day, the payment shall be deemed to be due on the working day immediately preceding.
- (7) No additional interest shall be payable on the amount of interest that has become due for payment but not withdrawn by the account holder.
- (8) The annual interest may be credited to the savings account of the account holder at his option.
- **8. Premature closure of account.-** Premature closure of an account shall be allowed on an application by the account holder in Form-4, subject to the following conditions, namely:-
- (a) no deposit shall be withdrawn before the expiry of six months from the date of deposit;
- (b) where a deposit in a one-year, two-year, three-year or five-year account is withdrawn prematurely after six months, but before the expiry of one year from the date of deposit, interest shall be payable to the account holder at the rate applicable to Post Office Savings Account for the completed months;

(c) where a deposit in a two-year, three-year or five-year account is withdrawn prematurely after the expiry of one year from the date of deposit, interest on such deposit shall be payable to the account holder for the completed years and months, commencing on the date of deposit and ending with the date of withdrawal, and such interest shall be calculated at the rate which shall be less by two per cent. points than the rate specified for a deposit of one-year, two-year or three-year, as the case may be and interest for the completed year shall be calculated on quarterly compounding basis in accordance with the provisions of paragraph 7, and for any part of a year, interest shall be payable as per provision of sub-paragraph (b):

Provided that if a five year Time Deposit account is closed after four years from the date of deposit, rate admissible for three-year Time Deposit account shall be applicable for calculation of interest under this paragraph;

- (d) any interest already paid on the deposit under paragraph 7 shall be recovered from the amount of repayment of deposit and the interest payable under this paragraph.
- **9. Pledging of an account.-** (1) An Account may be pledged or transferred as security, on an application made by the depositor in Form-5 supported with acceptance letter from the pledgee.
- (2) Transfer of an account under this paragraph may be made to-
 - (a) the President of India or the Governor of a State in his official capacity;
 - (b) the Reserve Bank of India or a Scheduled Bank or a Cooperative Society, including a Co-operative Bank;
 - (c) a public or private corporation or a Government company;
 - (d) a local authority; or
 - (e) a housing finance company approved by the National Housing Bank and notified by the Central Government:

Provided that the transfer of an account opened on behalf of a minor or a person of unsound mind shall not be permitted under this paragraph unless the guardian of the minor or the person of unsound mind, as the case may be, certifies in writing that the minor or the person of unsound mind, as the case may be, is alive and that the transfer is for the benefit of the minor or the person of unsound mind.

(3) When any account is transferred as security under sub-paragraph (1), the authorised officer shall make the following endorsement in the record of the Account, including the Savings Certificate, namely:-

"Transferred as security to".

- (4) Except as otherwise provided in this scheme, the transferee of an account under this paragraph shall, until it is re-transferred back under sub-paragraph (5), be deemed to be the depositor.
- (5) An account transferred under this paragraph may, on written authority of the transferree, be transferred back with the previous sanction in writing of the authorised officer and when any such retransfer is made, the authorised officer of the accounts office shall make the following endorsement in the record of the account, including Certificate, namely:-

"transferred back to.....".

- (6) A blind or a person with physical infirmity making him incapable of operating the account may pledge his deposit through any literate individual whom he authorises for this purpose.
- **10.** Payment on the death of the account holder.-(1) In the event of death of the depositor of a single account or of all the depositors in a joint account, the deposit in the account shall be payable to the nominee or legal heir(s) as the case may be.
- (2) If there are two or more surviving nominees, the deposit in the account shall be paid in the proportion as specified by the depositor while making the nomination, and if no such proportion or share is specified, then in equal proportion to all the surviving nominees.
- (3) If any nominee dies, his specified share in the amount of deposit shall be distributed among the surviving nominees in the same proportion as their specified shares.

- (4) Where the surviving nominee is a minor, the payment shall be made to a person appointed by the depositor to receive such payment and, if no such person has been appointed, to the guardian of the minor.
- (5) Where there are not more than three surviving nominees or legal heirs, they may, at their option, continue the account and receive the amount of deposit alongwith interest in the manner provided for in this Scheme, as if they had opened the account themselves if they are otherwise eligible to make deposit under this Scheme.
- (6) Where the account is not continued under sub-paragraph (5), it shall be closed and the amount of deposit outstanding in the account shall be repaid with interest and such interest shall be allowed for the period for which the deposit has remained in the accounts office and the rate of such interest shall be paid as under.
- (i) as specified under paragraph 7, for completed years not exceeding the period for which the deposit was made; and
- (ii) for any period thereafter in completed months at the rate applicable to the Post Office Savings Account from time to time.
- (7) On the death of one or two of the account holders in a joint account, the surviving account holder or holders, if any, shall be treated as the owner or owners of the account and such account holder or holders may continue the account or close the account in the manner specified under sub-paragraph (5) and (6).
- **11. Application of General Rules.-** The provisions of the General Rules shall, so far as may be, apply in relation to the matters for which no provision has been made in this Scheme.
- **12. Power to relax.-**Where the Central Government is satisfied that the operation of any of the provisions of this scheme causes undue hardship to an account holder, it may, by order for reasons to be recorded in writing, relax the requirements of that provision in a manner not inconsistent with the provisions of the Act.

[F. No. 2/2/2018 NS (Pt.I)]

RAJAT KUMAR MISHRA, Jt. Secy.

FORM - 1

[See sub-paragraph (1) of paragraph 4] (Application for opening an account)

To			
The Post	master/Manager		Paste photograph of applicant/s
Sir,			
		ount holder(s)/guardian) hereby apply for me for 1/2/3/5 years in your Post Office/Ba	
•		herewith R in I deposit. My/our particulars are as under:-	cash/Cheque/DD.
110	date as initia	r deposit. Wy/our particulars are as under	
1. Nam	e of First Depositor		
Hush	oand/Father/mother's name or	Guardian appointed by Court	
Date	of Birth		

		(In words)
2.	Name of Second Depositor	
	Husband/Father /mother's name	
	Date of Birth	(DD / MM / YYYY) (In words)
3.	Name of Third Depositor	(,
	Husband/Father /mother's name	
	Date of Birth	(DD / MM / YYYY) (In words)
4.	Name of minor/person of unsound mind	account holder
	Father /mother/guardian's name	
	Date of Birth	(DD / MM / YYYY) (In words)
5.	Aadhaar Number of account holder(s)	(III words)
6.	Permanent Account Number (PAN)	of account holder(s)
7.	Present Address	
	Permanent Address	
8.	Contact details	Telephone Number
9.	Types of Account	Single or Joint or through guardian for minor or person of unsound mind or blind or differently abled through authorised person.
10.	(*)Details of date of birth of minor	
	(Applicable in case of minor account)	
	a) Certificate No.	
	b) Date of Issue	
	c) Issuing authority	

11.		dian (Natural/Legal)					
		nt is opened on behalmsound mind)			••••		
12.	Details of other K	YC documents attac	hed	1. Proof o	f identification		
				2. Address	s proof		
	address proof: 1.	ocuments are accept Passport 2. Driving I vernment officer 5. nd address;	icense 3.	Voter's ID	card 4. Job care	d issued by NF	REGA signed
13.	The operation of t holder/s.	he account will be:-		(a)	By all the holde	ers together or	the surviving
	(In case of joint a depositor/s,	ccount)		(b)	By either of th	e holder/s, or	the surviving
14.	My/our specimen	signatures					
					3.,		
,	•				3		
	ame)				3	•••••	•••••
1 (Na	ame)		2		3		
					3		
2018 aj		ike to abide by the sheme and amendmen				Savings Pro	notion rules-
			Signatu	are or thum	b impression of	account holde	er(s)/guardian
						Date:	
			Nomina	ation			
the exc	clusion of all other	persons in the even	nt of my	death the	amount standing	g to my credi	
S.No.	Name(s) of the	Full address (s)	Aadhaa	r number	Date of birth	Share of	Nature of

S.No.	Name(s) of the	Full address (s)	Aadhaar number	Date of birth	Share of	Nature of
	nominee(s) and		of	of nominee	entitlement	entitlement
	relationship		nominee(optional)	in case of minor		Trustee or owner

[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 175

1						
2						
3						
4						
appoin Shri/Si under t 1. Sign Name 2. Sign	the said account in the sa	Addres		.D/o,W/o	to receive	
Place:			Signature or thum	nb impression of	account holde	r(s)/guardian
Date:		_		_		
Tr.	h		se of Post Office/Ba			:41-
initial	deposit of Rs		e ofunder d			(name
		umber				
Nomin	ation has been regi	stered vide No		dated		
			FORM - 2 aragraph (2) of para	Signature and s		
		_	iragraph (2) of para ion for closure of ac			
		(Applicat	ion for closure of ac	.count)		
Name	e of Post Office/Ba	nk				
						

Account Number__

1. I/we hereby submit pass book/deposit receipt and apply for closure of my/our above mentione account matured on
2. Please Credit the amount of eligible balance in my matured account to my SB Account. (Name of Account office).
or
Please issue a Demand Draft/account payee cheque
or
Please pay in cash (applicable if the amount is below permissible limit).
*Certified, that the amount held in the account is required for the use of
Signature or thumb impression of account holder(s)/guardia
(Thumb impression should be attested by a person known to accounts office)
Payment Order
(For office use only)
Date
Payment detail
Principal amount Rs
(+) Interest due Rs.
(-) Recovery of overpaid interest Rs.
Deduction if any Rs
Total Amount due Rs
Pay Rs(in figurers)(in
words)
Place:
Date:
Signature of Postmaster/Manag
Acquittance
(to be filled by depositor)
Received Rs (In figures) (in words) By cash/cheque/DD bearing no
Place:
Date: Signature/thumb impression of account holder(s)/guardian

[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 177

FORM - 3

[See sub-paragraph (1) of paragraph 6]

(Application for extension of account)

To,	
The Postmaster	-
Sir,	
Numberoffice. The sai payment. We l	am/are depositor of Account under National Savings Time Deposit Scheme for 1/2/3/5 years in your daccount was opened on and has/will mature on for hereby request for extension of the account for a further period of year(s) (as per rule ne rule) from the date of maturity of the above said account.
	have understood the terms and conditions applicable to the account during the period of or the said scheme as amended from time to time and shall abide by them.
Place:	
Date:	Signature of the account holder(s)/guardian
	(Name and address)
	For the use of Accounts Office
(Rupees matured on .	count no
Necess	sary entries have been made in the records and pass book/deposit receipt/ statement of account.
Place:	
Date:	Signature of Postmaster/Manager Seal
	FORM - 4
	[See paragraph 8]
	(Application for premature closure of account)
То,	
The Postmaster	r/Manager

Sir,		
1. I/we wish to premature (Rupee	ely close my/our Account No Only) opened under Nation	having balance of al Savings Time
Deposit Scheme for 1/2/3/5 year per details given below:-	ars and request you to pay the amount after deduction of app	plicable penalty as
	mount to my SB Account no(Name of Account office).	standing
	or	
Please issue a Demand Draft/acc	count payee cheque	
	or	
Please pay in cash (applicable if	f the amount is below permissible limit)	
the National Savings Time Depo	at the conditions under which the account can be closed before osit Scheme for 1/2/3/5 years have been complied with. In the account is required for the use of	•
Date:	Signature or thumb impression of account holder(s)/guardiar	
(Thumb impression of the depos	sitor should be attested by a person known to the accounts of	
	For office use only	
	Payment detail	
less penalty amount ₹	(In figures)	
(In words)	(In figures)	
Date Stamp	Signature of Postmaster/Manager	
	Acquittance	
Received Rs(In No.)dated No	(to be filled by account holder/ messenger) in figures) (in words) By cash/ched/by transfer to Account	eque/DD bearing
Place:		
Date:	Signature/thumb impression of account holder(s)/guardian	l

[भाग II-खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 179

FORM - 5

[See sub-paragraph (1) of paragraph 9] (Application for pledging of account)

Го			
The Postmaster/Manager			
Sir,			
		am/are required to depo	
the gazetted officer of the Gov Cooperative Bank, Registered Authority). I/We therefore request under National Savings Time	rernment or name Cooperative Soc st you to transfer e Deposit Sch	e of the Reserve Bank of India or a ciety, Corporation, A Government Cothe deposit in Account Numbereme for 1/2/3/5 years as security(Official Designation of the Company of the	Scheduled Bank, ompany or Local y in favour of
the Branch, etc. to whom the Acc			
		ashed by the pledgee when the securityin the account stands cancelled.	has been forfeited.
	Part	ciculars of Account	
			T
Account number	Date	Name of account office	Amount
The authority mentioned above becompetent authority as pledgee is		cept the pledge. A pledge acceptance	duly signed by the
Dated :		Signature of account hole	der(s)/guardian
		Address	
	For of	ffice use only	
	and	has been pledged vid necessary entries have been market also been marked with pledge and return	
		Signature of Po	ost Master/Manager
		Seal	